खण्ड-215, अंक-4
गुरूवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1882
(11 अगस्त, 1960 ई0)

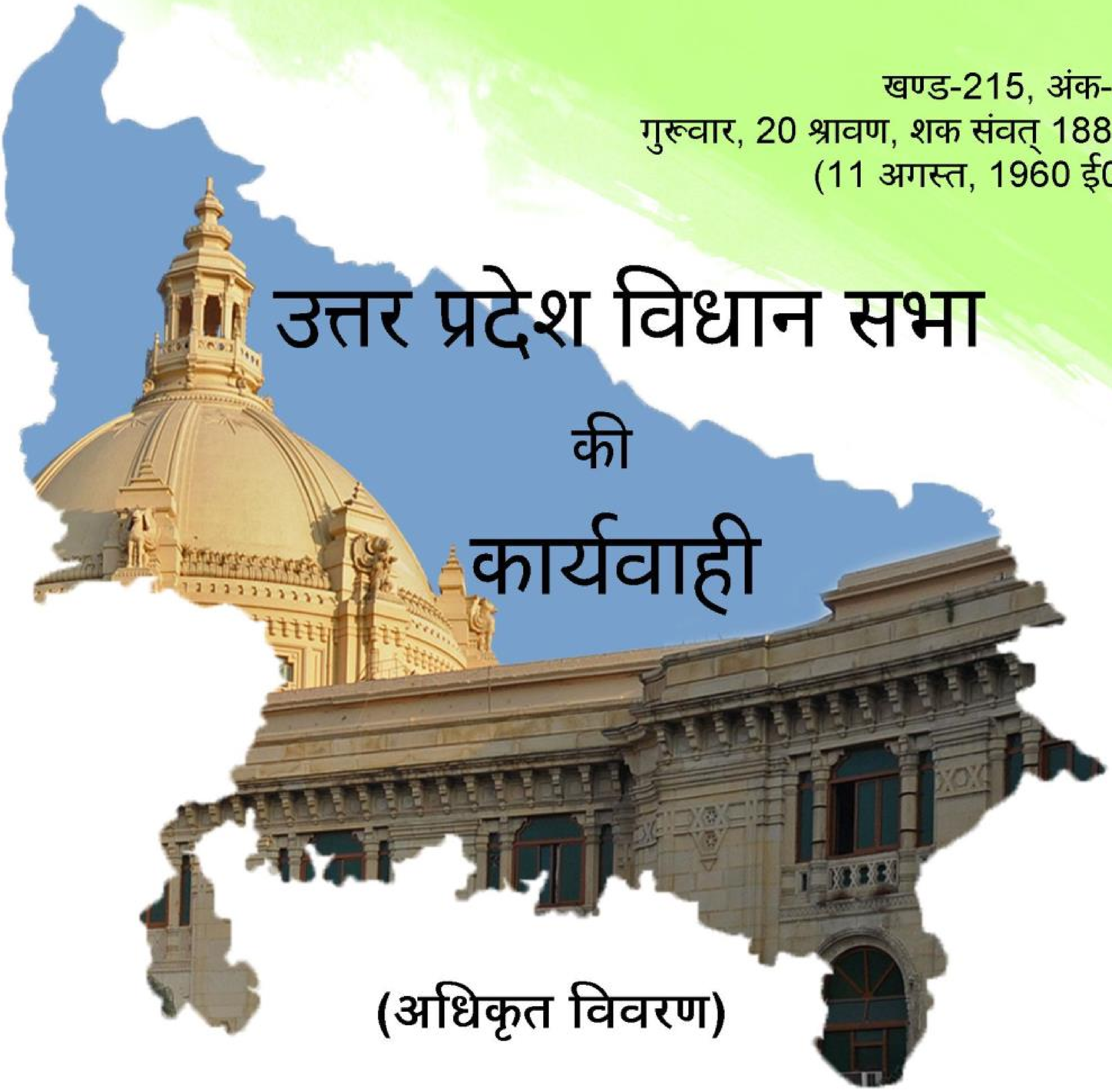

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 215 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ११ अगस्त, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अतन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण, गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह, भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह श्री, (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसादकुरील, श्री
झारखंडराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन श्री,
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रसन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवरतनबलीसिंह, श्री
शिवरतनसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)

श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरिशचन्द्र अठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ११ अगस्त, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में बन्दी छोड़ने की प्रार्थना

१—श्री रामायण राय** (जिला दवरिया)—क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतन्त्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बन्दी छोड़े जावेंगे ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी नहीं।

२—श्री रामायणराय**—क्या इन बन्दियों में समाजवादी सत्याग्रही भी शामिल किये जावेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रामायण राय—पिछले वर्षों में इस दिवस के उपलक्ष्य में जब बन्दी छोड़े जाते रहे हैं तो वे इस साल क्यों नहीं छोड़े जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१५-१६ अगस्त, सन् १९५७ को कुछ बन्दी छूटे थे और उस के बाद भी कुछ वर्षों में छूटे थे, लेकिन प्रत्येक वर्ष छोड़ने की बात नहीं है और न छोड़ने का कोई विचार है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह परम्परा इसलिये तोड़ी जा रही है क्योंकि इस साल जेलों में सोशलिस्ट सत्याग्रही बन्दी मौजूद हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सन् ५३, ५४ ५५, ५६, ५८, ५९ में से किसी वर्ष भी कोई बन्दी १५ अगस्त को नहीं छोड़ा गया और हमारा खयाल है कि सत्याग्रही बन्दी तो उस दिन छूटने ही नहीं चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस वर्ष बन्दी छोड़े जायं और किस वर्ष वह न छोड़े जायं, इसका निर्णय वह किस आधार पर करते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था कि १५-१६ अगस्त को केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से सन् १९४७ में छोड़े गये थे और उस के बाद एक वर्ष और छोड़े गये हैं और उसके अलावा कभी नहीं छोड़े गये; और यह कुछ उचित भी प्रतीत नहीं होता कि इन दिनों में कोई बन्दी छोड़े जायं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि १५ अगस्त हमारे देश का एक महान पर्व है इसलिये इस दिन भी कुछ बन्दी छोड़े जायं जैसे कि अगले वर्षों में सरकार छोड़ती रही है, जैसे कि १-२-३ मास की जिनकी सजा होती है उनको ?

श्री अध्यक्ष---सरकार ने कबूल ही नहीं किया कि वह छोड़ती रही है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---भारतीय जी ने कुछ इशारा किया है कि १५ अगस्त को सोशलिस्ट सत्याग्रही छूटने चाहिये, क्या मंत्री जी उन के सुझाव पर विचार करेंगे कि कम से कम इस साल तो उनके साथियों को छोड़ने की कृपा की जाय ?

श्री अध्यक्ष---आप वकालत कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे खयाल से वकालत दूसरी ओर से होती तो अच्छा था।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार उन स्त्रियों को और उन कैदियों को जो केवल जुरमाने की सजा काट रहे हैं, इस महान पर्व पर छोड़ने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इन पर्वों का पवित्र दिन होता है और इस प्रकार बन्दियों को छोड़ने से कोई अच्छी परम्परा नहीं पड़ती और इसीलिये हमारा यह विचार रहता है कि इस प्रकार के बन्दियों को छोड़ना नहीं चाहिये।

सिंचाई की दर कम करने पर विचार

****३---श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय योजना आयोग ने हाल में राज्य सरकार को यह संस्तुति भेजी है कि नई सिंचाई योजनाओं के पूरी हो जाने के बाद तीन साल तक या तो सिंचाई कर न लिया जाय या उसके दर में रियायत की जाय ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---जी नहीं।

श्री गौरीशंकर राय---क्या किसी अवसर पर या हाल में किसी समय यह योजना सरकार के विचाराधीन रही है कि नई सिंचाई योजना से किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये कम रियायती दर सिंचाई की ली जाय या न ली जाय ?

श्री धर्मसिंह--नलकूप और नहर रेट के सम्बन्ध में इस तरह की योजना है कि पहले साल में कुछ रियायत दी जाय, दूसरे साल में कुछ कम रियायत दी जाय और तीसरे साल में कुछ और कम रियायत दी जाय और चौथे में पूरा रेट लिया जाय, इस तरह की बात पर विचार हो रहा है, अभी कुछ निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री गौरीशंकर राय--क्या यह सही है कि दोहरी घाट नहर जो पिछले साल तैयार हुई है या अन्य योजनाएं जो तैयार हुई हैं, उनके पहले ही वर्ष से पूरी सिंचाई की दर ली जा रही है? यदि हां, तो क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष--(श्री धर्मसिंह से) क्या आपने यह जवाब दिया था कि ट्यूबवेल के सिलसिले में और कैनाल के सिलसिले में भी दोनों में कुछ प्राथमिक वर्षों में रियायत दी जाने पर विचार हो रहा है?

श्री धर्मसिंह--जी हां, ट्यूबवेल और कैनाल दोनों में।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--यह प्रश्न अन्डर एक्जामिनेशन है, जैसा कि बतलाया गया, और एक बहुत ही साधारण अवस्था में है। जहां तक इन नहरों का सवाल है, इनकी तो शुरुआत हो गई, पूरे रेट चार्ज होंगे। अगर किसी वक्त यह तय हो गया तो उस वक्त की नई स्कीमों पर वह लागू होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के २ भाग हैं और उधर से उत्तर आया है--नहीं। तो क्या "जी नहीं" इस प्रश्न का उत्तर है कि क्या सरकार को संस्तुति भेजी गई है, या इस प्रश्न का उत्तर है कि सिंचाई कर न लिया जाय या रियायत की जाय?

श्री धर्मसिंह--दोनों का उत्तर "जी नहीं" है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या यह सही है कि किसानों ने जो कम सिंचाई की है उसका एक ही कारण है कि सिंचाई का रेट बहुत ज्यादा है?

श्री धर्मसिंह--यह हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, उस पर पूरे तरीके से विचार हो रहा है, अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री गौरीशंकरराय--क्या यह सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत बिजली का रेट ज्यादा होने का कारण दोहरी घाट नहर के पानी का रेट बहुत अधिक है बनिस्बत और नहरों के? और दूसरी तरफ यह सोचा जाता है कि पहली साल रियायत की जाय, तो इस बात को देखते हुए क्या सरकार दोहरी घाट नहर के रेट में रियायत करने की सोचेगी?

श्री धर्मसिंह--जब पूरी तरह से एक्जामिन हो जायगा तो दोहरी घाट का जहां तक प्रश्न है उस पर भी विचार किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने क्या सुझाव सरकार को दिया है?

श्री धर्मसिंह--उत्तर में बताया गया है कि कोई भी किसी प्रकार का सुझाव नहीं दिया गया है।

लखनऊ में सी०आर० पी० सी० की दफा १४४

४--श्री प्रतापसिंह--क्या यह सही है कि प्रदेश की राजधानी में सी आर० पी० सी० की दफा १४४ लगी हुई है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---१२ जुलाई, १९६० को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में लखनऊ शहर में दफा १४४ लगाई गई थी जो अब हटा ली गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किए गए आन्दोलन के कारण ९ अगस्त, १९६० से दफा १४४ पुनः लगा दी गई क्योंकि शहर में शान्ति भंग होने का भय था।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १२ जुलाई, १९६० से पूर्व कौन सी ऐसी विषम परिस्थिति थी जिसकी वजह से दफा १४४ लगाई गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्ट्राइक होने की संभावना थी और यह अंदेशा था कि उसकी वजह से शांति भंग भी हो और हानि भी हो, इसलिये आवश्यक था।

श्री प्रतापसिंह---१२ जुलाई, १९६० को जो दफा १४४ लगाई गई थी वह कब हटाई गई और ९ अगस्त से फिर लगाई गई तो किन परिस्थितियों में लगाई गई ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---११ अगस्त तक उसकी डेट थी जो १२ जुलाई को लगाई गई थी। ९ तारीख को वह हटाकर नई लगाई गई। परिस्थिति थी विश्वविद्यालय संबंधी कथित आंदोलन।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि १२ जुलाई, १९६० से जो दफा १४४ लगाई गई थी, बावजूद इसके कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस बात की प्रार्थना की कि कांफ्रेंस और सभा करने में दिक्कत हो रही है, उसे हटा दिया जाय, कोई भी खतरा नजर नहीं आता, उसे नहीं हटाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---किसी ने मुझसे इस प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की। क्लेक्टर ने दफा १४४ लगाई, मुमकिन है उनसे प्रार्थना की हो। यह उनके विवेक पर निर्भर है कि जब चाहें तब करें।

श्री गौरीशंकर राय---जब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आन्दोलन विश्वविद्यालय में हो रहा है और पिछले वर्षों के वाद-विवाद में कहीं भी मंत्री जी ने शहर में अशान्ति या अव्यवस्था की बात नहीं बतायी थी तो फिर नगर में दफा १४४ क्यों लगायी गई ?

श्री अध्यक्ष---यह तो स्थानीय अधिकारी लगाते हैं। आप सूचना पूछ सकते हैं उनसे कि क्या कारण है, वह बता दें।

श्री गौरीशंकर राय---जी, मैं सूचना ही चाहता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---हजरतगंज, अमीनाबाद, यूनिवर्सिटी कैम्पस के भीतर है यह हमें मालूम नहीं था क्योंकि यहां इन लोगों ने मीटिंग की थी। अमीनाबाद में ९ तारीख को दफा १४४ तोड़ कर मीटिंग की और फिर नोटिस दिया कि सारे शहर के जितने स्कूल्स और कालेजेज हैं उनमें जनरल स्ट्राइक हो। सारे स्कूल और कालेजेज यनिवर्सिटी के कैम्पस में हैं नहीं, इसीलिये सारे शहर में दफा १४४ लगायी गई।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने दफा १४४ का जो क्षेत्र बताया है उसमें दारुलशफा का 'ए' और 'बी' ब्लाक भी रख लिया है क्योंकि वहां भी पुलिस मौजूद थी काफ़ी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कारपोरेशन का सारा एरिया है। अब उसमें अगर दारुल-शफ़ा है तो वह भी आता है।

तारांकित प्रश्न

ठाकुरगंज, लखनऊ में भूतपूर्व क्षय रोगियों का प्रशिक्षण केन्द्र

*१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भूतपूर्व क्षय रोगियों की चिकित्सा के उपरान्त देखभाल तथा पुनर्वास के लिये एक केन्द्र की स्थापना की योजना सम्मिलित की गई थी और इस योजना के लिये आयोजना में ५ लाख रुपये की व्यवस्था भी की गई थी ? यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में इस योजना में क्या प्रगति हुई ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां । १९५७-५८ में ठाकुरगंज, लखनऊ में इस केन्द्र के लिये एक भवन खरीदा गया ।

*२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में उक्त योजना के लिये लखनऊ में कोई इमारत खरीदी गई है और क्या खरीद की गई इमारत में आवश्यक परिवर्द्धन और परिवर्तन भी भारत सरकार की सलाह से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस योजना का कुल खर्चा भारत सरकार वहन करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—(क) यह भवन, जैसे पहले बताया गया है, १९५७-५८ में खरीदा गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं । तीन लाख रुपये तक के अनावर्त्तक व्यय का ७५ प्रतिशत खर्चा भारत सरकार देगी । आवर्त्तक व्यय में एक लाख रुपये तक भारत सरकार इस प्रकार सहायता देगी :

प्रथम वर्ष : ८० प्रतिशत
द्वितीय वर्ष : ७० प्रतिशत
तृतीय वर्ष : ५० प्रतिशत
चतुर्थ वर्ष : ३० प्रतिशत
और पंचम वर्ष : २० प्रतिशत ।

इसके बाद कुछ नहीं ।

*३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या न्याय मंत्री बतानें की कृपा करगे कि उपरोक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और क्या योजना के वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कार्यान्वित होने की आशा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपरोक्त केन्द्र में हर साल २०० भूतपूर्व क्षय रोगियों को ६ माह के लिये सिलाई का काम, कागज बनाना, साबुन बनाना, बेल बूटे बनाना, डलिया बनाना आदि काम सिखाये जाएंगे । हर ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षण काल में ३० रुपये माहवार वजीफा दिया जायगा । प्रशिक्षण की समाप्ति पर हर एक को २०० रुपये पुनर्वास के लिये दिया जायगा ताकि यह भूतपूर्व रोगी अपनी रोजी के लिये वह धन्धा शुरू कर सकें जिसमें उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मंत्री जी बतायेंगे कि ठाकुरगंज में खरीद किये हुए मकान की कीमत क्या है और यह मकान किस व्यक्ति का था ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—३४,२५० रुपये का खरीदा । किस शख्स का है उसका नाम इस समय हमारे पास नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मंत्री जी बतायेंगे कि १९६०-६१ के बजट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में लखनऊ में इमारत खरीदी गई ? आज के उत्तर में बताया गया, १९५७-५८ में इमारत खरीदी गई । इस उत्तर को स्पष्ट करके बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब खरीदी गयी तो वह तारीख बतला दी गयी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण के लिये क्षय रोगियों के चुनाव का आधार क्या होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो काम करने के काबिल हो जायेंगे उनको इसमें पुनर्वास किया जायगा ।

श्री प्रतापसिंह—ट्रेनिंग के बाद जो २०० रुपये पुनर्वास के लिये दिये जायेंगे उसका क्या आधार है और किस इंडस्ट्रीज में वे लगाये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिस वक्त वह सीखेंगे, जैसा कि जवाब में दिया हुआ है ।

श्री उग्रसेन—इस योजना के अन्तर्गत जो अर्द्धसरकारी तौर पर कुछ सेवा-आश्रम चल रहे हैं उनसे जो अच्छे हो जाते हैं उनको भी मदद मिलेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें जो प्रशिक्षण के लिये, लिये जायेंगे उन सबको मिलेगी चाहे जहां के हों ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—बजट में १९५८-५९ लिखा हुआ है, उत्तर में १९५७-५८ बतलाया गया, तो बजट में जो लिखा है वह गलत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वक्त बजट हमारे सामने है नहीं ।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—इस प्रकार का केन्द्र लखनऊ में खोलने का निश्चय चिकित्सा विभाग की परामर्श से किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

*४—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२५ अगस्त, १९६० के लिए स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिला अस्पताल का एक्सरे यंत्र खराब हो जाना

*५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिला सदर अस्पताल का एक्सरे यन्त्र बहुत दिनों से खराब है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—आजमगढ़ जिला सदर अस्पताल का बड़ा एक्सरे यंत्र केवल कुछ दिनों से खराब हो गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह एक्सरे यंत्र कब खरीदा गया था और कितने रुपये का खरीदा गया था और खराब होने का कारण क्या है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—उसमें एक पुर्जा खराब हो गया है । कितने का खरीदा गया और कब, इसकी सूचना हमारे पास नहीं है, सूचना मिलने पर बतलाऊंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि १९५५ में टोंस नदी की भीषण बाढ़ के कारण एक्सरे वाले कमरे में पानी आ गया था, तब से एक्सरे यंत्र खराब है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पानी जरूर आ गया था और १५ जुलाई, १९६० तक ठीक से काम किया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—यह कब खराब हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१५ जुलाई, १९६० के बाद ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इसे दुरुस्त कराने में सरकार का कितना धन व्यय होगा और कब तक ठीक हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इंजीनियर को रेफर किया गया है । अभी एस्टिमेंट नहीं आया है, लेकिन आशा की जाती है कि शीघ्र ठीक हो जायगा ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि १५ जुलाई से यह खराब हो गय है तब से अब तक एक्सरे की क्या व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—छोटी मशीन से स्क्रीनिंग हो रही है ।

कम्पाउन्डरों का वेतन स्तर

*६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी अस्पतालों में काम करने वाले कम्पाउन्डरों का वेतन स्तर अलग-अलग क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—एलोपैथिक, आयुवदिक तथा यूनानी अस्पतालों में काम करने वालें कम्पाउन्डरों का वेतन-स्तर अलग-अलग निम्न प्रकार है :—

एलोपैथिक—

ट्रेण्ड ७५—५—१००—द० रो०—५—१२० रु०

अनट्रेण्ड ४५—२—६५ रु०

आयुर्वेदिक तथा यूनानी—

४५—२—६५ रु०

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति के जो कम्पाउंडर हैं उनका वेतन-क्रम एक ही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें करीब-करीब सभी अनट्रेंड ही हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो ट्रेंड हैं उनका भी वेतन वही है जो अनट्रेंड का है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसमें जितने काम करने वाले हैं सब अनट्रेंड हैं । करीब-करीब मैंने गलत कहा है ।

श्री रामायण राय—सभी प्रकार के कम्पाउंडरों के वेतन भत्ते पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एलोपैथिक वालों का तो रिवाइज कर दिया गया है ।

श्री देवनारायण भारतीय—एलोपैथिक कम्पाउंडरों के आधार पर यूनानी तथा आयुर्वेदिक कम्पाउंडर कर दिये जायेंगे जिनको काम करते हुए १० वर्ष या इससे अधिक हो गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती ।

श्री उग्रसेन—जो कम्पाउंडर यूनानी तथा आयुर्वेदिक अस्पतालों में काम करते हैं वे सब अनट्रेंड हैं और एलोपैथिक में कुछ फीसदी तक ट्रेंड हैं, यह सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब एलोपैथिक में ट्रेण्ड नहीं मिलते थे तो अनट्रेण्ड भी रखे। अब धीरे धीरे उनको ६ महीने का कन्डेणस्ड कोर्स पूरा कराके ट्रेन करते जा रहे हैं। आयुर्वेद में जो सहायक परीक्षा पास करेंगे इंडियन मैडिसिन बोर्ड से एफिलियेटेड इंस्टीट्यूशन्स से तब वे ट्रेण्ड समझें जायेंगे।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक और यूनानी में जो ट्रेण्ड कम्पाउन्डर्स रखे जायेंगे उनका वेतन क्या होगा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--वह तो जो मौजूदा है वही रहेगा।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या यह सही है कि बोर्ड आफ़ इंडियन मेडिसिन की संस्थाओं के ट्रेण्ड कम्पाउन्डर भी अभी अनट्रेण्ड माने जाते हैं

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये तो नोटिस की जरूरत है, मेरी नजर में कोई ऐसी बात नहीं आयी।

अफजलगढ़ तराई की लकड़ी की बिक्री सम्बंधित जांच रिपोर्ट

*७--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार ने अफजलगढ़ तराई तथा उपनिवेशन योजनाओं के सम्बन्ध में जंगल साफ करने पर प्राप्त हुई लकड़ी की बिक्री आदि की जांच के लिय सन् १९५४ में जो जांच समिति नियुक्त की थी, उसके प्रतिवेदन पर विचार पूरा कर लिया ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)--सरकार ने सन् १९५४ में अफजलगढ़ तराई तथा उपनिवेशन योजनाओं के संबंध में जंगल साफ करने पर प्राप्त की हुई लकड़ी की बिक्री आदि की जांच के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की थी।

*८--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार उपर्युक्त प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य सिफारिशें बताने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--प्रश्न नहीं उठता।

*९--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सरकार ने उस प्रतिवेदन की किस-किस सिफारिश को स्वीकार किया है तथा उनके संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार का ध्यान लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, जो कि विधान सभा में २४ दिसम्बर, १९५९ को प्रस्तुत किया गया था उसके पृष्ठ १०४ की ओर गया है जिसमें कहा गया है कि लोक लेखा समिति ने जो उपसमिति तराई उपनिवेशन योजना की जांच के लिये मुकर्रर की थी उसने अपने प्रतिवेदन के दौरान में यह कहा है कि इस सौदे में सरकार को काफी हानि उठानी पड़ी और उपसमिति के प्रतिवेदन में यह कहा गया कि सरकार द्वारा १९५४ में एक जांच समिति नियुक्त की गयी थी और उसउप समिति का प्रतिवेदन इस समय सरकार के विचाराधीन है और सरकार का इस समय उत्तर यह है कि ऐसी कोई समिति नियुक्त ही नहीं की गयी थी, न उसका कोई प्रतिवेदन आया है, न उस पर विचार हो रहा है, तो इन दोनों में से कौन सी बात सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लैंड रेफ़ार्म कमिश्नर ने एक डिपार्टमेंटल सब कमेटी मुकर्रर की थी, गवर्नमेंट ने कोई कमेटी नहीं मुकर्रर की थी, यह जरा सा भेद है इसमें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लैंड रिफार्म्स कमिश्नर नें जो जांच समिति मुकर्रर की थी उसका प्रतिवेदन क्या है और क्या सरकार उस पर विचार कर चुकी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---बोर्ड को रेफर किया गया था, अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है । वित्त विभाग को भी जायगा । वहां से आ जाने के बाद निर्णय लिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतानें की कृपा करेंगे कि लैंड रेफ़ार्म्स कमिश्नर की विभागीय कमेटी की सिफ़ारिशें क्या थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी मैंने उसको पूरे तौर से देखा नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि प्रश्न नहीं उठता, तो क्या माननीय ठाकुर हुकुमसिंह जी उसको उठाने में मदद करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आपकी सहायता से उठ सकता है ।

शाहगंज तहसील के वर्षा पीड़ितों को सहायता

*१०---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९६० के प्रथम पक्ष में पूरे पक्ष भर की अनवरत घनघोर वर्षा के कारण जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में भदई तथा क्वारी फसल को कितनी क्षति हुई ? सरकार उस क्षेत्र के किसानों को कौन-कौन सी सुविधा देने जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---फसल को रुपये में ५० नये पैसे से लेकर ७५ नये पैसे तक की क्षति का अनुमान है । क्षतिग्रस्त क्षत्रों में तकावी व अहेतुक सहायता आवश्यकतानुसार दी गई है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या इस बात को देखते हुये कि नुकसान ७५ नये पैसे, यानी रुपये में बारह आने तक हुआ है, सरकारी मालगुजार आदि में कुछ छूट देने जा रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---छूट का मसला तब तय होता है जब आखिरी एस्टीमेट डैमज का हो जाता है और वह हारवेस्टिंग के मौके पर ही संभव है । अभी तो एस्टीमेटेड है डैमेज । इस समय छूट तय नहीं हो सकती कि क्या दी जायगी । जब आखिरी तखमीना डैमेज का आ जायगा उस वक्त रूल के मुताबिक क्या दिया जायगा, वह तय होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह---इस नुकसान को देखते हुये क्या सरकार अपनी सभी प्रकार की वसूलियों को फ़िलहाल मुल्वी करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां तक खरीफ की फसल के लगान का ताल्लुक है अभी उसका वजूद नहीं हुआ है । बकिया के लिये इतना कर दिया है कि बहुत सख्ती न की जाय ।

शाहगंज तहसील में चकबन्दी का कार्य

*११---**कुंवर श्रीपालसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जनपद की तहसील शाहगंज में चकबन्दी का कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा मासिक प्रगति कितनी है ?

श्री धर्म सिंह---जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में लगभग ६५.५ प्रतिशत चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है ।

१९६० के पूर्वार्द्ध की औसत मासिक प्रगति लगभग २.२५ प्रतिशत है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो सूचना दी है यह एम० पी० आर० के कागज के आधार पर है या सी० एच० २९ या सी० एच० २० या सी० एच० २४ के आधार पर है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---यह सूचना जिलाधीश से जो रिपोर्ट मांगी जाती है उसके आधार पर दी जाती है ।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, मेरे पूछने का मतलब यह है एम० पी० आर० का जो कागज होता है उसमें यह होता है कि जो काम मौके पर पूरे नहीं होते हैं वह पहले दर्ज हो जाते हैं और बकिया रजिस्टरों में जब काम पूरे हो जाते हैं तब दर्ज होते हैं तो यह रिपोर्ट एम० पी० आर० के आधार पर है या इन तीनों में से किस के आधार पर है ?

श्री अध्यक्ष---मंत्री जी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछते हैं और उनका जो जवाब आता है वह आपको दे देते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शाहगंज तहसील के किन गांवों में चकबन्दी का काम शुरू हो गया था और किन में समाप्त हो गया है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मान्यवर, जिन गांवों में चकबन्दी का काम हो रहा है और जिनमें चक कट गये हैं उनकी संख्या ४७९ है, जिनमें चकों का पुष्टिकरण हो चुका है वह ४४५ हैं, जिनमें कब्जे तब्दील हो चुके हैं वह ४३३ हैं और जिन गांवों में अभिलेख तैयार हो चुके हैं वह १०२ हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह से चकबन्दी वहां कितने वर्षों में खत्म होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---औसतन तीन वर्ष एक तहसील में लगते हैं ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन आंकड़ों में वह मामले भी हैं जो अदालत के विचाराधीन हैं और फायनली चक नहीं हुये हैं ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---जी ऐसे नहीं हैं ।

अकबरपुर तहसील के नकल विभाग में विलम्ब से कार्य होने की शिकायत

*१२---**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के कार्यालय में १-१-५८ से ३१-१२-५८ तक नकल के कितने अर्जेन्ट और कितने मामूली सवाल पड़े तथा इस तहसील के नकल विभाग में सन् १९५८ ई० में कुल कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च हुआ ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---८८४ अर्जेन्ट सवाल और २,८९७ मामूली सवाल पड़े थे । १९५८ में ९,२१० रुपये की आमदनी हुई और १,६६३ रुपये का व्यय हुआ ।

*१३---**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (अनुपस्थित)---१२-१-५९ को इसी तहसील में सात दिन से ज्यादा पुराने नकल के अर्जेन्ट सवाल तथा इसी तारीख तक कितने मामूली सवाल थे जो २० दिन के थे पर जिनकी नकल तैयार न हो सकी और इनमें सबसे पुराने सवाल किस तारीख के थे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---१२ जनवरी, १९५९ को सात दिनों से अधिक पुराने अर्जेन्ट सवाल ३१ थे और २० दिन के पुराने मामूली सवाल ६१ थे जिनकी नकलें नहीं हो सकी थीं । इनमें सबसे पुराने सवालों की तिथि क्रमशः १५-११-५८ तथा २७-१२-५८ थी ।

*१४---**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (अनुपस्थित)---इस समय इस तहसील के नकल विभाग पर प्रतिमास क्या खर्च होता है और कितने अहलकार काम करते हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न १२---१४ श्री देवनारायण भारतीय ने पूछे ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—एक स्थायी और चार अस्थायी नक्ल नवीस कार्य कर रहे हैं जिन पर ४५० रुपया प्रतिमास खर्च होता है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १२ जनवरी, १९५९ को ७ दिनों से अधिक पुराने अर्जेन्ट सवाल ३१ थे तो जब ७ दिनों तक उनको नकल नहीं दी गई तो क्या अर्जेन्ट होने की जो फीस होती है वह प्रश्नकर्त्ता को बाद में वापस कर दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जो लोग इसके लिये फिर से दरख्वास्त देंगे उनको वापस कर दी जायगी । वह चाहेंगे तो वापस कर दी जायगी ।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि उस दी गई विशेष फीस को उन प्रश्नकर्त्ताओं को वापस करदे कि जिनको समय के अन्दर वह अर्जेन्ट सवालों की नकल नहीं दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्यासा कुयें के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १५-११-५८ को जो नकल का सवाल दिया गया १२ जनवरी, १९५९ तक उसकी नकल नहीं मिली तो इस विलम्ब का क्या कारण था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—काम की ज्यादती ।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या यह सही है कि यह अर्जेन्ट नकल भी जिस क्रम में दरख्वास्त प्राप्त होती है उस क्रम से नहीं दी जाती हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसी शिकायत सरकार के पास अभी तक नहीं आई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या न्याय मंत्री इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि अर्जेन्ट नकलें और दूसरी प्रकार की जो नकलें होती हैं वह लोगों को समय के अन्दर मिल सकें ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह व्यवस्था हमेशा रहती है और अब भी है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने अर्जेन्ट दरख्वास्त दी थी और उनको अर्जेन्ट अवधि के बहुत बाद को नकलें मिलीं तो जो अर्जेन्ट फीस दरख्वास्त की थी, वह किसी खजाने में जमा हो गई या किस तरह से जमा होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फोलियो लगा रखा था । पैसा नहीं लिया गया । वह वापस ले सकते हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर—तो जो फोलियो होता है वह सरकारी खजाने से पैसा देकर लिया जाता है ? यदि किसी की अर्जेन्ट जरूरत पूरी नहीं होती है और उसको अर्जेन्ट अवधि में वह नकल नहीं मिलती है तो जो अर्जेन्ट का ज्यादा पैसा होता है क्या सरकार उसको जब्त कर लेती है या उनको वापस कर देती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फोलियो वापस कर दिया जाता है, ऐसा मेरा खयाल है । वह उस फोलियो को दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर एक स्थायी और ४ अस्थायी नकल नवीस इस समय कार्य कर रहे हैं और इतने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार और स्टाफ बढ़ाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी कोई डिमाण्ड नहीं आई ।

करछना तहसील के कुछ गांवों में मुल्तवी लगान वसूल करने की शिकायत

*१५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील करछना के परगना बारा में सन् १३६७ खरीफ फसल में लगान की वसूली मुल्तवी की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, मुल्तवी की हुई धनराशि १,१३,५२३ रुपये ३९ नये पैसे की थी ।

*१६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इलाहाबाद जिले की तहसील करछना के परगना बारा में सन् १३६७ खरीफ फसल के लगान की वसूली मुल्तवी होते हुये वहां पर लगान वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कितना ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां, उक्त धनराशि में केवल २,२८३ रुपये ६५ नये पैसे संग्रह कर्त्ता अमीन की भूल से वसूल हो गया है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि परगना बारा—पड़वा-सेमरी—मिलौर नवढ़िया—लालापुर—भतपुरा—चक—सुमेर—मंदुरी ग्राम के लगभग तीन सौ किसानों से मुल्तवी लगान जबरदस्ती वसूल किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, इन गांवों की सूचना हमारे पास नहीं है । यदि माननीय सदस्य चाहेंगे और फिर से प्रश्न करेंगे तो मंगा ली जायगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी हमारी सूचना को मानते हुये जो ग्रामीणों को कष्ट हुआ है उसकी जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—अगर प्रश्नकर्त्ता महोदय लिख दें तो हमें बहुत आसानी होगी ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी इसको ध्यान में रखते हुये कि करछना तहसील में फसल खराब है और रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार अगर फसल खराब हो तो मुल्तवी किये लगान को माफ करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

सर्वश्री न्यायाधीश जेम्स व वर्मा द्वारा न्यायालयों में क्लिष्ट हिन्दी प्रयोग करने की कड़ी आलोचना

*१७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसका ध्यान इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जेम्स व जस्टिस वर्मा के उस फैसले की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें उन्होंने सितम्बर, १९५९ के प्रथम सप्ताह में वहां के एक मैजिस्ट्रेट द्वारा एक कत्ल के मामले में अपने फैसले में हिन्दी शब्दों व वाक्यों के सम्बन्ध में Stricture पास करते हुये लिखे हैं कि :—

> "We feel sure that when the Legislature made Hindi a language of our courts, they did not contemplate the type of Hindi which the Magistrate has employed. It is fundamental in judicial proceedings for the parties to be able to understand them. What is more, in our Criminal Law, the accused person is required to explain the various circumstances that appear against him from the evidence, and since it is done in the form of questions and answers, it is essential that the questions which the court puts to him, are formulated in a language which he can readily understand."

"It was absurd for the Magistrate to have used the Hindi that he did in questioning the accused, for it could never be understood by vast majority of the litigants of this State still less by the illiterate villagers who are accused in this case."

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां ।

*१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि उक्त जस्टिस महोदयों ने उक्त प्रकार के शब्दों के प्रयोग का विरोध करते हुये रजिस्ट्रार को उसके फैसले की प्रतिलिपि सरकार को भेजने की आज्ञा दी है ताकि मैजिस्ट्रेटों को आवश्यक आदेश जारी किये जा सकें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह मामला कत्ल से सम्बन्धित था और उक्त मैजिस्ट्रेट द्वारा क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग के फलस्वरूप माननीय जस्टिस महोदयों को मुलजिमों को बरी करना पड़ा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो माननीय प्रश्नकर्त्ता महोदय ने जजमेंट पढ़ा होगा । उनको मालूम होगा ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने मैजिस्ट्रेटों को इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधीशों को आदेश जारी कर दिया है कि फौजदारी की अदालतों से कह दें कि आसान लफ्ज इस्तेमाल करें ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने यह आदेश दिया है कि कठिन हिन्दी का इस्तेमाल न करें, उसके साथ क्या यह भी आदेश देंगे कि अंग्रेजी में भी वे सवाल न करें और फैसले न लिखें ताकि मुवक्किलों को समझने में कठिनाई न हो और ठीक से न्याय हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जहां तक मैजिस्ट्रेटों का ताल्लुक है वह तो हिन्दी में पूछते हैं, जहां तक मेरी इत्तला है ।

श्री उग्रसेन—मेरा सवाल यह है कि मुवक्किलों को न्याय मिल सके इसीलिये यह आदेश गये ह कि कठिन हिन्दी का इस्तेमाल न हो, तो क्या इस लिये कि जनता को कचहरियों में न्याय मिल सके यह आदेश भी सरकार भेजेगी कि वह अंग्रेजी में सवाल न करें और अंग्रेजी में सवाल न बनायें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अंग्रेजी का सवाल तो नहीं है । मैजिस्ट्रेट लोग, जहां डबिल रेकार्ड नहीं होता है, सिंगिल होता है, हिन्दी में ही करते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार ने जो जिलाधीश के पास कागज भेजा है उसके साथ-साथ या उससे पहले मैजिस्ट्रेटों की सुविधा के लिये कोई सरल हिन्दी कोश बनाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हिन्दी तो अपनी भाषा है । सभी समझते हैं ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय मंत्री जी उन प्रश्नों को पढ़ कर सुनायेंगे जिनको मैजिस्ट्रेट ने उस मुकदमे में पूछा था ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—वह है नहीं हमारे पास ।

लखनऊ में शुद्ध खाद्य अधिनियम लागू करने की प्रार्थना

*१९—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अशुद्ध खाद्य पदार्थों की बढ़ती को देखते हुये उसे रोकने के लिये सरकार शुद्ध खाद्य अधिनियम लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोकथाम हेतु सन् १९५५ से इस प्रदेश में शुद्ध खाद्य अधिनियम के स्थान पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम व उसके अन्तर्गत बने नियम लागू हैं ।

*२०--श्री ऊदल—क्या सरकार के पास नगर महापालिका, लखनऊ की कार्य समिति ने १४ जून, १९६० को एक प्रस्ताव के जरिये आग्रह किया है कि लखनऊ शहर में अशुद्ध खाद्य-पदार्थों की बढ़ती को रोकने के लिये शुद्ध खाद्य अधिनियम लागू किया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शुद्ध खाद्य अधिनियम है उसको क्यों नहीं लागू किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह ऐक्ट रिपील हो गया है । उसमें कमजोरियां थीं ।

श्री ऊदल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज प्रदेश में बहुत से दूकानदारों को अखाद्य सामान बेचने के लिये सरकार की तरफ से लाइसेंस दिये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा तो हम कभी नहीं करते ।

परगनाधीश महाराजगंज के पास भूमि प्रबन्धक समितियों के प्रधानों के विरुद्ध शिकायतें

*२१--श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर))---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के परगनाधीश के यहां १ मार्च, १९५९ से ३१ अगस्त, १९५९ के अन्दर कितने ग्राम समाज की भूमि प्रबन्धक समितियों के प्रधानों के विरुद्ध ग्राम समाज की सम्पत्ति को बरबाद करने और धन के दुरुपयोग करने की शिकायतें आई हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ऐसी पांच शिकायतें आईं ।

*२२--श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपर्युक्त ग्राम समाजों की भूमि प्रबन्धक समितियों के चेयरमैनों के विरुद्ध जो शिकायतें आईं हैं उन पर परगनाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--पांचों सम्बन्धित प्रधानों के विरुद्ध आवश्यक आरोप लगाये गये । इनमें से एक की मृत्यु हो जाने के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई । एक ने स्वयं इस्तीफा दे दिया व दो को चेतावनी दी गई । इनमें से जिन प्रधानों ने ग्राम समाज को क्षति पहुंचाई थी उनसे क्षति पूर्ति कराई गई । एक मामले में अभी कार्यवाही जारी है ।

श्री अमरनाथ--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो पांच शिकायतें आयीं वह किन-किन ग्राम समाजों से आई थीं और किस प्रकार की सम्पत्ति को बरबाद करने और कितने धन के दुरुपयोग की थी तथा इन शिकायतों की जांच किन अधिकारियों से मंत्री जी ने कराई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, कई प्रश्न एक साथ कर दिये गए हैं। मैं पहले किन किन गांव समाजों से आई हैं, उनका उत्तर दिये दे रहा हूं।

१--श्री बुद्धिनिधि, प्रधान गांव समाज, करौता। इनके खिलाफ शिकायत थी गांव समाज के वृक्षों को अनियमित रूप से काटने में मदद देना। इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए और बीच ही में इनकी मृत्यु हो गई, इसलिये इस पर और कोई आगे कार्यवाही नहीं की गई।

२--दूसरे हैं श्री मेवालाल प्रधान गांव समाज रुदलापुर। इनके खिलाफ शिकायत थी गांव समाज की संपत्ति (वृक्ष) भूमि व मछली के ठेके के धन को हड़प करना। इन्होंने इस्तीफा दे दिया जो मंजूर कर लिया गया और उनसे गांव समाज की क्षति पूर्ति कराई गई।

३--तीसरे हैं श्री अकबर, प्रधान गांव समाज बरवा। इनके खिलाफ शिकायत थी गांव समाज के एक ताल के सिंघाड़े का ठेका बेचकर धन जमा न करना। इनको चेतावनी दी गई। आरोप सिद्ध नहीं हुआ पर हिसाब ठीक नहीं रखा था। इसलिये इनको चेतावनी दी गई।

४--चौथे हैं श्री सत्यनारायन, प्रधान, गांव समाज धनेवा धनेई। इनके विरुद्ध शिकायत थी गांव समाज के खलिहान को पट्टे पर उठाकर केवल आधा धन ही जमा करना। इनको चेतावनी दी गई। आरोप अंश में सिद्ध हुए। प्रधान ने क्षति पूर्ति में ४० रुपय जमा किये।

५--पांचवें हैं श्री मुसाफिरलाल, प्रधान, गांव समाज बभनौली खुर्द। गांव समाज के वृक्ष काटकर धन हड़पने का आरोप इन पर था। इनके विरुद्ध कार्यवाही जारी है। प्रधान को आरोप-पत्र दे दिया गया है।

श्री अमरनाथ--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने लागत का यह दुरुपयोग किया गया और साथ ही किस अधिकारी से इनकी जांच कराई गई थी ?

श्री अध्यक्ष--लागत तो उन्होंने कुछ अंश में बता दी है। अधिकारी और बता दें।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मान्यवर, इसमें हर एक की लागत के आंकड़े भी हमारे पास नहीं हैं और किस अधिकारी से जांच कराई गई इसकी भी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस गांव समाज के मामले में कार्यवाही अभी भी विचाराधीन है, उसमें इतनी देर क्यों हुई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--मैंने अन्त में पढ़ा था, माननीय सदस्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह गांव समाज बभनौली खुर्द है। उसमें कार्यवाही होने में देर नहीं हो रही है। प्रधान को आरोप-पत्र दे दिया गया है और कार्यवाही में जितना उचित समय लगना चाहिए उतना ही लग रहा है।

हरदोई जिले के तहसील कार्यालयों में बिजली न होना

*२३--**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला हरदोई)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने तहसील कार्यालय के भवनों में बिजली नहीं है जब कि उन नगरों में बिजली है ?

*२४--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले की हर तहसील कार्यालय भवन में बिजली न लगवाने का क्या कारण है ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि हाथ के पंखों पर खर्चा अधिक होता है, तहसील भवनों में बिजली लगवाने पर शीघ्र विचार करेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--अभी तो मान्यवर, सूचना ही एकत्र की जा रही है। सूचना इकट्ठा हो जाने पर उस पर विचार किया जायगा।

अतारांकित प्रश्न

भूमि सम्बन्धी हस्तान्तरण तथा बटवारे के दावे

१--**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट,** (जिला अल्मोड़ा) **आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ), **श्री अमरनाथ** तथा **श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)--२८-७-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १५ से २० अगस्त, १९५९ तक जिस भूमि का हस्तान्तरण (transfer) हुआ व जिस भूमि के दावे अदालत में दायर हुए उसमें से कितनी भूमि ऐसे खातेदारों की थी जिनकी जोत ४० एकड़ से अधिक थी?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--सूचना अभी एकत्र नहीं हो पाई है।

दारुलशफा में विधायकों के कमरों की पुलिस द्वारा तलाशी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना के दो प्रश्न उठाने के लिये सूचना आई है। उसमें वसे एक ही लिया जा सकता है। इस लिये मैं पहले एक को यहां पढ़कर सुना देता हूं। यह गौरी शंकर राय जी का है और कल उन्होंने नोटिस भी दिया था और दूसरा भी शायद उन्हीं का है। वह मुझे बतलायेंगे कि किस तरह से इसमें सदन की अवहेलना हुई है। वह कहते हैं कि "नियम ६५ के अनुसार हम सदन तथा उसके सदस्यों के विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान के निम्नलिखित एक प्रश्न को प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

"कल तारीख १० अगस्त, १९६० को लगभग साढ़े १२ बजे बिना कोई नोटिस दिये शहर कोतवाल श्री जगन्नाथ सिंह तथा सिटी मैजिस्ट्रेट, लखनऊ तथा २० सिपाही एवं गुप्तचर विभाग के लोगों को लेकर दारुलशफा 'ए' ब्लाक के कमरा नं० १०५ में जहां कि श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' एवं श्री रघुवीरराम, सदस्य विधान सभा रहते हैं, गए और अचानक छापा मारा जब कि दोनों माननीय सदस्य वहां उपस्थित न होकर सदन की सेवा में सदन की आज्ञा से प्रस्तुत थे। साथ ही इन्हीं अधिकारियों ने कमरा नं० १०४ जिसमें श्री भीखा लाल, सदस्य विधान सभा रहते हैं, उसे खोल कर उन्होंने उसको भी देखा। श्री भीखा लाल भी उस समय सदन की सेवा में उपस्थित थे। सदन में कल उस समय अधिकतम जोत विधेयक पर विवाद चल रहा था, जिसमें समय-समय पर मतदान भी हो रहा था। श्री भीखा लाल जी के संशोधन भी प्रस्तुत थे। इस प्रकार की सूचना मिलते ही श्री मुल्लाप्रसाद हंस, श्री रघुवीरराम तथा श्री पब्बरराम को सदन की सेवा छोड़ कर विवश होकर अपने कमरों में जाना पड़ा," इसमें आपने लिखा है अन्य लोगों के बारे में, इसमें श्री पब्बरराम जी कहां से आ गये?

श्री गौरीशंकरराय (जिला बलिया)--उन लोगों के साथ वे भी गये, वे श्री भीखालाल जी के साथ रहते हैं।

श्री अध्यक्ष--यह आपने साफ नहीं किया। खैर, ठीक है। मैं आगे का भाग पढ़ता हूं "जिससे उन्हें सदन की सेवा करने में बाधा पहुंची तथा वे मतदान आदि में भी भाग न ले सके। बिना माननीय सदस्यों को सूचित किये और उनकी अनुपस्थिति में, बिना किसी सर्च वारंट की जानकारी के उनके कमरों की तलाशी लेने से उन सदस्यों का अपमान हुआ और साथ ही सदन का भी अपमान हुआ है। दारुलशफा सदन द्वारा नियुक्त एक विशिष्ट कमेटी की संरक्षता में

भी है तथा दारुलशफा में पुलिस द्वारा किये जाने वाला कोई भी हस्तक्षेप सदस्यों का आमतौर पर अपमान है। अतएव हमारा यह निवेदन है कि नियम ६४ के अनुसार माननीय अध्यक्ष तक हमारा आवेदन पहुंचा दें ताकि वह हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकृति देकर इसे विशेषाधिकार समिति के संमुख विचारार्थ भेजने की कृपा करें। छानबीन के पश्चात् हमें ऐसा लगता है कि कुछ अन्य व्यक्ति एवं अधिकारी भी विशेषाधिकार की अवहेलना के शायद दोषी बनें।" इस पर श्री गोरीशंकर राय और श्री नारायणदत्त तिवारी जी के दस्तखत हैं। तो आप बतलायें कि इसमें सदन का अवमान किस तरह से है ?

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह प्रश्न जो हम लोगों ने प्रस्तुत किया है यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों रूप से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की मर्यादा और उनकी प्रतिष्ठा से, और अप्रत्यक्ष रूप में इस सदन की मर्यादा से संबंधित है। यह हो सकता है कि किसी भी सदस्य पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगाया जाय और उसक अनुसार वह क्रिमिनल चार्ज में गिरफ्तार भी किया जा सकता है, केवल प्रिविलेज की परम्परा के अनुसार उसका नोटिस आपके द्वारा सदन के सामने दिया जाता है। यह जो वर्तमान केस है उसमें इन सदस्यों के विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं था और न कोई सिविल चार्ज था और वे यहां पर सदन की सेवा में उपस्थित थे। उनमें से एक श्री भीखा लाल जी का संशोधन यहां उपस्थित था। अधिकतम जोत विधेयक चल रहा था और उस पर यहां बार-बार मतदान हो रहा था और संशोधनों पर विचार विमर्श हो रहा था और यहां पर उनका रहना और एक प्रकार से प्रत्येक माननीय सदस्य का रहना यहां आवश्यक था। तो दारुलशफा श्रीमन्, आप जानते हैं कि भले ही सदन के प्रिसिंक्ट्स में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ए ब्लाक में, बी० ब्लाक में, रायल होटल में तमाम माननीय सदस्य किसी भी पार्टी के हों, एक साथ रहते हैं। और उनके आवास का इन्तजाम, उनकी सुविधाओं का इंतजाम, सारा इन्तजाम एक तरफ तो राज्य सरकार का इस्टेट डिपार्टमेंट करता है और दूसरी तरफ अभी हाल ही में माननीय अध्यक्ष ने माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जो हाउस कमटी नियुक्त की है वह भी करती है। तो अगर दारुलशफा के अन्दर कोई कांड ऐसा होता है जिसमें कि पुलिस के अधिकारियों द्वारा कोई हस्तक्षेप होता है तो वह दारुलशफा का अवमान है, प्रत्येक सदस्य का अवमान है और उससे सदन का अवमान भी होता है। पुलिस अधिकारी बिना किसी प्रकार की सूचना दिये, बिना किसी सर्च वारण्ट के, बिना आपकी इजाजत लिये अगर दारुलशफा में जाकर किसी माननीय सदस्य के निवास स्थान की तलाशी लेते हैं तो वह निश्चय ही अवमान का प्रश्न है। उनको तो पहले आपसे इजाजत लेनी चाहिये थी, उसकी सूचना माननीय सदस्य को देनी चाहिये थी। आपसे कोई परमीशन नहीं ली गयी, और सीधे कमरे में लोग घुस गये और अचानक उस कमरे को उन्होंने खोला।

श्री अध्यक्ष—क्या वह कमरे खुले हुए थे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, कमरे खुले हुए थे, उसमें उनके सहायक रहते होंगे। तो वहां वे लोग गये और वहां की तलाशी ली। जब यहां पर माननीय सदस्य को पता चला तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और वे यहां सदन की कार्यवाही छोड़कर वहां गये जिससे सदन की कार्यवाही में भी बाधा पहुंची। वह सदस्य जो कि यहां पर हो रहे मतदान में भाग लेना चाहते थे, अपने महत्वपूर्ण संशोधनों पर बोलना चाहते थे, उनके वहां चले जाने से वे ऐसा न कर सके और इस सदन की सेवा से वंचित रहे जिससे कि उनको मानसिक चोट पहुंची। आप देखें श्रीमन्, मेज पार्लियामेण्ट्री प्रैक्टिस में पृष्ठ १०९ पर लिखा है—

"....It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

of its functions, or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty, or which has a tendency, directly or indirectly, to produce such results, may be treated as a contempt even though there is no precedent of the offence."

तो यहां पर इम्पीड किया गया है और टेन्डेन्सी तो है ही।

आप देखें, श्रीमन्, हाउस की एक कमेटी बनी हुई है जो दारुलशफा का इंतजाम तथा वहां के सदस्यों की सुविधाओं का प्रबन्ध करती है। तो उसका भी एक प्रकार से मोलेस्टेशन हुआ है। आगे चल कर पृष्ठ १२३ पर मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में लिखा है—

Page 124, 7th Edition)

"....conduct not amounting to a direct attempt to influence a member in the discharge of his duties, but having a tendency to impair his independence in the future performance of his duty, will also be treated as a breach of privilege."

फिर पृष्ठ १२१ पर लिखा है—

Page 122, 7th Edition)

"....It is a breach of privilege to molest a member of either House while attending such House or when coming to or going from it."

यह उनकी पर्सनल बाडी का मालेस्टेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन उनकी संपत्ति का मालेस्टेशन जरूर हुआ है। उनके घर की जो तलाशी ली गयी, उसका मालेस्टेशन है। फिर पृष्ठ १२० पर, इसी मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में दिया है—

Page 120, 7th Edition)

"Other acts besides words spoken or writings published reflecting upon either House or its proceedings which, though they do not tend directly to obstruct or impede either House in the performance of its functions, yet have a tendency to produce this result indirectly by bringing such House into odium, contempt or ridicule or by lowering its authority may constitute contempts."

जब दारुलशफा में इस प्रकार से अनधिकृत रूप से पुलिस जाती है तो हाउस के मेम्बरों का प्रेस्टीज लोअर होता है, जो इसमें भी आ जाता है। बाकी बातें समिति के सामने आ जायंगी।

श्री अध्यक्ष—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—यह मेरे कमरे के पड़ोस का मामला है, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री उग्रसेन—आपके सामने नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मैंने स्वयं देखा है, मेरे कमरे के बगल की बात है, हमारी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैं जिसकी राय लेना चाहूंगा उससे बोलने के लिये कहूंगा। इस वक्त तो प्राइमा फेसी केस जज करने के लिये पूछ रहा हूं।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, मैं तो माननीय नारायणदत्त जी तिवारी के भाषण को सुन रहा था और समझने की चेष्टा कर रहा था कि किस वजह से आखिर यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है। किसी भी प्रकार से हम इसको लें, कई बातें हो सकती हैं। जैसे मैं यहां बैठा हूं श्रीमन् के सामने और मेरे पास चपरासी आकर यह कहे कि घर से फोन आया है कि एक बच्चा बीमार है, मैं उठकर चला जाऊं। मुझे नहीं पता है कि घर के लोगों को ब्रीच आफ प्रिविलेज के लिये बुला लिया जायगा या नहीं; या कोई भी घटना हो, कोई भी चीज जिसकी वजह से यहां से उठकर जाना पड़े, अगर वह ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जाय तो मैं नहीं समझ सकता कि ब्रीच आफ प्रिविलेज क्या नहीं है।

जहां तक ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न है, यह सही है कि सदन में यदि कोई माननीय सदस्य बैठे हैं या सदन के प्रिसिंक्ट्स के अन्दर उनको किसी भी प्रकार से मोलेस्ट किया जाय या किसी भी प्रकार से अरेस्ट किया जाय या उन्हें किसी प्रकार से सदन में कार्य करने से रोका जाय, तो मोलेस्टेशन और आब्स्ट्रक्शन के सम्बन्ध में जितने भी विधि संग्रह मिलेंगे....

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि फैक्ट्स को आप ऐडमिट करते हैं या नहीं--जो वाकयात इन्होंने बयान किये हैं--क्योंकि आपको इत्तला होगी कि ऐसी चीज हुई या नहीं हुई, उसी पर कोई चीज आधारित होगी।

***गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**--इस विषय में आपने कृपा की कि पहले फैक्ट्स के लिए आज्ञा दी कि यहां पेश करूं। यह कार्यवाही यहां के स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने की और उनसे जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके आधार पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता था।

पहली बात तो यह है कि शायद इस मोशन में कहा गया कि १०४ और १०५ नम्बर के कमरों का जिक्र है। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि पुलिस ने १०५ नम्बर जो श्री मुल्ला प्रसाद हंस के नाम से एलाटेड है और जिसमें श्री पब्बरराम एम० एल० ए० भी रहते हैं उसी का उन्होंने चेकिंग किया, दो कमरों में नहीं। मुल्ला प्रसाद जी का कमरा १०५ नम्बर का है और पब्बरराम जी भी उसी में रहते हैं।

दूसरी बात यह कि उन्होंने जो लिखा है वह यह कि कोई सर्च नहीं की गयी। सर्च की एक खास विधि होती है, श्रीमन्। कोई सर्च उन्होंने की नहीं। उनकी रिपोर्ट यह है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को हमारे बहुत विश्वस्त सूत्रों से यह रिपोर्ट मिली कि जिन लोगों के विरुद्ध वारंट हैं --कुछ लोगों का स्टूडेंट्स एजीटेशन के सम्बन्ध में--वह दारुलशफा में इस नम्बर के कमरे में हैं। उनके विरुद्ध वारंट था। उनकी खोज पुलिस कई दिनों से कर रही थी। उन्हें यह भी सूचना मिली कि साढ़े बारह बजे के करीब या एक बजे के करीब दफा १४४ को तोड़ करके काउन्सिल हाउस के सामने डिमांस्ट्रेशन होने वाला है और इसकी सूचना नोटिसों से भी उन्होंने छाप कर बांट दी थी--जो मेरे पास अटेच्ड है--जिसमें लिखा था कि १० तारीख को आम हड़ताल करें और विधान सभा के सामने प्रदर्शन करें। उनको सूचना थी कि ऐसा होने वाला है। यह भी सूचना मिली कि कुछ लोग यहां आ रहे हैं, इस कमरे में हैं और वह इस डिमान्स्ट्रेशन को लीड करेंगे और वहां जायंगे। साथ ही साथ उन्हें यह भी सूचना मिल गई कि विद्यार्थी एक साथ तो नहीं, लेकिन दो-दो तीन-तीन की संख्या में काउंसिल हाउस के सामने जा रहे हैं डिमांस्ट्रेशन करने के लिये और वहां १४४ को भी डिफाई करेंगे। यह सूचना पाकर डी० वाई० एस० पी० कुछ आदमियों को लेकर दारुलशफा के कमरा नं० १०५ में गये। कमरा खुला हुआ था, वह भीतर घुसे। उन्होंने देखा कि इसमें कोई नहीं है। इसलिये वह तुरन्त ही वापिस आये। उनका कहना है कि उन्होंने कोई सर्च वगैरह नहीं ली। मुश्किल से एक मिनट लगा होगा इस कार्य में कि वह भीतर कमरे में गये, देखा कि कोई नहीं है और वह बाहर आ गये। उनको अन्दाज लग गया कि किसी प्रकार से उनको खबर लग गई कि पुलिस आ रही है इसलिये वह किसी रास्ते से निकल गये। जुलूस की जो कोशिश हो रही थी वह कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उनको डिस्पर्स किया, इसलिये जुलूस यहां आ करके प्रदर्शन नहीं करने पाया। यह तो फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सम्मुख निवेदन किये। अब अगर आप आज्ञा देंगे तो दो एक बातें और निवेदन करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--आपने जो बाहर की चीजें कहीं कि पुलिस को क्या-क्या मालूम हुआ उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्ध केवल इस बात से है कि पुलिस ने वहां पर क्या कार्यवाही की। केवल इस सीमा तक अगर आपको कोई और सूचना देनी हो तो दे सकते हैं कि पुलिस ने वहां पर क्या-क्या किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह तो मैंने निवेदन कर दिया कि कमरा खुला हुआ था, वह अन्दर घुसे, उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है, इसलिये वह वापिस आ गये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, इस सदन के सामने इसके तथ्य आये, मैं उन्हीं तथ्यों पर आज की इस कार्यवाही को आधारित करने की चेष्टा करूंगा। पुलिस वाले लोगों को यह इत्तिला मिली कि कुछ लोग अन्दर हैं और उनको देखने के लिये पुलिस दारुलशफा गई। इसके साथ में मैं एक चीज एनालोजी के तौर पर कह देना चाहता हूं कि हजरतगंज में या अमीनाबाद में एक डाकू पुलिस को मिल जाता है, वह डाकू वहां से भागने लगता है और भागते-भागते दारुलशफा की तरफ आ जाता है और दारुलशफा का एक कमरा खुला हुआ है, सम्बन्धित सदस्य उसमें नहीं हैं--संयोग से खुला हुआ है--वह डाकू उसके अन्दर घुस जाता है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--प्राइमा फेसी केस कुछ कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाता है, इस कारण किसी वक्ता को जरा भी नहीं टोकना चाहिये। अगर गुस्सा भी आ जाय तो उसको जब्त करना चाहिये। आपका मौका आयेगा तो आप लोगों को भी बुलाऊंगा, लेकिन जब एक सदस्य बोल रहे हैं तो उनको आप सुनते रहें। तभी कुछ विचार किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, मैं किसी आवेश की बात नहीं करना चाहता। मैं तो शांतिपूर्वक विचार विमर्श करना चाहता हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि इन परिस्थितियों में यदि पुलिस उस व्यक्ति का पीछा कर रही है और उस कमरे के अन्दर चली जाती है तो क्या कभी भी इस में सदन के अवमान का प्रश्न पैदा हो सकता है? बहुत पुराने काल से सन् १६६८ से यह चीज चलती है और उस समय से निरन्तर इसके सम्बन्ध में जो नियम और परिपाटी बनती गई उसमें परिवर्तन होते चले आये। प्रारम्भ में १६६८ में यहां तक चला कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप है तो वह किसी भी प्रकार का आरोप हो, लेकिन उसे गिरफ्तार करने में कुछ बाधायें प्रस्तुत थीं। उसके बाद धीरे-धीरे परिपाटी आगे बनती चली गई और आज जो निश्चित परिपाटी है और विधान की भी निश्चित धारणा है वह मेज की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ७८ पर है :--

> "The privilege of freedom from arrest is limited to civil causes, and has not been allowed to interfere with the administration of criminal justice or emergency legislation. In early times the distinction between 'civil' and 'criminal' was not clearly expressed. It was only to cases of 'treason, felony and breach (or surety) of peace' that privilege was explicitly held not to apply."

इसमें साफ है कि इस प्रकार के आरोपों में प्रिविलेज का प्रश्न तो बनता या उठता नहीं है। यहां तो प्रश्न केवल इतना सा है कि किसी व्यक्ति को देखने के लिये पुलिस दारुलशफ़ा में गई। दारुलशफ़ा इस सदन के प्रिसिन्क्ट्स में नहीं है। मुझे क्षमा करेंगे मेरे मित्र नारायणदत्त जी। उन्होंने एक बड़ी विचित्र सी बात कही। उन्होंने कहा कि दारुलशफा का अवमान हो गया और इससे सदन का अवमान हो गया। दारुलशफा कौन सा परसोना ग्रैटा है, कौन सा व्यक्ति है जिससे इस सदन का अवमान हो गया, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। दारुलशफा कौन से व्यक्ति का नाम है, मुझे मालूम नहीं है। मैं इसमें अपनी अज्ञानता स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह स्लिप आफ़ टंग था। यह सही है कि ऐसा उन्होंने कहा। मुझे भी स्ट्राइक हुआ था। मैंने उसका यह अर्थ लिया कि दारुलशफा के रहने वाले सदस्यों का अवमान हुआ। यह उनका मतलब था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमन्, यह आपके विचार करने की उदारता है। लेकिन मेरे मित्र के मस्तिष्क में सचमुच यही था कि दारुलशफा नाम के किसी व्यक्ति का अवमान हो गया तो उससे सदन का अवमान हो गया। यदि कोई माननीय सदस्य यहां से उठ कर दारुलशफा में चला जाता है, उसे पता चले कि वहां पुलिस आई है, और फिर कहने लगे कि सदन का अवमान हो गया, तो यह कहां तक उचित है?

एक बात आपकी आज्ञा से और कहना चाहता हूं। पुलिस को हमेशा अधिकार है कि किसी व्यक्ति का पीछा करे, उसे गिरफ्तार करे, वारन्ट मिल सकता है या नहीं। कभी-कभी वे परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें वारन्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है और आदमी का पीछा करना पड़ता है। उस स्थिति में यदि वारन्ट न भी मिले और वह पीछा करे तो भी कानूनन वह बात जायज़ है। मैं जाब्ता फौजदारी की धारा ४७ और ४८ के कुछ अंश आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहूंगा। धारा ४७ में है कि--

"If any person acting under a warrant of arrest, or any police officer having an authority to arrest, has reason to believe that the person to be arrested has entered into, or is within, any place, any person residing in, or being in charge of such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such police officer, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein."

धारा ४८ कहती है--

"If ingress to such place cannot be obtained under section 47, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a police officer to enter such place and search therein and in order to effect an entrance into such place to break open any outer or inner door or window of any house or place."

मैं केवल इन शब्दों पर जोर देना चाहता हूं--

"and in any case in which a warrant cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape."

मुझे क्षमा करेंगे मेरे मित्र यहां यह निवेदन करने के लिये कि पुलिस का वह कार्य लाफुल था या अनलाफुल था, उसके लिये दूसरा स्थान है। यदि कोई अनलाफुल कार्य भी किया गया तो उसके लिये यह स्थान नहीं है। यह स्थान तो केवल यह बतलाने के लिये है कि इस सदन का अवमान किस प्रकार से हुआ। माननीय गृह मंत्री ने बतलाया कि पुलिस को सूचना मिली और सूचना मिलने पर वे दारुलशफा में गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि पुलिस के अधिकारी इस प्रकार गये। यदि केवल इतनी सी बात है कि पुलिस के अधिकारी दारुलशफा में गये, एक कमरे में गये, सर्च उन्होंने की नहीं, तो कौन सा अवमान का प्रश्न है? दारुलशफा में पुलिस के अधिकारी जाते हैं, रेल के अधिकारी जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी जाते हैं और दूसरे अधिकारी भी जाते हैं। अगर इन सब से सदन का अवमान होने लगे तो मैं इसे नहीं समझ सकता। मेरे मित्र ने ३, ४ चीजों का जिक्र किया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि शायद इस सदन का कुछ अनावश्यक समय लेना होगा। लेकिन चूंकि उन्होंने जिक्र कर दिया, इसलिये मुझे उसके सम्बन्ध में जरूर कहना होगा। उन्होंने कहा कि कनटेम्ट के सम्बन्ध में जनरल धारणा मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह है कि--

"It may be stated generally that any act or omission which obstructs or impedes either House of Parliament...."

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

कोई काम यहां पुलिस का ऐसा नहीं था जिससे इम्पीडिन्ग का कार्य हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति किसी के कमरे पर आवे और यहां से वह माननीय सदस्य उठ कर जावें और इससे यहां की प्रोसीडिंग्स इम्पीड होने लगे, तो इसके लिये मैंने पहले ही एक उदाहरण श्रीमन् के सामने रखा था। बहुत से उदाहरण भी हैं कि किस प्रकार इम्पीडिन्ग और आब्सट्रक्शन हो सकता है।....

एक सदस्य--पूरा पढ़िये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--मैं अपने मित्र की इच्छा की पूर्ति किये देता हूं। पूरा पढ़ता हूं।

"or which obstructs or impedes any member or officer of such House in the discharge of his duty."

कैसे इस कार्य में किसी के कर्त्तव्य-पालन में बाधा उपस्थित हुई? अगर कोई आदमी यहां से उठ कर जावे और स्वेच्छा से जावे, तो कर्तव्य-पालन में बाधा कभी भी नहीं होती। वह चाहता तो यहां बैठे रह सकता था। वह कहता कि आई होगी पुलिस, मैं क्यों जाऊं। मैं काफ़ी जोर के साथ कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत थी उनको जाने की। वह क्यों गये? क्यों उनको जाने की आवश्यकता पड़ी? वह कहते कि यदि मेरे खिलाफ़ कोई वारन्ट होगा तो मुझे गिरफ्तार किया जायगा, मेरा कमरा खुला हुआ है, मेरा आदमी वहां है, पुलिस को जो भी करना होगा वह करे। चूंकि वह उठ कर चले गये और सदन के अवमान का प्रश्न पैदा हो गया, यह सम्भव नहीं है।

उन्होंने पृष्ठ १२०, १२१ और १२३ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि--

"obstructing members of either House in the discharge of their duty."

जो कुछ उन्होंने कहा उसे पढ़ देना चाहता हूं।

"It is a contempt to cause or effect the arrest, save on a criminal charge, of a member of the House....."

अगर कोई गिरफ्तार भी होगा तो कोई कनटैम्प्ट नहीं है। इसके अलावा किसी और चीज में अरेस्ट किया जायगा तो वह कनटैम्ट का प्रश्न होगा। पृष्ठ १२१ पर मेरे मित्र ने मोलेस्टेशन की बात पढ़ी। मोलेस्टेशन का शाब्दिक अर्थ तो हमारे मित्र को मालूम होगा क्योंकि वह मुझसे कुछ ज्यादा ही शिक्षित हैं। लेकिन मोलेस्टेशन का जो अर्थ विधि-विधान में लगाया जाता है, वह बात उनको ज्ञात है या नहीं? मोलेस्टेशन में हमेशा फ़िज़ीकल मोलेस्टेशन होता है। मोलेस्टेशन का कभी कोई दूसरा अर्थ होता नहीं। उन्होंने जो पढ़ा उसके नीचे की केवल दो पंक्तियां और पढ़ देते तो ज्यादा अच्छा होता। उन पंक्तियों में यह है--

"That the assaulting, insulting or menacing any member of this House, in his coming or going from the House, or upon the account of his behaviour in Parliament, is an high infringement of the privilege of this House."

मेरे मित्र की यह इच्छा हो जाय और वे उठ कर चले जायं तो क्या वह मोलेस्टेशन हो जायगा? मालूम नहीं वह किस प्रकार से मोलेस्टेशन हो जायगा? १२३ पृष्ठ पर फिर जिक्र किया गया है--

"Act tending indirectly to obstruct Members in the Discharge of their Duty."

लेकिन उसके नीचे की दो पंक्तियों को उन्होंने पढ़ने की कृपा नहीं की; वे इस प्रकार हैं--

"Conduct not amounting to a direct attempt to influence a member in the discharge of his duties, but having a tendency to impair his independence in the future performance of his duty, will also be treated as a breach of privilege."

तो प्रत्येक स्थान पर इस बात पर जोर दिया गया है कि "इन डिस्चार्ज आफ ड्यूटीज" (in discharge of duties) और "इन फ्यूचर डिस्चार्ज आफ हिज ड्यूटीज" (in future discharge of his duties)। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्यों किया गया और किसने किया ? आप किसी कारण से सदन से उठ कर जायं और उसमें आपका मोलेस्टेशन हो जाय या इन्टीमिडेशन हो जाय या और दुनिया की सारी चीजें हो जायं। इसलिये, श्रीमन्, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि यह किसी भी प्रकार से प्रिविलेज का प्रश्न नहीं है बल्कि बहुत ही साधारण घटना है।

एक चीज अन्त में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह दारुलशफा का ही प्रश्न नहीं है। यह तो कहीं का भी प्रश्न हो सकता है जहां कि विधायक लोग रहते हैं। मान लीजिये जहां वे रहते हैं वहां उनकी इजाजत से कोई दूसरे लोग उनके पीछे रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति उनकी इजाजत से आकर रहेगा। ऐसी विधायकों से तो आशा नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके पास रहते हुए किसी साहब के पास कोई आदमी आकर रहता है जिसकी पुलिस को आवश्यकता है या जो चोर है। अब पुलिस को पता लगा कि चोर वहां छिपा हुआ है और पुलिस उसको देखने के लिये, उन अधिकारों के अन्तर्गत वहां जाय, जो पुलिस को मिले हुए हैं, तो वह क्या होगा ? क्या इस वजह से कि वहां विधायक रहते हैं, पुलिस वहां न जाय और अपना कार्य न करे ? अगर इस प्रकार वह कर्तव्य पालन करे तो मेरी समझ में कोई अवमान का प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं घटना के सम्बन्ध में केवल दो-एक मिनट में आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं और बड़ी संजीदगी के साथ। माननीय आचार्य जी खास तौर से सुनें। कल १२ बजे के बाद जब मैं पानदरीबा से सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर से आया तो दारुलशफा में जहां लिफ्ट है वहां नीचे मैंने कम से कम ५० आदमियों को जो साधे वेश में थे, देखा। वे लाइन लगा कर खड़े थे मानों कि लड़के प्रार्थना करने के लिये खड़े हुए हों। उसके बाद मैंने दो-तीन दर्जन लोह टोपधारियों को लेकर पुलिस के आफीसर को देखा। मैं वहां खड़ा हो गया। मुझे वहां कोई पहचानता न था। खड़े होकर मैंने देखा कि वह मोटे तगड़े अफसर साहब १०४ नम्बर के कमरे में घुसे और डंडे से ठप-ठप की, जैसे ग्वाला भेड़ों के अपने झुंड के लिये करता है।

श्री अध्यक्ष—आप उपमाएं न दीजिये।

श्री उग्रसेन—वे कमरे में घुस गये और उनके घुसने के बाद लोह टोप धारी लोग भी कमरे में घुस गये और उनकी वजह से बाद में उनको निकलने में तकलीफ हुई क्योंकि बीच में लोह टोपधारी पुलिस आ गयी थी और कहा जाता है कि एक मिनट में वे बाहर निकल आये। एक मिनट में कमरे के अन्दर से वे किसी प्रकार भी नहीं आ सकते। और वहां से वह लोह टोप-धारी पुलिस, कमरे से फाटक तक नहीं गई बल्कि कमरा नं० १०५ में घुस गई जहां कुछ लड़के बैठे थे, वहां भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद वह कमरा नं० १०६ पर पहुंची, ताला बन्द था, उसने ताले पर डंडा मारा। उसके बाद मेरा कमरा नं० १०७ है, बदकिस्मती से १०७ एक अशुभ अंक है यही मेरा कमरा है, मेरे कमरे पर भी वह लोग गये और मेरे ताले पर भी डंडा मारा, उस वक्त हमें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सोचा कि अगर बोलते हैं, तो धक्का देकर पहले यह ले जायंगे और सदन में प्रश्न तो बाद में ही उठेगा। इसलिये चुप रह गये। उसके बाद उन्हें सब्र न हुआ तो पाखाने पर भी डंडा मारा। जब ताला बन्द था तो फिर पाखाने पर डंडा मारने का क्या तुक था ? उसके बाद फिर श्री पब्बरराम जी के पास गये, उसके बाद सब नेताओं से कहा गया और उसके बाद सब जगह फोन हुआ। यह सब तमाशा हुआ और कहा जाता है कि सर्च नहीं हुई।

आचार्य जी ने सर्च की बात कही, बचपन में तो सर्च होती थी, लेकिन दारुलशफा में यह नया अनुभव हुआ। अन्दर जाकर घुसकर देखा गया, चटखनियों को दबा कर देखा गया,

[श्री उग्रसेन]

डंडों से दरवाजों के ताले देखे गये, मैं वहीं घूम रहा था, मुझे देख कर वह घूर रहे थे और ताक रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई यह पूछने की कि आखिर यह है कौन। सर्च का दुनिया में यह कायदा होता है कि मकान मालिक को साथ में लेकर मौका दिया जाता है कि शायद कोई बम न रख दे, अगर कोई पब्बरराम जी के यहां बम रख दे तो चाहे सवाल सदन में उठे या न उठे वह तो गये सात साल के लिये, छुट्टी हुई। तो क्यों कमरे के मालिक को पुलिस ने इत्तला दकर साथ नहीं लिया? सर्च के लिये वह गये थे या तफरीह के लिये गये थे? फैक्ट को छिपाया नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष--आप फैक्ट्स ही बताइये।

श्री उग्रसेन--यही फैक्ट है, श्रीमन्, कि पुलिस वहां तफरीह के लिये नहीं गई बल्कि सर्च के लिये गई। यह भी कहा गया कि इसमें सदन का अवमान नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष--आप इस बहस में नहीं जा सकते आप फैक्ट्स बतायें।

श्री उग्रसेन--मुझे निजी जानकारी है क्योंकि मैं भी मंत्रणा समिति का सदस्य हूं, और आज से सदस्य नहीं हूं माननीय गृह मंत्री जी के जमाने से हूं। किसी के पास अगर कोई बैठा था तो उनसे क्या मतलब, २ लड़के कल बैठे थे उनकी रिपोर्ट देख ली जाय, कहते हैं कि फर्जी नाम लिख लो, फर्जी नाम रजिस्टर में क्यों हैं? हम आज कहते हैं कि अगर इस तरह से कमरों में कोतवाल आयेंगे, सी० आई० डी० आयेंगे तो झगड़े होंगे और फिर ऐसे सवाल ही नहीं और ज्यादा बात बढ़ेगी। हम इसे बरदाश्त नहीं करेंगे....

श्री अध्यक्ष--आप कायदे से बात करें, जो घटना दारुलशफा में हुई, केवल उसके बारे में ही कहें।

श्री उग्रसेन--बस, अब क्या कहें? यही सब वहां हुआ।

***श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष--आप केवल घटना के विषय में जो आपकी जानकारी है उसी पर प्रकाश डालें, कानूनी बात आप न कहें।

श्री गौरीशंकर राय--यदि आप इजाजत दें तो माननीय लक्ष्मीरमण जी ने जो बातें कहीं हैं उनमें से दो-एक बातों की तरफ मैं जरा-सा इशारा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं इस विषय में कानूनी राय नहीं चाहता, अगर घटना के बारे में आपको कुछ मालूम हो तो आप कहें।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, अगर आप की इजाजत हो तो श्री लक्ष्मीरमण जी आचार्य ने जो कुछ कहा है उन सब के बारे में नहीं बल्कि केवल दो-एक बातों की तरफ ही मैं जरा-सा ध्यान दिलाना चाहता हूं और अगर ऐसा मैं न करूंगा तो शायद कुछ बातें रोशनी में न आ सकें।

श्री अध्यक्ष--वह तो रोशनी में आ सकती हैं, आप घटना के बारे में ही कहें।

श्री गौरीशंकर राय--घटना के संबंध में अभी मंत्री जी ने बताया कि कमरा नम्बर १०४ व १०५ पर पुलिस गई। कमरा नं० १०४ श्री शीखालाल जी का है। उसमें उनका जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दस बारह-साल का लड़का नौकर है वह था, १०५ नम्बर के कमरे की बाहर से चटखनी बन्द-थी और उसमें एक छोटी बच्ची खेल रही थी, वह श्री झारखंडे राय की ४ साल की लड़की थी। उसने कहा कि हमारे भीखा चाचा के कमरे में पुलिस गई है। पहले पुलिस ने १०४ नम्बर के कमरे पर खिड़की के पास से चिक उठाई, वह भीतर खुला था, उसको देखा कमरा खुला था, उसके भीतर गये। सही बात है १०४ नम्बर के कमरे में पाखाने के अन्दर नहीं गये। भीतर वाला कमरा खुला था, बाहर से दिखाई देता था। जितने लोग थे सब नहीं घुसे, कुछ घुसे। इसीलिये मैंने प्रस्ताव में लिखा है कि उन्होंने १०४ को देखा, १०५ में काफी घुसे, पाखाने की तरफ गये, भीतर जो कमरा होता है उसमें देखा। बड़ी दरी जो कमरे में बिछाई जाती है वह लपेट कर रखी हुई थी--उसमें आदमी तो घुस नहीं सकता है पहले तो उन्होंने उसे लाठी से मारा, फिर उलटा-पलटा। कुछ कागजात रखे थे, पार्लियामेन्टरी क्वैश्चंस, रिजोल्यूशंस वगैरह थे, उन्हें डंडे से कुछ को उलट दिया और कुछ लात से इधर-उधर कर दिये। उसके बाद वहां से वह चले गये।

जो हमारे मंत्री जी ने कहा है कि बड़ी साधारण घटना है, इसलिये मैं कहता हूं। अगर वह केवल प्रिविलेज के संबंध में ही कहते कि प्रिविलेज का विषय नहीं है तो वह तर्क का प्रश्न था। लेकिन वह इस मामले को साधारण घटना समझते हैं। बच्चे के बीमार होने पर घर लौटना और यहां पुलिस की तलाशी घर में घुस कर लेना, मैं समझता हूं कि यह बहुत अनुचित बात है। ७८ पेज पर जो मंत्री जी ने पढ़कर सुनाया है, उसमें खुद उन्होंने कंट्राडिक्शन किया है। यह मेम्बर के अरेस्ट का मामला है....

श्री अध्यक्ष--आप कानूनी बहस न करें।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, मैं इतनी बात अवश्य कहना चाहता हूं कि मेम्बर्स मौजूद नहीं थे, मेम्बर्स को जानकारी नहीं थी और उनकी गैर मौजूदगी में घुसकर तलाशी ली गई। इसको माननीय मंत्री जी अगर साधारण घटना समझते हैं तो मैं समझता हूं कि वह बड़ी आसानी के साथ इसका स्वागत करेंगे।

(कई सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष--मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूंगा कुछ कहने के लिये। मैं अभी फैसला नहीं दे रहा हूं। अब जो कुछ कहना है फैक्ट्स के बारे में या राय देने के बारे में, तो मेरे कमरे में सदस्य दे सकते हैं। मैं कल इसका फैसला दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--लॉ पाइंट के बारे में भी इजाजत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--मेरे कमरे में दे सकते हैं।

श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)--फैक्ट्स के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मेरे कमरे में कहियेगा। अब दूसरा सवाल मैं कल लूंगा क्योंकि एक वक्त में एक ही लिया जा सकता है।

श्री गौरीशंकर राय--अगर आज ले लेते तो उस पर भी कल निर्णय दे देते।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके उसके बारे में और जानकारी हासिल कर लें और सिर्फ अखबार तक ही अपनी जानकारी सीमित न रखें। उनसे पूछ-तांछ भी कर सकते हैं। मैं भी पूछ-तांछ कर सकता हूं। इसलिये कल के लिये ही रखा है, वह ज्यादा उचित होगा।

माताटीला बांध की रक्षक दीवार और पिंचिंग के बह जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी जी का मैंने स्वीकार किया है । जो इस प्रकार है --

"नियम ५२ के अनुसार मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माताटीला बांध (जिला झांसी) पर बांध के दक्षिण किनारे पर लगभग १।। लाख रुपये से गाइड वाल(रक्षक दीवार)और पिंचिंग हाल ही में बनकर तैयार हुई थी; वह ३ अगस्त, ६० को लगभग ३०० फीट लम्बी दीवार और पिंचिंग बह गई है और बाकी दीवार बहने का अन्देशा है । उक्त दीवार को मैं स्वयं ७ अगस्त को बांध पर जाकर, देख कर आ रहा हूं। उक्त दीवार और पिंचिंग के बह जाने से लगभग ७० हजार रुपये की हानि होने का अनुमान है। दो वर्ष पूर्व भी इसी किनारे पर लगभग १९ हजार रुपये से एक माता घाट बनाया गया था। नदी में बाढ़ आते ही वह भी पूरी तरह बह गया था और किनारे की काफी जमीन कट गई थी। इसके बाद ही किनारे की रक्षा के लिये यह दीवार और पिंचिंग बनाई गई थी। उक्त दीवार और पिंचिंग बह जाने से तथा जमीन के कटाव के कारण बांध के किनारे पर बनी इमारतों और बाजार और बस्ती को भी हानि पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है जिसके कारण उस क्षेत्र के समस्त निवासियों में चिन्ता व्याप्त हो गई है ।

अतएव माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संबंध में वह अपना स्पष्टीकरण इस माननीय सदन में देने की कृपा करें ताकि वहां के निवासियों में फैली हुई आशंका दूर हो सके ।"

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मुझे कुछ समय दिया जाय, तभी मैं कुछ प्रकाश डाल सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष--कल उत्तर दे सकेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--कल तक तो संभव नहीं है । साधारण इत्तला तो मैं दे सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष--पहला सवाल तो यह है कि ऐसा हुआ भी कि नहीं ।

श्री गिरधारीलाल--थोड़ा-सा नुकसान हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप २२ तारीख को ही सूचना दें ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में सरकारी कर्मचारियों के लिये कानून की शिक्षा की व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--अब माननीय शिक्षा मंत्री माननीय राम सुन्दर पांडेय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ क्लासेज के संबंध में ध्यान आकृष्ट करने वाले प्रस्ताव पर वक्तव्य देंगे।

***गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)**--इस प्रस्ताव में माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि इस साल विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार ने आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया जिसके कारण लॉ क्लासेज कर्मचारियों के लिये खोलना असंभव है । इस संबंध में मुझे यह कहना है कि न सरकार से इसके लिये कोई रुपया मांगा गया था और न सरकार ने उसे रुपया देने से इनकार किया है और न उनसे यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहा है कि आप कक्षायें न खोलिये। जो सूचना है वह यह है कि लॉ क्लासेज के लिये पिछले साल ५ सेक्शन्स थे, प्रीवियस के लिये और सेकेन्ड ईयर के ४ सेक्शन्स थे और इनमें सरकारी व गैर-सरकारी सभी लोग पढ़ते थे। इनका जो खर्चा है वह विश्वविद्यालय इन अतिरिक्त कक्षाओं की आमदनी से ही चलाता है। सरकार से कोई पैसा न दिया गया और न मांग की गयी। रिपोर्ट यह है कि इस साल ७९३ लोगों को प्रवेश-पत्र दे दिये गये हैं और १०० प्रार्थना-पत्र ऐसे हैं जिन पर विचार जारी है। अतः कक्षाओं को तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता . . . .

श्री अध्यक्ष--सरकारी, गैरसरकारी सभी लोग हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

श्री अध्यक्ष-- यह प्रश्न तो उठता ही नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि जो सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी हैं उनके नामों की तालिका उनके पास आयी है कि करीब ३०० व्यक्ति ऐसे हैं जिनके नाम नहीं लिखे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने कहा कि आज तक केवल सरकारी, गैर-सरकारी छात्रों के लगभग ६० और ४० प्रार्थना-पत्र विश्वविद्यालय के विचाराधीन हैं और अभी भर्ती जारी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री पुनः इसकी जानकारी करेंगे कि प्रार्थना-पत्र लोग देते हैं लेकिन कार्यालय में लेते ही नहीं और उन्हें वापस कर देते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत से लोगों के एडमीशन्स यहां की हर कक्षाओं में रिफ्यूज हुए हैं, हजारों लड़के हैं जिनके लिये स्थान नहीं रहता। आप देखें हमारे पास जो तालिका है वह यह है कि गत वर्ष ८४९ लड़के थे, और सेक्शन्स ५ थे प्रीवियस में ५४० लड़के थे। फाइनल में और ४ सेक्शन्स थे। इस वर्ष ७९३ विद्यार्थियों को प्रवेश-पत्र दे दिये गये हैं प्रीवियस के लिये केवल १०० ऐसे प्रार्थना-पत्र रह गये हैं जिन पर अभी विश्वविद्यालय विचार कर रहा है। इससे प्रत्यक्ष है कि कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। जितने लड़कों के लिये जगह है उतने लड़कों को वे ले रहे हैं।

पश्चिमी जिलों में खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--श्री टीकाराम पुजारी द्वारा १० अगस्त को दी गयी सूचना पर माननीय खाद्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, पुजारी जी ने यह कहा है कि मई में जब फसल आती है तो उस वक्त भाव बढ़ते हैं। तो लीन पीरियड में भाव बढ़ते ही हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा कि २०, २१ रुपया भाव हो गया, तो उसके बारें में मैंने पता चलाया। आप देखें कि हापुड़ में ६-८-६० को गेहूं का भाव १७.३७ था। एक बात अर्ज कर दूं कि लाल गेहूं सफेद गेहूं के मुकाबले में १ रुपये कम रहता है। सफेद गेहूं की कीमत ५-६-६० को १६.०० और ६-८-६० को १७.३७ थी। तो दो रुपये की लीन पीरियड में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। बुलन्दशहर में ६-५-६० को १५.५० और ६-८-६० को १७.२५ कीमत थी। मेरठ में ६-५-६० को १७.२५ और ६-८-६० को १८.५० कीमत थी और आगरे में ६-५-६० को १६.५० और ६-८-६० को १८.२५ कीमत थी। तो दो रुपये से ज्यादा कहीं अन्तर नहीं है। इसी तरह से हापुड़ में ६-८-५८ को गेहूं की कीमत २१.३७ थी और इस साल १७.३७ है और ५९ में १८.२५ थी। इसलिये कीमत कोई ज्यादा नहीं मालूम होती।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

चना जो मोटा अनाज है उसमें भी आप देखें कि हापुड़ में ६-५-६० को १३.५० और ६-८-६० को १५ रुपये कीमत थी। मेरठ, मथुरा तथा मुजफ्फरनगर में ६-५-६० को १३.६२, १३.३७ और १३.५० रुपये कीमत थी। और ६-८-१९६० को १५.८१, १५.२५ और १५.३७ रुपये कीमत थी। आप देखें कि २ रुपये से कहीं अधिक अन्तर नहीं है।

जौ में आप देखें कि मेरठ, अलीगढ़ और मथुरा में ६-५-६० को ११.०६, ११.७५ और १२.०० रुपये कीमत थी और ६-८-६० को १२.४४, १३.७५ और १३.२५ रुपये कीमत थी। इसमें भी कोई ज्यादा अन्तर नहीं मालूम होता। दूसरे ८ जिलों आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बुलन्दशहर, मैनपुरी, मेरठ, सहारनपुर तथा देहरादून में हमारी ६०७ दूकानें रूरल तथा अर्बन एरियाज में चल रही हैं। अप्रैल में लगभग साढ़े ११ हजार का आफ टेक था और अब इस वक्त १२ सौ टन के करीब है। तो लीन पीरियड में आफ टेक में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। दूसरी चीज मैं यह बतलाऊं कि जिस दिन से गेहूं का मूवमेंट और प्राइस कंट्रोल बन्द किया है १४.७५ के भाव पर लगभग १ लाख मन चना बेचना चाहते थे उसमें भी कीमत अब घट गयी है और कुछ दिन में और सस्ता माल हो जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार बतायेगी कि जो मई के महीने में गल्ला बिकता है चाहे गेहूं या मोटा अनाज हो वह जब किसान के यहां से चला जाता है और किसान को जब मोटे अनाज या गेहूं को खरीदने की जरूरत पड़ती है तो एक रुपया इसको मुनाफे का ज्यादा देना पड़ता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसी विचार से ये सब सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जाती हैं और बफर स्टाक भी इसी वजह से रखते हैं और लाइसेंसिंग आर्डर भी इसी वजह से था ताकि मध्यवर्ती ज्यादा मुनाफा न खा सकें।

श्री टीकाराम पुजारी---अगर एक रुपये से ज्यादा मुनाफा मोटे गल्ले या गेहूं पर लिया जाय तो क्या सरकार कोई कानूनी कार्यवाही करेगी ताकि किसान को सांस आये और उसकी माली हालत ठीक हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---एक रुपया नहीं, ट्रांसपोर्ट चार्जज वगैरह सब लगा के कोई दो, ढाई रुपये के करीब पड़ता है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार के पास गेहूं की कीमतों के स्थिरीकरण की कोई नीति है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सरकार की सारी नीति आपके सामने है और उसका प्रत्यक्ष फल भी आप देख रहे हैं। तो नीति तो है ही, बफर स्टाक बनाने की, जो हमने लेवी किया वह, लाइसेंसिंग आर्डर किया, ये सारी नीतियां ही तो हैं।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---सोशलिस्ट पार्टी की दाम नीति कितनी अमूल्य, कितनी सस्ती और कितनी बढ़िया है ? अगर उसको मान लिया जाय तो सारा काम बड़ी सुविधा पूर्वक चलने लगे। तो सरकार उस नीति को क्यों नहीं मान लेती ?

श्री अध्यक्ष---यह सवाल आप बाहर कीजियेगा, यहां नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मंत्री जी ने कहा कि जो भाव फसल पर हो उससे दो, ढाई रुपये ज्यादा तक फसल के बाहर कीमत रखनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गेहूं और अन्य अनाजों के भाव दो या ढाई रुपये ज्यादा की हद कायम करके ऐसा निश्चय करने की कृपा करेगी कि जिससे उससे अधिक भाव साल के और महीनों में न हो सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सरकार ने जो गेहूं और चावल की होल सेल प्राइस निर्धारित की थी वह इसी नीयत से की थी और उनको एन्फोर्स भी किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार को मालूम है कि ९९फीसदी जनता ऐसी है जो थोक में नहीं खरीदती है बल्कि रिटेल में खरीदती है और यह सरकार को मालूम है कि थोक और रिटेल प्राइसेज में बड़ा भारी अन्तर होता है और इसी सदन में पहले खाद्य मंत्री महोदय द्वारा यह कहा जा चुका है कि फुटकर कीमतों के कोई आंकड़े वह नहीं दे सकते हैं और उनमें एक जगह से दूसरी जगह भारी अन्तर होता है और वह दो रुपये न होकर ४-५ रुपये मन का हो सकता है, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन आंकड़ों से जनता की तकलीफ दूर नहीं होती इस संबंध में कोई विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अब तो हमने गेहूं पर प्राइस कंट्रोल भी नहीं रखा है। अब गेहूं का मूवमेंट भी फ्री कर दिया है। अब आप प्रत्यक्ष देख सकेंगे कि क्या भाव आता है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--मंत्री जी ने कहा कि मोटे अनाज से जब कंट्रोल हटाया तो उनका चना बिका नहीं। तो क्या यह सही है कि वह चना वीविल्ड था और खराब था और उसमें सरकार को कितना नुकसान हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मोटे अनाज पर कभी कंट्रोल हुआ ही नहीं। वह तो मैंने कहा कि ओपेन बाजार में खरीदा हुआ जो हमारा स्टाक था उसको हम बेचना चाहते थे कीमतें डाउन करने के लिये और कीमतें इतनी डाउन हो गयीं कि १४ रुपये ७५ नये पैसे मन पर भी चना बिका नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। पी० ए० सी० की बराबर रिपोर्ट आ रही है कि हजारों मन वीविल्ड हो गया।

श्री अध्यक्ष--यह इससे उठता नहीं।

नियम ५३ के अन्तर्गत एक विषय पर चर्चा की प्रार्थना

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, मैंने नियम ५३ के अन्तर्गत एक प्रश्न दिया था। उसका कोई निर्णय श्रीमन् ने नहीं सुनाया।

श्री अध्यक्ष--वह तो मैंने स्वीकार नहीं किया।

२८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न १६४ के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष--दिनांक २८ अप्रैल, १९६० को विधान सभा के सदस्य श्री नारायणदत्त तिवारी के तारांकित प्रश्न संख्या १६४ के संबंध में न्याय मंत्री शोधन वक्तव्य देंगे।

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--विधान सभा की २८ अप्रैल, १९६० की बैठक में श्री नारायणदत्त तिवारी के तारांकित प्रश्न संख्या १६४ का भूल से निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :--

प्रश्न

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में नैनीताल जिले में कितने भूमिहीनों ने भूमि एलाट किये जाने की दरख्वास्त दी थीं और उनमें से कितनों को भूमि एलाट की गई ?

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

उत्तर

पिछले तीन वर्षों से नैनीताल में ४,०५९ भूमिहीन व्यक्तियों ने भूमि प्राप्त किये जाने की दरख्वास्तें दीं। उनमें से १,५१७ व्यक्तियों को भूमि दी गई।

वास्तव में उपर्युक्त प्रश्न का शुद्ध उत्तर निम्नांकित है, जिसे देने के हेतु मैं खड़ा हुआ हूं और आपकी स्वीकृति से निवेदन करता हूं कि विधान सभा की २८ अप्रैल, १९६० की कार्यवाही के विवरण में तदनुसार संशोधन कर लिया जाय :

संशोधित उत्तर

पिछले तीन वर्षों में नैनीताल जिले में ५,९१३ भूमिहीन व्यक्तियों ने भूमि प्राप्त किये जाने की दरख्वास्तें दीं। उनमें से १,८१६ व्यक्तियों को भूमि दी गई।

५ मई, १९६० के तारांकित प्रश्न २५–२६ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वास्थ्य उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---अध्यक्ष महोदय, ५ मई, १९६० को श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५–२६ के जो उत्तर सदन में दिये गये थे वे इस प्रकार हैं:–

प्रश्न

२५---क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवार नियोजन केन्द्रों में निम्न वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क या सहायक दरों पर यान्त्रिक कंसेप्टिव देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूँ कि समय बचाने के लिये आप केवल संशोधित उत्तर ही पढ़ दें। पहले प्रश्नोत्तर प्रिंट इसलिये करवा देते हैं ताकि सब लोगों के सामने यह मौजूद रहे। इसलिये आप केवल संशोधित उत्तर ही पढ़ दीजिये।

(मूल प्रश्नोत्तर तथा अनुपूरक प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७९पर)

श्री बलदेवसिंह आर्य---इस अनुपूरक प्रश्न के प्रथम खंड का उत्तर पूर्णतया ठीक नहीं है। सही उत्तर इस प्रकार है :

"इन केन्द्रों का जितना भी खर्चा होता है उसका अधिकांश भारत सरकार ही देती है।"

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६०

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Bill, 1960] को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Bill, 1960] को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, यह बहुत बार आ चुका है, अब नहीं आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---जब आपके सामने आये तो इसका विरोध कर लीजिये।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल——अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Bill, 1960] पुरःस्थापित करता हूँ ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३८०-३८३ पर ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (क्रमागत)*

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्रीमन, इस विधेयक पर दस रोज तक बहस हुई है और काफी माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है और कल खासकर माननीय सदस्यों ने बड़ी मेहनत की...

श्री अध्यक्ष——कल ४० मिनट ज्यादा ले लिये गये थे । अब इसके लिये एक घंटा २० मिनट का समय है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन——श्रीमन, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । कल हमारे मित्रों ने काफी समय दिया और बड़ी मेहनत की और वे ५ बजे बाद तक बैठे रहे । इस दौरान बहस में ऊंचे स्तर से वाद-विवाद किया है । मैं अपने मित्रों का आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधित रूप में यह बिल सदन के सामने पारित होने के लिये उपस्थित है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरे विरोध करने के कई कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि मैं इस विधेयक को अवैध समझता हूँ, संविधान के विरुद्ध समझता हूं । यहां इस प्रश्न को मैंने इस समय इसलिये नहीं उठाया था और आज भी आप से इसलिये निर्णय नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं इसका निर्णय कराने का ठीक स्थान न्यायालय होगा और मुझे विश्वास है कि यह विधेयक कानून बन जाने के बाद न्यायालय में जायगा और देश के सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि यह संविधान के विरुद्ध है या उसके अनुकूल ।

दूसरा कारण जिस लिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं वह यह है कि मेरा निश्चित मत है कि इस बिल से लाभ बिल्कुल नहीं होगा, जो लाभ होगा वह नगण्य होगा । जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया वह उद्देश्य इस बिल से पूरा नहीं होता, वह तो संशोधन के बाद खासतौर पर विफल हो गया है । हानि इससे बहुत होगी । यह कहा गया कि इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि इस तरह से अधिकतम जोत की हदबन्दी करने के बाद जो जमीन मिले उस को बेजमीनों में बांटा जाय । पहली बात तो यह है कि बेजमीन वालों को बांटने के स्थान पर अब तो सहकारी समितियों के सदस्यों को ही बांटने की बात रह गई है । जिन लोगों के पास आज जमीन है अगर वह सहकारी समितियां बना लेंगे तो जमीन वालों को ही वह जमीन मिल जायगी । बेजमीन वाले बेचारे टापते ही रह जायेंगे ।

तीसरी बात यह है कि सन्त विनोबा ने अभी हाल में बल्कि आज ही के पत्रों में मैंने पढ़ा कि यह वक्तव्य दिया है अपने भूदान आन्दोलन को न्यायिक ठहराते हुये कि जब उनकी योजना

---

*१० अगस्त, १९६० की कार्यवाही से ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

आयोग के प्रधान से बात हुई थी, जबकि सीलिंग की बातचीत चल रही थी, तो योजना आयोग के प्रधान ने कहा था कि भारत भर में ९ लाख एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं मिलेगी। उसके बाद जिस तरह से यह विधेयक अलग-अलग प्रदेशों में आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जितनी आशा की जाती थी उतना भी नहीं होगा जबकि विनोबा भावे का कहना है, जो अक्षरशः सत्य है, कि उनके मार्ग से ९ लाख एकड़ भूमि प्राप्त करने की बात नहीं है बल्कि इतनी भूमि भूमिहीनों को बांटी जा चुकी है। तो जितनी इन कानूनों के जरिये से भूमि बांटी जानी चाहिये उतनी भूमि सन्त विनोबा के मार्ग से और गांधी मार्ग के द्वारा बांटी भी जा चुकी है। फिर अभी तो यह न्यायालय में प्रश्न जायगा। यह जारी भी होगा या नहीं, अभी तो यह भी संदिग्ध है। लेकिन दूसरे मार्ग वह हो चुका है। इस तरह से जो इसका उद्देश्य है कि जो भूमि बचे वह भूमिहीनों में बांटी जाय वह उद्देश्य पूरा होने की तनिक भी आशा नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूँ।

इसकी हानियां बहुत स्पष्ट हैं। सबसे पहली हानि तो यह है कि अन्न का उत्पादन कम होगा। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या अन्न की पैदावार बढ़ाने की है। लेकिन इस विधेयक से वह पैदावार निश्चित रूप से कम होगी। कारण स्पष्ट है। जिनके पास साधन हैं, पानी के, उर्वरक के, खाद के, उन्नत यन्त्रों के, उनके द्वारा पैदावार बढ़ाने के जरिये हैं, उनके हाथ से जमीन लेकर उनको दी जायगी जिनको खेती करने का अभी तक कोई अनुभव नहीं है, जिनके पास अभी तक खेती करने के कोई साधन नहीं हैं, और जो वैज्ञानिक साधन सरकार बताती है, वे उनको प्राप्त नहीं हैं और आज की अवस्था में कई पंचवर्षीय योजनाओं तक सरकार इन साधनों को उन्हें प्राप्त नहीं करा सकेगी। इसलिये भूमिहीनों को लाभ नहीं होगा। खाद्य समस्या गम्भीर होगी, अन्न की पैदावार कम होगी।

इसके अलावा यह जो संशोधन पास हुआ है, जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके लिये यह सीलिंग लागू नहीं होगी। तो मैं निश्चितरूप से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानता हूँ कि एक न्यायाधीश ने, जज ने, अकेले में मुझसे यह कहा कि पालीवाल जी, सहकारी फार्म की बात जो है उससे हमारा क्या नुकसान होगा। हम तो एक सहकारी समिति बना लेंगे, अपने परिवार वालों की, अपने घर के नौकरों की, अपने मेल वालों की एक सहकारी समिति बना कर रजिस्टर्ड करा लेंगे। सरकार भी खुश हो जायगी और इंसपेक्टर के जरिये से जब इंक्वायरी होगी तो हम साबित करा देंगे कि यह सही सहकारी समिति है। इस तरह से सरकारी कानून कागज पर रखा रह जायगा। तो जो थोड़ी बहुत जमीन बचने वाली भी थी, उसके बचने की भी अब कोई आशा नहीं रह गई। जिनके पास ज्यादा भूमि है, बड़े-बड़े फार्म हैं वह सहकारी समिति बनाकर उसे अपने पास ही रखेंगे। इसलिये यह बिल्कुल निरर्थक कानून है। कोई लाभ इससे होने वाला नहीं है। केवल एक ही लाभ होगा और वह लाभ होगा सत्ताधारी पार्टी को। देश का कोई लाभ नहीं होगा, भूमिहीनों का कोई लाभ नहीं होगा, किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। केवल सत्ताधारी पार्टी को एक लाभ होगा और वह यह कि राजनीति में अक्सर ऐसा रहा है कि कुछ वर्गों में आपस में घृणा की भावनाएं पैदा करके लोग राज्य करते हैं और वोट प्राप्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और आप जानते हैं कि साम्प्रदायिक भावनाओं को उभाड़कर किस प्रकार से वोट प्राप्त किया जाता है। मैं और आप जानते हैं कि धर्म और जाति की भावनाओं को उभाड़ कर किस प्रकार वोट प्राप्त किया जाता है। और इस बात को तो कानून में भी करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। तो अब कम्यूनल हेट्रेड, साम्प्रदायिक घृणा, फैलायी नहीं जा सकेगी, जाति बिरादरी की भावना तो फैलायी नहीं जा सकेगी, इसलिये क्लासवार की, क्लासहेट्रेड की, वर्गों में घृणा की भावना पैदा करके वोट लेने का प्रयास हो रहा है। उस भावना को प्रबल करने के लिये, कुछ लोगों के मन में लालच पैदा करने के लिये कि इनकी जमीन छीनी जाकर मुझको मिलेगी, यही एक उद्देश्य इस कानून का है और इससे कोई लाभ अगर किसी को हो सकता है तो सत्ताधारी पार्टी को वोटों का हो सकता है और जनता को इससे कोई लाभ नहीं है।

अन्तिम बात जिसके आधार पर मैं इसका घोर विरोध करता हूं वह यह है कि इसमें संविधान के विरुद्ध, समाजवाद के विरुद्ध, सब बातों के विरुद्ध, समता की भावना के विरुद्ध, विषमता दूर करने की भावना को तिलांजलि देकर गांवों और शहरों के बीच में घोर पक्षपात किया गया है। गांवों में समाजवाद और शहरों में पूंजीवाद इस विधेयक का पूरा-पूरा मंशा मालूम पड़ता है। गांवों में तो यह सीलिंग कर दी गई है, हदबन्दी कर दी गई है, कि ४० एकड़ से ज्यादा कोई अपने पास नहीं रख सकेगा और यह कह कर के किया गया कि हमने भूमि पर हदबन्दी नहीं की है, आमदनी पर हदबन्दी की है और वह यह है कि ३०० रुपये महीने या ३,६०० रुपये साल से ज्यादा आमदनी गांव में नहीं होनी चाहिये। इसके मानी, अध्यक्ष महोदय, अगर शान्ति के साथ हम और आप विचार करें, तो क्या यह नहीं है कि इस विधेयक के अनुसार खेती करना जुर्म हो गया है? उस जुर्म की सजा यह दी जा रही है कि अगर तुम खेती करोगे तो ३०० रुपये महीने से ज्यादा आमदनी कभी नहीं कर सकोगे। शहरों में ३ हजार माहवार की आमदनी पर हदबन्दी करने की सिफारिश योजना आयोग ने की और विकास समितियों ने की, कांग्रेस की सरकार के प्रोग्राम में रहा, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां समाजवाद नहीं है। वहां तो समाजवाद में यह है---गांवों की जनता की तो बड़ी विचित्र दशा है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गांवों में रहने वालों की आमदनी २० रुपये माहवार भी नहीं है और खेती में काम करने वाले मजदूरों की आमदनी तो १० रुपये भी नहीं है। एक तरफ तो जनता जो मालिक है उसके लिये तो यह रहा कि ३०० रुपये से ज्यादा की आमदनी करने नहीं देंगे और करोगे तो जमीन छीन ली जायगी दूसरी तरफ यह कि हमारे चपरासी को भी सवा सौ रुपया मिलेगा। मालिक की आमदनी १० रुपया महीना या २० रुपये महीने और चपरासी की सवा सौ रुपये महीने। चपरासियों को सवा सौ रुपये मिलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें मुझे आपत्ति है कि गांव में रहने वालों की आमदनी ३०० रुपये से ज्यादा होने पर खेती करना जुर्म करार दिया जाय। तो यह बहुत बड़ा भेद भाव फैलाया जा रहा है। और एक चौड़ी खाई उनके बीच में खोदी जा रही है।

आप जानते हैं कि हमारा देश और प्रदेश गांवों का देश है। ८० फीसदी से ज्यादा जनता गांवों में रहती है। उन ८० फीसदी लोगों को यह सजा देना कि चूंकि तुम खेती करते हो इसलिये हम तुम्हारी ३०० रुपये से अधिक आमदनी नहीं होने देंगे, कहां तक न्यायपूर्ण है? इसका परिणाम यह होगा कि जितने लोग ऐसे हैं, जो ज्यादा काम करने की शक्ति रखते हैं और जिनके मन में महत्वाकांक्षा है अपनी उन्नति करने की, वह गांवों को छोड़ कर शहरों में आ जायेंगे और गांव बरबाद हो जायंगे और शहर गांवों को इस तरह से तबाह करके बराबर बड़े होते चले जायंगे। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कारणों से जनता के हित में, गांव के हित में और समाजवाद के सही सिद्धान्त के हित में, क्योंकि इससे समाजवाद का हित नहीं होता है, विषमता कायम होती है शहरों में और गांवों में, इसलिये मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक इस समय पारण के लिये सदन के समक्ष रखा है मैं उसका कड़े से कड़ा विरोध करना चाहता हूं। अगर शुरू से आखिर तक इस विधेयक को देखा जाय और उसके उद्देश्य और कारणों पर दृष्टिपात किया जाय तो ऐसा मालूम होता है कि यह पूरा विधेयक जिस उद्देश्य से बनाया गया है बिलकुल इसके विपरीत काम करता है और आगे भी करेगा। यह विधेयक किसान और जनहित के विरुद्ध काम करेगा। यदि आदरणीय सदन के सदस्य अभी भी इसके पारण को नहीं रोकेंगे तो प्रदेश के ढाई तीन करोड़ जो किसान हैं तथा जो जनता ७४.२ फीसदी खेती पर निर्भर करती है, वह जनता तबाह हो जायगी। श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा गया है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध कराने के लिये और सभी दुर्बल वर्गों की आर्थिक स्थिति उन्नत करने के लिये यह बनाया जा रहा है। समाज में दुर्बल वर्ग भूमिहीन और अलाभकर जोत वाले लोग हैं, प्रदेश में एक कट्ठा दो कट्ठा जोत वाले जो लोग हैं उनको कितनी भूमि इससे मिलेगी, यह मन्त्री जी बतला सकते हैं।

[श्री उग्रसेन]

मैं एक बात निवेदन करूं कि जरा यह देखा जाय कि योजना कमीशन ने क्या कहा था। योजना कमीशन ने अधिकतम जोत के लिये ३० एकड़ की सीमा बांधी थी। लेकिन हमारे माननीय मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिये इस विधेयक में ४० एकड़ पास करा लिया। राजस्थान, मध्य-प्रदेश और पंजाब में जहां पर प्रति व्यक्ति भूमि ज्यादा है वहां पर अधिकतम जोत सीमा ३० एकड़ की है लेकिन जहां पर प्रति व्यक्ति जमीन, जैसा कि मैंने कल अपने देवरिया जिले के लिये कहा था, वहां पर .८९ प्रति व्यक्ति जमीन है, वहां पर ४० एकड़ की सीलिंग प्रति परिवार करना और बढ़ाकर उसको ६४ एकड़ करना और उसके बाद जितने बाग हैं हजारों एकड़ के वे सब उसमें शामिल न किये जायंगे, यह किसी तरह से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुये।)

अगर वह जमीन, जो उनके पास है, बाग में दर्ज पाई गई तो हजारों एकड़ उनके कब्जे में मानी जायगी। यह कहां तक न्यायपूर्ण है? जहां पर राजस्थान या पंजाब में प्रति व्यक्ति भूमि ज्यादा है वहां पर ३० एकड़ की सीमा उनके यहां नियत की गई है लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जहां पर प्रति व्यक्ति भूमि कम है वहां पर ४० एकड़ और ६४ एकड़ कर दी गई है। यह कहां तक जायज बात है?

दूसरी बात इस विधेयक में यह दोषपूर्ण है कि जो बटवारे २० अगस्त तक हो जायंगे वही बटवारे परिवार के लिये सही माने जायंगे। ऐसे बटवारे आमतौर पर कोर्ट के जरिये से हुआ करते थे उनको माना जाता था। सरकार को यह चाहिये था कि वह गांव समाज से इसके लिये पूछती कि जमींदारी टूटने के पहले कितने बटवारे हुये हैं या उसके तुरन्त बाद जो बटवारे हुये हैं उनको देखा जाता या गांव सभा के रजिस्टर को देखा जाता कि कितने परिवारों में ऐसे बटवारे हुये हैं उनको मानते लेकिन यहां पर छुपे तौर पर एलान कर दिया गया कि इस तारीख तक जो बटवारे हुये होंगे उनको माना जायगा। जब से इस विधेयक का चर्चा हुआ बहुत से फर्जी बटवारे जमींदारों में और राजा महाराजाओं में होने लगे। उन्होंने क्या किया, मैं बताऊं कि मेरे जिले देवरिया में एक जमींदार साहब के लड़कों ने अपनी मां के खिलाफ दावा दायर किया कि हमारी एक दूसरी मां है और हमारी दोनों मायें अलग-अलग रहती हैं लिहाजा खाता अलग-अलग कर दिया जाय, यानी चालीस एकड़ मुझे मिले, ४० एकड़ असली मां को मिले और ४० एकड़ दूसरी मां को मिले। इस तरह से उन लोगों को १२० एकड़ मिलेगा। तो इस फर्जी बटवारे के अनुसार इस विधेयक में जमीन मिलेगी।

पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि हम कृषि की उन्नति करेंगे। कितनी उन्नति हुई प्रदेश में, इसको देखा जाय। एक पुस्तक है एनुअल प्लान रिव्यू, इसमें देखा जाय। सरकार की रिपोर्ट है कि १९५६-५७-और १९५७-५८ में चावल के उत्पादन में कमी हुई, गेहूं का उत्पादन भी कम हुआ, जौ का उत्पादन भी कम हुआ। तो पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में उत्पादन में सब से ज्यादा कमी हुई और मैं कहना चाहता हूं कि जब तक भूमि की समस्या न्यायपूर्वक हल न होगी, भूमिहीनों को इस विधेयक द्वारा भूमि की प्राप्ति न होगी, अलाभकर जोतों को लाभकर नहीं बनाया जायगा, जो बड़े-बड़े फार्म हैं उनको तोड़ कर भूमिहीनों से उनमें खेती नहीं कराई जायगी तब तक इस प्रदेश के अन्न की समस्या हल होने वाली नहीं है। वह माननीय पाटिल साहब के अमरीकी बैंक वाली बात से हल होने वाली नहीं है।

पेड़ों के लिये २१ किस्म की छूट है, जितनी चाहें छूट लेलें। विधेयक पढ़ने पर पता ही नहीं चलता कि किसकी जमीन ली जा सकेगी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी, स्वतन्त्र दल के सदस्य यदि कुछ सुझाव अभी भी यह दे दें कि इस तरह से जमीन के लिये और छूट दी जा सकती है तो शायद हमारे मन्त्री जी इस तृतीय वाचन में भी उसको मान लेंगे। काफी और

कहवा तक के लिय छूट है । फार्मों के बारे में दिया गया है कि यन्त्रीकृत फार्म, सोने के कलसे में जहर भरा हुआ है । यन्त्रीकृत फार्म की परिभाषा क्या होगी, मैं समझता हूं कि यही होगी कि जहां प्राविधिक सहायता से पूर्णतः खेती होती हो उसी को यन्त्रीकृत फार्म कहते हैं । लेकिन इसमें दिया हुआ है कि जहां ३ साल पहले से ट्रैक्टर चलते हों, भले ही ट्रैक्टर अपना न हो, मैनेजर साहब मनकापुर के पास काफी जमीन है और उन्होंने किसी का ट्रैक्टर लेकर एक दो बार चला दिया है तो वह जमीन बच जायगी भले ही उनके पास ज्यादा खेती हो । सारे लखीमपुर में फार्म ही फार्म हैं, तराई भावर में सब जगह बड़े-बड़े लोगों के फार्म हैं, हां, देवरिया में जरूर एक दो जगह बेदखली में की जमीन ले ली जायगी । यही नहीं, आगे चलकर देखा जाय कि जो ६९ चीनी मिल रूपी जोंकें हैं, जो गन्ना किसानों का खून पी रही हैं, उनके भी फार्म नहीं लिये जायंगे । कहा जाता है कि यह एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के फार्म हैं । सरदार मजीठिया साहब हमारे यहां के एक बड़े सरमायादार हैं, उनके पास साढ़े ८ हजार एकड़ का फार्म है, एक चीनी कारखाने के मालिक हैं, उनकी एक एकड़ जमीन लेकर भी सरदारनगर के किसानों को नहीं दी जायगी, क्योंकि वह चीनी मालिक का फार्म है । तो अगर....

राजस्व उप-मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--यह किस विधेयक के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं ? चीनी मिल के फार्म नहीं लिये जायेंगे इसमें ऐसा तो नहीं है और यह भी नहीं है कि यंत्रीकृत फार्म पर सीलिंग नहीं लगाई जायगी । यह मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं ।

श्री उग्रसेन--यही नहीं, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हुं कि मंत्री जी तो इसमें एक इंच जमीन भी लेंगे नहीं, उनका कलेक्टर साहब क्या करेगा । हरिजन बस्ती में उसके घर के दरवाजे की जमीन जो है वह भी बाबू साहेब की है, पंडित जी की है । वह भी जमीन हमारी नहीं है । यह कलेक्टर साहब लिखेंगे और फिर आपके कानूनगो साहब के बारे में तो कहना ही क्या । मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे आज की सरकार हो या आने वाली सरकार हो, अगर उसने भूमि की समस्या को हल नहीं किया तो हिन्दुस्तान के अन्दर एक बहुत जबरदस्त क्रान्ति होगी । आपने जमींदारी उन्मूलन किया, उस समय गांव-गांव आपने घूम कर यह कहा कि जमीन किसानों की होगी, किसान अपनी भूमि का मालिक होगा । जो भूतपूर्व जमींदार थे वे करीब २४ करोड़ रुपया उनसे वसूलते थे जिसमें से १७ करोड़ खुद खर्चा करते थे और बाकी प्रदेश की सरकार को देते थे । लेकिन जब जमींदारी खत्म हो गई, सरकार जब मालिक बन गई तो उसने कहा कि नहीं, हम १७ करोड़ भी लेंगे, ७ करोड़ वह भी लेंगे और फिर डेढ़ करोड़ का लगान में इजाफा भी करेंगे । हर तरह से यह अपनी आमदनी बढ़ाते चले गये । "जस जस सुरसा बदन बढ़ावा", उसी तरह से यह किसानों को लूटते चले गये । अभी पता नहीं, क्या क्या और होगा !

श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी ने जिस समय यह कहा था कि जमीन का न्याय पूर्वक बटवारा करो, जिस समय जमींदारी खत्म हुई, उस समय किसान ने समझा कि वह अपनी जमीन का मालिक हो जायेगा । लेकिन हुआ क्या ? जमींदारी खत्म हुई, छोटे-छोटे जमींदारों को लूटा गया और बड़े-बड़े जमींदारों को मुआवजा दिया गया । मुझे याद है उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी जब माननीय गेंदासिंह जी के क्षेत्र में गये थे तो उन्होंने भाषण दिया था और किसानों से कहा था कि तुम्हारी झोपड़ियों में नोटों की गड्डियां ठुसी हुई हैं, उनको निकालो और लगान दो. .

एक सदस्य--सारा समय, श्रीमन्, अगर यही ले लेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--इसमें समय की पाबन्दी तो है नहीं, वैसे माननीय सदस्य संक्षेप में अपना भाषण दें ।

श्री उग्रसेन--मैं बहुत संक्षेप में ही कहूंगा । मैं यह कह रहा था कि जो गरीब थे, जिनके पास दसगुना देने को नहीं था, उनकी तो कमर तोड़ दी गई, छोटे-छोटे काश्तकारों की कमर तोड़ दी गई, मगर आबाद कौन हुए, वे जो बड़े-बड़े लोग थे, जो राजा लोग थे ।

आज भी, श्रीमन्, सरकार जो सीलिंग कर रही है इससे भी गरीब किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। सीलिंग के बारे में श्री एम० एन० अग्रवाल ने अपनी योजना कमीशन की रिपोर्ट में ३० एकड़ की सीलिंग का सुझाव दिया था। नागपुर अधिवेशन में भी कांग्रेस ने इसके लिये एक प्रस्ताव पास किया था और यह कहा था कि जितनी सीलिंग हो वह इतनी जरूर हो कि वह कम से कम १० एकड़ जरूर हो। एक प्रोफेसर महालानाविस ने कहा था कि सीलिंग २० एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। जो प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पास हुआ था आप उसको पढ़ें। उसमें कहा गया था कि हम सीलिंग करना चाहते हैं। यह भी कहा गया था कि हम ज्वाइन्ट कोआपरेटिव फार्मिंग चलायेंगे। मैं पूछता हूं आप ज्वाइन्ट कोआपरेटिव फार्मिंग काहे पर चलायेंगे। आप उसे आसमान पर चलायेंगे या चन्द्रलोक में चलायेंगे ? जब जमीन आपके पास है नहीं, तो कहां पर ज्वाइन्ट कोआपरेटिव फार्मिंग होगी ? उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधान मंत्री, ने भी कहा था कि "मैं गांव गांव जाऊंगा, लोगों से कहूंगा हमारी बात मान लीजिये" उसके बाद, श्रीमन्, घर-घर जाकर पद्-यात्रा शुरू की गई। उस पद्-यात्रा के बाद यह हुआ कि ४० एकड़ की सीलिंग कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप संक्षेप में भाषण दें।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, हिन्दुस्तान एक अजीब मुल्क हो गया है इस कांग्रेसी राज्य में। मैं भी, श्रीमन्, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था, मुझे भी थोड़ा सा अर्थशास्त्र का ज्ञान है। मैं बराबर यह सोचने की कोशिश करता हूं कि आखिर यह सरकार पूंजीवादी सरकार है या सामन्तवादी सरकार है, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता। यहां पूंजीवादी क्रान्ति को सोशलिस्ट-कम्युनिस्ट कहते हैं बोरजुआ डेमाक्रैटिक रेवोल्यूशन। यह सरकार १९४२ के बोरजुआ रेवोल्यूशन से ऊपर नहीं उठना चाहती। टाटा-बिरला को बढ़ावा देकर पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, जैसे राजा, रईस, मुगल आजम के जमाने के मान सिंह और सामन्त प्रथा को चला रही है। इस विधेयक से क्या फायदा होगा ? अगर जमीन खींच करके सरकार सामूहिक रूप से उसे प्रयोग कराती तो अच्छा ही होता मगर इस विधेयक से जमीन खींच करके वह किसके पास ले जाना चाहती है ? जिसके पास पहले से है, यानी सामन्तवाद को भी खत्म नहीं करना चाहती। फिर पूंजीवाद कैसे खत्म हो सकता है और समाजवाद का नारा जो सरकारी पार्टी लगाती है वह कैसे पूरा हो सकता है ? सरकार मरी हुई लाश को फिर उठा रही है और सामन्तवाद को प्रोत्साहन दे रही है। १५ अगस्त के पहले आपने कहा था, बिल को सामने रखा था, फिर २० अगस्त क्यों कर दिया ? कहीं ऐसा न कर दें कि जिस दिन से लागू होगा तभी से कानून माना जायगा ! वह तो होना ही था, माननीय माल मंत्री ठाकुर हैं और विसेन हैं। एक ठाकुर, दूसरे विसेन। उत्तर प्रदेश के ठाकुर उनके पास आकर कहते हैं कि "मार डाला, अब हम क्या करें।" जमींदारी तोड़ने में भी बहुत खींचातानी की।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि १४ अगस्त, १९४६ को असेम्बली ने एक प्रस्ताव पास किया था, उसमें कहा गया था कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका भी समाजीकरण होगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, यह ईरेलेवेंट है।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—मैं यह कहता हूं कि समय व्यर्थ बरबाद किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—क्या आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर है ? आप बैठिये।

श्री उग्रसेन—एक मिनट में खत्म करना चाहता हूं। मैं कह रहा था कि १४ अगस्त, १९४६ को इस विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था कि उत्पादन और वितरण पर सरकार का कब्जा होगा, लेकिन कैसे प्रतिक्रियावादियों के हाथ में उत्पादन को सरकार रखने जा रही है ?

यह विधेयक प्रतिक्रियावादी है । क्या यह उत्तर प्रदेश में क्रान्ति लायेगा ? इसे पास करना ढाई करोड़ किसानों के पेट में छुरी मारना है । अब भी समय है, चेत जायं, कानून वह है जिसे जनता माने । अगर किसान ने नहीं माना तो यह कानून हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इसका खुला विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य समय का ध्यान रखेंगे ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं खुद इसी मुसीबत में फंसा हुआ था ।

श्री रघुवीरसिंह—मुझे एक निवेदन करना है । ये राजा लोग और सरकार आखिर तक बराबर बोलते रहे हैं । इन्होंने ४ धारा से पांचवीं धारा नहीं आने दी । मैं यह निवेदन करूंगा कि हम जैसे लोगों को भी मौका दें जो किसान हैं ।

श्री अधिष्ठाता—अच्छा, ठीक है । आप बैठिये ।

***श्री अवधेशप्रतापसिंह**—मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि अगर विरोधी दल किसी बात पर एक मत है तो वह यह कि यह विधेयक वापस लिया जाय । इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

उग्रसेन जी दहाड़ रहे थे और डाक्टर लोहिया के समाजवाद का प्रतिपादन इस सदन में हो रहा था । मुझे आपके द्वारा उनसे यह गम्भीर शिकायत करनी है कि भगवन्, बगैर विधेयक पढ़े ही वह इस सदन में भाषण दे रहे थे । चीनी मिल मालिकों के लिये कहीं एग्जेम्पशन नहीं है, तमाम विधेयक में कहीं दिखा दें ।

देवरिया में किसी माननीय राजा साहब, ठाकुर साहब, बाबू साहब की बात चल रही थी । उनकी जानकारी का आधार अगर विधेयक के रूप से देखा जाय . . . .

श्री उग्रसेन—हमारा और राजा साहब का इम्तहान नहीं होगा, अगर इम्तहान हो तो पर्चा मिल जाय ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—मैं तो उनकी बात का जवाब देना चाहता था । श्रीमन्, उग्रसेन जी को यह भी शंका है कि कहीं ऐसा न हो कि ठाकुर साहब यह मान लें कि जिस दिन से अधिनियम बने उस दिन से ट्रान्सफर रोके जायं । मैं कहना चाहता हूं कि उनकी ही सलाह का यह फल होगा कि जब यह विधेयक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जायगा ट्रान्सफर रोकने की २० अगस्त की तारीख नहीं रह जायगी ।

इस विधेयक में सबसे बड़ी चीज यह है कि माननीय माल मंत्री को यह ज्ञान नहीं है कि इस विधेयक से वाकई कितनी जमीन मिल सकेगी लेकिन कानून बनाया जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह किस बात के लिये हुल्लड़ है । मैं साफ तौर से बतला देना चाहता हूं कि इस विधेयक के फलस्वरूप भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल रही है बल्कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में जमीन जा रही है जिनके मालिक सरकारी कर्मचारी होंगे । उग्रसेन जी ने राजा मनकापुर मैनेजर, ट्रैक्टर और न मालूम कौन-कौन से एग्जेम्पशन का जिक्र कर डाला ।

मान्यवर, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है जिसके अन्तर्गत हमें २४ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करना चाहिये । भूमि सुधार की जो नीति है उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई बल्कि पर कैपिटा इनकम और प्रोडक्शन दोनों गिरे हैं । माननीय माल मंत्री अकसर इस बात का उलाहना दिया करते हैं कि ये लोग इस कदर काबिल हैं कि अगर उनके पास १० बीघा भूमि भी रख दी जाय तो यह बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

पैदावार बढ़ा लेंगे। माननीय मंत्री जी के मंत्रिमंडल में तीन मंत्री भूमिहीन हैं, मैं समझता हूं कि उनको खेती का सबसे अधिक तजुर्बा होगा। उनको ही क्यों न इतनी खेती दी जाय और देखा जाय कि वह कितनी पैदावार करते हैं ? इसलिये मेरा निवेदन है कि यह कोई उसूल नहीं है। पैदावार के लिये आपको यह देखना होगा कि हमारे पास कितने साधन उपलब्ध हैं और उसके फलस्वरूप हम कितना पैदा कर सकते हैं। खेती में सोना, हीरा या मोती नहीं पैदा किये जा सकते। पैदावार की भी एक लिमिट होती है। यहां पर जापान और यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका का हवाला दिया जाता है। पहले आपको देखना चाहिये कि उस पैदावार की पृष्ठभूमि क्या है, किस तरह से वहां पर खेती होती है। इंटेन्सिव फार्मिंग अपनी जगह पर ठीक है लेकिन इसके लिये जितने साधन चाहिये वह न तो सरकार ही उपलब्ध कर सकती है और न किसी व्यक्ति विशेष के पास हैं ही चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। इसलिये माननीय उग्रसेन जी को जो यह हवा बांधने का नेत्रदोष है कि पुराने जमींदार और राजा हैं यह डाक्टर लोहिया के निकट रहने का उनको पाप और अभिशाप है। इससे अधिक मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री उग्रसेन--मान्यवर, हमको पागल कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। अगर ऐसी बात हो तो हम उनसे तेज स्वर में बोल सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---इनके सम्बन्ध में आपने क्या कहा ?

श्री अवधेशप्रतापसिंह--मान्यवर, मेरे दोस्त गुस्सा नहीं हैं, मेरे कहने से उनका प्रायश्चित हो रहा है, इसके लिये मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि पर कैपिटा इनकम घट रही है और मंत्री जी को यह भी नहीं मालूम कि कितनी जमीन मिल रही है।

दूसरी चीज यह है कि यह विधेयक एक न एक दिन अवैध घोषित किया जायगा। इस विधेयक के द्वारा जो मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है और संविधान के अनुच्छेदों का जो उल्लंघन किया जा रहा है वह अपने स्थान पर रह नहीं सकता है। केवल श्री कन्हैयालाल मिश्र के यह कह देने पर कि यह वैध है, वैध नहीं हो सकता।

इधर से चौधरी साहब ने कह दिया कि राजा लोगों और मंत्रियों का संगठन बन गया और क्लाज चार से भी आगे नहीं बढ़ पाये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धारा ४ पर नहीं तो क्या धारा ६ पर वे बहस करते। नियम १४८ के अनुसार सिर्फ यही बहस हो सकती है कि अब यह विधेयक पारित किया जाय या न किया जाय। दफा ६ में तो एग्जेम्पशन्स थे क्या वे उन पर बहस करना चाहते हैं ? पहले तो खामोशी अख्तियार करते रहे और अब न जाने कहां से टिमटिमाते हुये चिराग की तरह निकल आये !

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो मौजूदा विधेयक आया है, इसको आद्योपान्त देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज हमारे शासकीय दल में एकरूपता नहीं रही है।

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाता हूं कि वक्त बहुत कम है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--जब मौका था रोकने का तब तो टोका नहीं। हां, मैं यह कह रहा था कि यह विधेयक जम्बिल्ड वे आफ थिंकिंग (Jumbled way of thinking) का मजमूआ है। इसके देखने से यह मालूम होता है कि आजादी के पहले जो डायनेमिक फोर्स (Dynamic force) कांग्रेस में था वह अब नहीं रहा राइट विंग आजकल कांग्रेस पर हावी हो गई है, क्योंकि इसी सीमारोपण विधेयक में पहले ३० एकड़ रखा गया था, लेकिन बाद में ४० एकड़ ही नहीं बल्कि १२८ एकड़ तक रख दिया गया है। इससे साफ मालूम होता है कि सेलेक्ट कमेटी में कुछ ऐसे निहित स्वार्थ थे जिनकी वजह से उसका रूप ही कुछ और हो गया।

श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि एक तरफ तो लिमिट करने की बात कही गई है और दूसरी तरफ कहते हैं कि बाग, मुर्गी पालन और डेरी फार्मिग के लिये पूरी छूट है तथा स्पेशलाइज्ड फार्म को आंशिक । तो इस प्रकार की कान्फिलक्टिंग आयडोलाजीज (Conflicting idelogies) इसमें पाई जाती हैं और उनका रूप इस बिल में उसी प्रकार साफ तौर से दिखाई देता है जिस प्रकार से कैमरे में चित्र मिनियेचर (miniature) रूप में दिखाई देता है ।

यह हो सकता है कि लोगों को खुश करने की यह device हो । क्योंकि एक तरफ तो भूमिहीनों को ये कह सकते हैं कि हम जमीन देंगे और दूसरी तरफ दूसरे लोगों को छिपे रूप से इशारा भी किया जा सकता है । यह जरूर है कि जब वैस्टेड इंट्रेस्ट्स (Vested Interests) से कुछ छिनता है तो वे चिल्लाते हैं, लेकिन मैं दक्षिण पंथियों से कहूंगा कि जब तक कांग्रेस सरकार है तब तक उनको किसी भी खतरे से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि इस बिल में भी उनके लिये बचने के जितने भी संभव तरीके हो सकते थे, वे सब दिये गये हैं ।

श्रीमन्, दूसरी बात योजना आयोग के अनुसार यह है किसी की इनकम ३,६०० रुपया से अधिक न होगी । लेकिन बाग लगाने के लिये, डेरी खोलने, चाय आदि लगाने वालों की आमदनी के लिये कोई रोक नहीं है । क्या बिल की यह धारायें प्लानिंग कमीशन के डाइरेक्टिव्स के खिलाफ नहीं हैं ? एक चीज जरूर है कि सहकारिता का जो सिद्धान्त सरकार प्रतिपादित करती है और जिसका इस देश में चारों ओर से विरोध हुआ, उसको जरूर चोर दरवाजे से लाने का इस बिल के द्वारा यत्न किया गया है । आज इसमें यह व्यवस्था की गई है कि चाहे बाकी और लोगों पर वह छूटें न हों यानी कृषि योग्य जो जमीन है उस पर सीलिंग १२८ एकड़ की रखी है लेकिन अगर सहकारी खेती के नाम पर ५–७ आदमी फर्जी सहकारी समिति बनायेंगे तो इस बिल का जो परपज है वह डिफीट हो सकता है और उस हालत में यह बिल नाममात्र का ही कानून रह जायगा ।

भूमिहीनों के विषय में कहा गया, बड़ा ढिंढोरा पीटा गया, जब जमींदारी विनाश का कानून बना था तो जनता ने उसका बहुत स्वागत किया था इस कारण कि उस समय मध्यवर्ती को खत्म किया गया था । उससे किसान को राहत मिली; लेकिन आज तो हम उस कदम से भी और पीछे हट रहे हैं । श्रीमन्, ऐसा लगता है कि सन् १९६२ के ऐलेक्शन के लिये यह बिल लाया गया है । किसानों से कहा गया कि भूमिहीनों तुम को जमीन मिलेगी और दूसरी तरफ इसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट्स (Vested Interests) के लिये इशारा है कि अभी तुम जिन्दा रहने दिये जा सकते हो अगर हमारे खिलाफ न पड़ो और अगर खिलाफ पड़ो तो यह तुम्हारे यंत्रीकृत फार्म, यह बाग, यह पोल्ट्री फार्म यह सब निकल जायेंगे और ऐसे कानून लाये जायेंगे कि यह सब भी निकल जायं ।

जमींदारों की तरफ से यह कहा जाता है कि शहरों के रहने वाले लोगों की आय पर कोई सीमा नहीं लगाई गई, मेरी तो राय है कि सीमा बांधनी चाहिये, शहर और देहात दोनों की आय पर । आज शहरों में भी ऐसे लोग हैं जिनको दिन में एक बार भी पेट भर खाना नहीं मिलता, उस दशा में किसी को लाखों और अरबों की सम्पत्ति रखने का क्या अधिकार है ? इस प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिये और अगर वह हो भी तो १ और १० के अनुपात से अधिक किसी हालत में भी नहीं होनी चाहिये । इसी प्रकार वेतनों में भी हो ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत सी धारायें ऐसी हैं कि जो परस्पर विरोधी हैं । धारा ३ में हम मानते हैं कि सीमा आरोपण के लिये, अगर किसी लड़के का बाप से कागजात मात्र में अलग खाता है तो उसकी सीलिंग अलग से होगी लेकिन धारा ४ में है कि अगर किसी ने इस बिल का पर्पज डिफीट करने के लिये किसी दूसरे आदमी के नाम बेनामी ट्रान्जेक्शन कर दिया है तो इसमें लिखा है कि ऐसा माना जायगा कि वह उसकी निजी जोत में ही है । जब इस तरह की बात होती है तो प्राविजन किया जाता है कि चाहे कुछ भी कहीं किया गया हो, यहां ऐसा होगा, इस तरह से वे दोनों धारायें कान्फलिक्ट में आयेंगी । जहां इस बिल को लगाने का

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

सवाल तथा २० या २७ अगस्त के बीच का समय है । यह २७ तारीख को गजट हुआ, ऐसा कहा जाता है । नियम विधान सभा का है कि किसी बिल के सदन में आने से पूर्व अध्यक्ष महोदय उसे गजट में प्रकाशन के लिये दे सकते हैं लेकिन यदि किसी कारण से वह न छप सके तो इस आदरणीय सदन से इजाजत मांगी जाती है कि चूंकि अमुक कारणों से बिल नहीं छप सका लिहाजा फिर प्रकाशन की इजाजत दी जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, क्या इस सदन के लिये "आर्डिनरी सदन" कहा जा सकता है ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैंने तो श्रीमन्, 'आदरणीय सदन' कहा था, 'आर्डिनरी सदन', नहीं कहा । मैं तो ठाकुर साहब को भी आदरणीय ही समझता हूं, वह अपने को आर्डिनरी कसे मानते हैं ? तो मैं कह रहा था कि भले ही २० तारीख को इस आदरणीय सदन में बिल पेश होने से अगर मंत्री जी यह मान लें कि जनता को इसका नोटिस हो गया मगर मेरा खयाल है कि यह ऐसा नहीं है, यह पर्याप्त सूचना नहीं है । सूचना गजट में प्रकाशन से ही होगी, काफी रूलिंग्ज में देख चुका हूं । हो सकता है कि सरकार की मंशा हो कि बिल अवैध करार दिया जाकर इसका परपज डिफीट हो जाय और उन लोगों, पूंजीपतियों को एक मौका मिल जाय, लेकिन इस त्रुटि को सुधारने का अब भी मौका है । हां, यह जरूर है कि इस बिल से वेस्टेड इंटरेस्ट्स (Vested Interests) जिनके हैं उनको कुछ मौका मिलें तो और बात है ।

श्री रघुवीरसिंह—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक की धाराओं तथा इसके उद्देश्य और कारणों को यदि ठंडे दिल से मनन किया जाय तो, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह आपस में मेल नहीं खाते । मैं आपकी आज्ञा से उद्देश्य और कारण की पहली पंक्ति पढ़कर सुनाना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि 'भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासंभव मात्रा में भूमि उपलभ्य करा कर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है ।" लेकिन मैं जब धाराओं को देखता हूं तो प्रतीत होता है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को कहीं भूमि देने का प्राविधान नहीं है ।

सबसे पहले मैं यह साफ कर देना चाहता हूं, जैसा कि हमारे बहुत से माननीय मित्रों ने और कभी-कभी राजस्व मंत्री महोदय ने भी अपने वाद-विवाद में इन शब्दों का प्रयोग किया कि भूमिहीन और खेतिहर मजदूर। कभी भूमिहीन शब्द आया और कभी मजदूर शब्द आया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विधेयक का मंशा यह है कि वह भूमिहीन जो खेतिहर मजदूर भी हो, केवल भूमिहीन नहीं । भूमिहीन और खेतिहर मजदूर के बीच में कोई कामा नहीं है । लेकिन हमारे मंत्री महोदय और दूसरे साथी अक्सर कहते हैं कि भूमिहीन और खेतिहर मजदूर । इसलिये मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वह अपने भाषण में स्पष्ट कर दें कि भूमि केवल भूमिहीनों को दी जाएगी या केवल मजदूरों को दी जाएगी, या केवल उन लोगों को दी जाएगी जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हों ।

इसके साथ ही साथ मुझे जो आशंका है वह मैं प्रकट कर देना चाहता हूं । यदि यह मान लिया जाय कि केवल भूमिहीनों को भूमि दी जाएगी तो मैं यह कह सकता हूं कि इसमें बड़े बड़े खेल खेले जा सकते हैं । वह यह कि भूमिहीन की श्रेणी में कारीगर, दूकानदार और व्यापारी भी आ सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि रुद्रपुर, तराई-भाबर के फार्मों में हुआ, कि बड़े-बड़े पेंशन पाने वाले, दुकानदार और व्यापारी लोगों को जमीन दी गई । मैं कहना चाहता हूं कि अर्जित भूमि उन्हीं को देना चाहिए जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर ही हों ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आप बिलकुल सही बात कहते हैं ।

श्री रघुवीरसिंह—मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस बात को स्पष्ट कर दिया । यह बड़ा भारी भ्रम था, केवल इसीलिये मैं बोलने खड़ा हुआ था ।

दूसरी बात यह कि मैं मंत्री महोदय की सराहना भी करना चाहता हूं। उन्होंने इस युक्ति से काम लिया कि हमारे राजा-महाराजा और मंत्री महोदय ने आपस में गठबंधन करके इस तरह से वाद-विवाद आरम्भ किया कि धारा ४ से ५ तक न पहुंच जांय। धारा ६ में जिसमें हम लोगों को आलोचना करने का अवसर मिलना था, वहां तक नहीं पहुंचने दिया। साथ ही साथ इसमें जो बंदोबस्त की धारायें हैं वहां भी यह स्पष्ट है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को एक इंच भी जमीन नहीं मिलनी है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान विमुक्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनकी कि चर्चा ही नहीं हो पाई। श्रीमन्, किसी जाल को लेकर अगर कोई मछली पकड़ना चाहे और उसके छिद्र इतने बड़े बड़े हों कि उनमें से मछली निकल जाय, तो मछली कैसे पकड़ी जाएगी? यही हाल इस विधेयक का है। इसमें इतनी विमुक्तियां हैं कि किसी तरह से ज़मीन नहीं मिल सकती। बड़ी से बड़ी जोत की पूरी जमीन ज्यों की त्यों रह जायेगी। अगर किसी की निकलेगी तो बड़े बड़े फ़ार्म वाले अपनी जमीन में अपना एक रहने का मकान ही बना डालेंगे और चूंकि उद्योग के लिये छूट दी गई है इसलिये उसमें कोई उद्योग छेड़ देंगे, चाय, जुही गुलाब या औषधि लगा देंगे। इसमें इतनी विमुक्तियां हैं कि किसी तरह जमीन पकड़ में नहीं आयेगी। इसके अतिरिक्त भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के साथ जो सबसे बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है वह धारा २४ है। उसमें दिया हुआ है .....

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं आप उसके सिद्धान्त को प्रतिपादित कर दें, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह--२४(१) राज्य सरकार ऐसी अवधि के लिये जो सार्वजनिक हित में आवश्यक हो, किसी यंत्रकृत फार्म की अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय उसे राजकीय फ़ार्म के रूप में चला सकती है। "बन्दोबस्त करने के बजाय।" इससे स्पष्ट है कि यंत्रकृत फ़ार्म पर कोई बन्दोबस्त भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये नहीं होगा। आगे यह भी दिया गया है कि सरकार ऐसे फार्म की भूमि के धारक को अगर योग्य समझे तो मैनेजर बना दे। तो मैं कहना चाहता हूं यदि वह धारक महोदय हमारे मंत्री महोदय को किसी तरह प्रभावित कर सकें, या उनकी पार्टी के हुए, या उनकी पार्टी को प्रोत्साहन देने वाले हों तो वही धारक मैनेजर बना दिये जायेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह--मैं कहना चाहता हूं कि इससे खेतिहर मजदूरों पर काफ़ी कुठाराघात हुआ है क्योंकि भूमि का अर्जन जो कुछ भी होना था वह यंत्रीकृत फ़ार्म से होना था। इसी के साथ एक बात और भी है। यंत्रीकृत फ़ार्म की जो परिभाषा सरकार ने पास करायी है उसकी क्या मंशा है। उसमें दिया हुआ है अगर कोई भूमि का धारक यह सिद्ध कर दे कि तीन साल से उसकी खेती में ट्रैक्टर चला है, किराये पर ही क्यों न चला हो, तो वह भी यंत्रीकृत फ़ार्म में माना जायगा। श्रीमन्, जिनके पास बड़ी-बड़ी जोतें हैं वे साबित कर ही देंगे कि उनका यंत्रीकृत फार्म है वकील लोग जो मौजूद हैं। क्योंकि धारक महोदय चाहेंगे कि उनका फ़ार्म यंत्रीकृत फ़ार्म घोषित हो जाय ताकि वह मैनेजर बना दिया जाय। श्रीमन्, ऐसी चेष्टा फ़ार्मों के मालिक कर सकते हैं। वैसे मंत्री जी किसी विधेयक को उपस्थित करते समय ४ शब्द ही बोलते थे और हम लोगों को बोलने का काफ़ी समय देते थे, लेकिन इस विधेयक की बहस में मंत्री जी ने अपनी बहस को बहुत लम्बा खींच दिया, बहुत लम्बे लम्बे भाषण दिये गये।

श्री अवधेशप्रतापसिंह--आप बोले क्यों नहीं?

श्री रघुवीरसिंह--उन भाषणों में, जैसा मंत्री जी ने कहा था कि हमें उन लोगों का भी ध्यान है, अगर हम उनकी भूमि बिलकुल कम कर देंगे तो उनका जीवन स्तर कैसे चलेगा। श्रीमन्, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि जहां बड़े-बड़े लोगों के जीवन स्तर का उनको ध्यान है वहां गरीब लोगों के जीवनस्तर का भी ध्यान होना चाहिये।

[श्री रघुवीरसिंह]

आखिरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे राजा-महाराजा लोगों को अभी इससे तसल्ली नहीं हुई । यह जो अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक आया है, इतने लम्बे नाम से है लेकिन सार उसके अन्दर कुछ नहीं। इसमें कोई सीमा ही नहीं है । विमुक्तियों के नाम पर ५०० एकड़ जमीन ले लो या जितनी चाहो ले लो । राजा साहब मनकापुर हैं, उनके पास पैसा है । धारा ६ के अधीन वे चाहें तो चाय के बाग लगा लें, दुग्धशाला खोल लें, बगीचे आदि लगा लें लेकिन उनके लिये कोई सीमा निर्धारित नहीं है, चाहे जितने एकड़ में वे गुलाब लगा लें । यह बिल इस तरह से धोखे की टट्टी है ।

श्रीमन्, मंत्री महोदय ने अच्छा अवसर देखा । उन्होंने सोचा कि बहुत दिन से अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक की बात चल रही है, उसको पास करा लिया जाय । राजा लोग जिनकी जमीन नहीं जा रही है थी तब भी वे चिल्ला रहे थे । लेकिन अचम्भा यह है कि जिस श्रेणी के लोगों को भूमि मिलने वाली है उनके प्रतिनिधियों ने कोई जवाब नहीं दिया । सर्वश्री महीलाल, हरीसिंह और रामेश्वर प्रसाद जी कहां चले गये । वे इतने मौन रहे कि एक शब्द भी नहीं कहा । स्पष्ट है कि आतंकवाद का बोलबाला है, उन लोगों का या तो गला दबा दिया गया या उनको बोलने ही नहीं दिया गया । अन्त में मेरा निवेदन है कि धारा ६ तथा २४ की तरफ अगले साल मंत्री महोदय संभव है कोई संशोधन उपस्थित करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रघुवीर सिंह जी का व्याख्यान मैंने सुना और अन्य माननीय सदस्यों के मुकाबले में उन्होंने काफी वक्त भी लिया । उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहीं जिससे मैं मजबूर हूं इस नतीजे पर पहुँचने के लिये कि शायद उन्होंने ध्यान पूर्वक इस विधेयक को पढ़ा नहीं ।

आपने कहा कि इन विमुक्तियों की वजह से हजारों लाखों एकड़ के फार्म ये राजा लोग बना सकते हैं । हमारे मित्र ने धारा ६ में जिन विमुक्तियों का जिक्र है उनमें से एक पर उंगली रख कर नहीं बतलाया कि २० अगस्त के बाद कैसे वे नया बाग लगा लेंगे और जितनी विमुक्तियां हैं उनमें अपनी जमीन शामिल कर लेंगे । इस विधेयक के पास हो जाने के बाद यह संभव नहीं है कि एक इंच भी जमीन वे बढ़ा सकें । ये महज प्रोपेगेंडा की बातें हैं ।

श्री उग्रसेन—पहले ही लोगों ने पेड़ लगा लिये हैं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी आपकी खबर लूंगा, घबड़ाइये मत । मैं तो अभी रघुवीर सिंह जी से निपट रहा हूं । उन्होंने बहुत सी बातें कहीं । यह भी कहा कि मंत्री महोदय ने इन राजा लोगों से एक गठबन्धन कर लिया, और यह देखा कि मौका अच्छा है, कुछ लोगों की जबानें बन्द कर देंगे, कुछ लोगों को अपने साथ ले लेंगे, लिहाजा यह विधेयक लाकर पेश कर दिया । मेरे मित्र भूल गये कि कल जब गिलोटिन हो रहा था तो आपका भी गठबन्धन इन लोगों से हुआ था । सारे अपोजीशन के हर पार्टी के लोगों ने कम्बाइन्ड हो कर एक साथ वोट दिया । अगर वे कभी हमारे साथ वोट कर दें तब तो हमारे साथ गठबन्धन है और आपके साथ वोट करें तो वह गठबन्धन नहीं तो क्या घर बैठने की रसम है ? मैं कहता हूं कि जो खुद शीशे के मकान में रहे वह दूसरे पर ढेला फेंकने की कोशिश न करे । जिसने खुद यह रवैया अख्तियार कर रखा हो वह दूसरे को कैसे कह सकता है । मैंने देखा कि तमाम डिवीजन में सोशलिस्ट पार्टी, पी० एस० पी०, कम्युनिस्ट, राजा साहब की पार्टी, सब एक थे । तो आपका भी गठबन्धन हुआ । मेरे गठबन्धन से क्या आप नाराज हैं ? कुछ आपका नुकसान हुआ ? मैं उससे कोई नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा ।

एक बात मेरे मित्र ने और कही जिससे हम मजबूर हुये यह कहने के लिये कि हमारे मित्र ने विधेयक ठीक से नहीं पढ़ा । उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल पर्पज के लिये एग्जेम्प्शन दे दिया । अगर हमारे मित्र पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १४३ और १४४ में जो डिक्लेयर हो चुके हैं उन्हीं को एग्जेम्ट किया है आयन्दा करने वालों को एग्जेम्प्ट नहीं

किया । अगर कुछ समझ बूझ कर कहें तो उसका जवाब भी हम दें लेकिन बिला समझे हुये कोई बात कोई अगर कहे तो जब खुद ही नहीं समझे तो हमें कैसे समझा पावेंगे और बेसमझे किसी बात को मंजूर कर लेना भी अक्ल के बईद बात है ।

उन्होंने कहा कि लैंडलेस को जमीन नहीं मिलेगी । हम यह कहते हैं कि सारा विधेयक एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबरर के लिये है । हम जब कोआपरेटिव बनायेंगे तो उनकी भी बनायेंगे और जब कोआपरेटिव बन जायगी तो उनको जमीन मिलेगी । इंडिविजुअल को हम देना नहीं चाहते क्योंकि थोड़ी थोड़ी देंगे इसलिये वह ठीक से काश्त नहीं कर सकेंगे ।

हमारे मित्र ने यह भी कहा---क्या बतायें सारी रामायण हो गयी, फिर यह पूछा जा रहा है कि राम कौन थे, सीता कौन थी ? दफ़ा २४ के बारे में उन्होंने कहा कि सेटिलमेंट के बजाय मैनेजमेंट में दिया जा सकता है । हमारा यह ध्येय है कि जो जमीन सरप्लस बचेगी हम कोआपरेटिव बना कर सब को देंगे । क्या कोआपरेटिव छूमन्तर से बनेगी ? उसमें टाइम लगेगा । तो क्या जब तक कोआपरेटिव नहीं बनेगी तब तक जमीन को परती डाले रखें ? वह तो एक टेम्पोरेरी फ़ेज़ है । जब तक हमारी सोसायटी न बनेगी हम लोगों को मैनेजमेंट में देंगे अपनी शरायत और कंडीशन्स पर । अगर उनको वह शरायत और कंडीशन्स मंजूर हैं तो मंजूर करें और मैनेज करें लेकिन सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिये और जिस वक्त हमारी सोसायटी बन जायगी उस वक्त हम उस मैनेजमेंट को हटा देंगे और सोसायटी को जमीन दे देंगे ।

हमारे मित्र ने यह भी कहा कि माननीय महीलाल और हरीसिंह नहीं बोले । क्या वे रघुवीरसिंह हैं कि जो माकूल बात हो उसकी भी मुखालिफ़त करें ? यह विधेयक पहले हमारी पार्टी में पेश हुआ और सबने इसको पसन्द किया उसके बाद यहां आया । यही कारण है कि नहीं बोले । ताईद अगर करते तो आप कहते कि जबरदस्ती ताईद करा रहे हैं और अगर माकूल समझ कर बोले नहीं तो आप कहते हैं कि वे बोलते नहीं ।

यह कोई बहस है ? यह सब टैक्टिक्स बहुत पुराने हो गये हैं और उनका कोई असर नहीं होता है। अब हमारे हरिजन भाई भी उनसे नहीं डरते हैं, डरने की कौन सी बात है ?

हमारे भाई उग्रसेन जी ने दो एक बातें कही हैं। एक बात तो उन्होंने यह कही कि ठाकुर साहब ने जो इसकी तारीख १५ अगस्त से २० अगस्त बदली है वह इसलिये बदली है कि उनके घरवालों ने या जाति बिरादरी वालों ने उनके ऊपर दबाव डाला होगा। यह बहुत छोटी बात है और हमारे मित्र आज तक हमें समझे नहीं हैं। यह गलत बात है। उग्रसेन जी हमारी बिरादरी के हैं। एक मर्तबा दबाव डालकर देखें कि कहां तक कामयाब होते हैं। वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं।

श्री उग्रसेन---हमारी कोई जाति नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---चलो हम छुट्टी पाये। आप मेरी विरासत नहीं पा सकते हैं और हमारी विरासत जायज लोगों के पास जायगी। कई महीने हुये जब ओला गिरा था और सूखा की शिकायत थी तो मैं बरहज गौरा गया था। वहां हमारे मित्र भी अपने बिरादरी वालों के साथ मिले थे। वहां तो उन्होंने दावा किया था कि हम भी विसेन हैं और अब यहां कहते हैं कि हमारी कोई जाति नहीं है अब हम किस बात का यकीन करें। राजा साहब ममकापुर भी उसी बिरादरी के हैं यह हमारे शाहिद रहेंगे कि उनकी कोई जाति नहीं है।

हमारे मित्र ने यह भी कहा कि शुगर फैक्टरीज और मिकैनाइज्ड फार्मों को इससे विमुक्त कर दिया गया है। अगर मैं यह कहूं कि आपने विधेयक नहीं पढ़ा है तो कोई हर्ज नहीं है। हमने शुगर फैक्टरीज और मिकेनाइज्ड फार्मों को एक्जेम्प्ट नहीं किया है । यह विधेयक इन दोनों पर लागू होगा। लिहाजा उनका यह कह देना कि उनको विमुक्त कर दिया गया है, कहां तक वाजिब है ? मैं कहता हूं कि आप विधेयक को पढ़िये और पचास मर्तबा पढ़िये, तब आपकी समझ में आयगा। विधेयक बिलकुल साफ है और इसमें कोई मुहमिल लफ्ज नहीं है, धारा ६ को पढ़िये जिसमें विमुक्तियां दी गई हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--श्रीमन्, मैं एक बात साफ कराना चाहता हूं कि. . . . . .

श्री अधिष्ठाता--आप कृपया बैठें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने आपके लिये कुछ नहीं कहा। मैं तो भाई उग्रसेन जी से मुलाकात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने हम से बात की है। मैं कहना चाहता हूं कि विधेयक की वह कौन सी धारा है जिसके आधार पर हमारे मित्र ने कहा है कि शुगर फैक्टरीज और मिकेनाइज्ड फार्मों को विमुक्त कर दिया गया है। यह बिलकुल गलत है। इसमें कोई दफा ऐसी नहीं है। आप घर पर बैठ कर इत्मीनान से विधेयक को पढ़िये तब आपकी समझ में आयेगा।

हमारे मित्र बड़े भाई पालीवाल जी इस समय सदन में नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है। जहां तक गोविन्दसिंह जी विष्ट का ताल्लुक है मैं उनकी किसी बात का जवाब देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि वह तो वही नोटिफिकेशन इन "गजेट" की बात जब से विधेयक शुरू हुआ है तब से कहते आये हैं। मैं तो कहता हूं कि काफी नोटिस है, जिस वक्त हम कोई बात इस सदन में कह दें, जो बात यहां कही जाती है, हमारे मित्र गोविन्द सिंह विष्ट समझते हैं कि वह गांवों तक पहुंचती नहीं है। वह समझते हैं कि अभी दुनिया दस वर्ष पीछे है। गांव-गांव में रेडियो हैं। गांव-गांव में अखबार आते हैं। जो कुछ सदन में कार्यवाही होती है लोग बैठ कर पढ़ते और सुनते हैं। एक आदमी पढ़ता है, दस, बीस, पचास आदमी सुनते हैं। वह काफी नोटिस हो जाती है। इस धोखे में कोई माननीय सदस्य न रहें कि जो यहां हम कह देंगे उसको वहां कोई जान नहीं पायेगा। माननीय गोविन्दसिंह विष्ट का प्रयास रहा है कि किसी तरह से जमींदारी अबालिशन के सम्बन्ध में, लैंड रिफार्म्स के सम्बन्ध में, जितने कानून आयें सबकी मुखालिफत की जाय जिसको उन्होंने साबित कर दिया है कुमायूं और उत्तराखंड जमींदारी अबालिशन बिल के सम्बन्ध में, जायज और नाजायज हर तरह की मुखालिफत की है। उसी मेंटालिटी को लेकर इस विधेयक में हमको चरका दे रहे हैं। चरका शब्द अगर अनपार्लियामेंटरी हो तो वापस ले लूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो १५ अगस्त से २० अगस्त की डेट की गयी है, उसके बारे में हम कई बार अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। जिस दिन यह बिल सदन में इंट्रोड्यूस किया गया था उससे मौजूं कोई डेट हो नहीं सकती। रही गजट की बात, गजट कोई पढ़ता नहीं। एम० एल० ए० जिनके पास जाता है, मुझे माफ करेंगे वे, शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ते। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमने २०वीं तारीख रखी है वह बिलकुल ठीक और इम्पार्टेन्ट डेट रखी है।

हमारे मित्र पालीवाल जी ने इस विधेयक के प्रिंसिपिल को अपोज किया। फार्मली अपोज कर दिया। अगर वाकई खिलाफ होते तो दस दिन से यह विधेयक चल रहा है। आज ग्यारहवें दिन आये, पहली मर्तबा। जब विधेयक पेश किया गया था तब भी मौजूद थे। इसके बाद कमेटी स्टेज में, जब क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन हुआ, उसमें शुरू में थे। लेकिन उस दौरान में कभी रहते नहीं थे नहीं तो काफी विचार व्यक्त कर सकते थे। मैं समझता हूं कि जब विधेयक सदन में पेश होकर सेलेक्ट कमेटी में जाता है तो यह तसव्वर कर लिया जाता है कि सदन इस विधेयक के सिद्धान्तों से सहमत है। पहले तो आपने मान लिया और जिस पार्टी के वह मेम्बर हैं उस पार्टी ने इस सिद्धान्त को मान कर सीलिंग की तादाद में घटाने बढ़ाने के लिए संशोधन भी दिये, लिहाजा वह भी इस बात को साबित करती है कि उस पार्टी ऐज ए होल ने उसके सिद्धान्त को मान लिया।

अब यह कहते हैं, जब एक मर्तबा सिद्धान्त मान लिया, खंडों पर बहस करके सदन ने उनको पास कर दिया, कि हम इसके सिद्धान्त का विरोध करते हैं। सदन के फैसले के खिलाफ खड़ा होकर कोई कहे, कि यह विधेयक बेकार है तो सदन ने बेकार समझ कर इसको मंजूर किया, यह बात किसी की समझ में आ नहीं सकती। वह कहते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा।

हम इतना कह सकते हैं कि वेट ऐंड सी, इसके बाद कोई और ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं। हमारे बड़े भाई पालीवाल जी ने यह भी कहा कि इस विधेयक से प्रोडक्शन कम हो जायगा। क्यों ?

(इस समय २ बज कर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

एक वजह उन्होंने बतायी कि जो बड़े-बड़े अमीर हैं उनसे जमीन निकाल कर गरीबों को दी जायगी तो उनके पास उतना सामान उपलब्ध नहीं है, वह ठीक तौर से खेती नहीं कर पायेंगे। इस बात से मैंने यह समझा कि गरीबों को जमीन देने के वह खिलाफ हैं। गरीबों को जमीन उनके कहने के मुताबिक नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं इत्तफाक से ऐसी राय को कभी मंजूर नहीं कर सकता। हमारा यह ध्येय है कि जो गरीब हैं और एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबरर हैं उनको हम जमीन देंगे, कोआपरेटिव बना कर के और उनको सब साधन भी उपलब्ध कराने की चेष्टा हम करेंगे। लिहाजा श्री पालीवाल जी की राय हमको कबूल व मंजूर नहीं है और मैं समझता हूं कि इस सदन को भी वह कबूल व मंजूर नहीं है कि जमीन गरीबों को न दी जाय।

हमारे भाई गेंदासिंह ने उस दिन कहा कि जापान की तरफ देखिए। जापान में ढाई-ढाई एकड़ की होल्डिंग्स हैं और वह इन्टेंसिव कल्टीवेशन कर के कई गुना उससे पैदा करते हैं। तो उनकी बात से भी यह सिद्ध होता है कि छोटी होल्डिंग्स में भी काफी पैदावार बढ़ाय: जा सकती है। इस हद के अलावा उस हद में ऐसे भी विचार रखने वाले लोग हैं तो मैं पालीवाल जी की बात को कैसे मान लूं जिनका कम्बिनेशन अक्सर इस बिल के खिलाफ उनके साथ हुआ है। एक सेक्शन उनका कहता है कि यह होना चाहिए और माननीय गेंदा सिंह जी बहुत अनुभवी और बड़े तजुर्बेकार आदमी हैं हमारे प्रदेश के, हालांकि चाहे पापुलर न हों, अपने क्षेत्र में यह तो बात दूसरी है, लेकिन अनुभवी आदमी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं और आदर करता हूं और उनकी राय भी कुछ अहमियत रखती है। लिहाजा जब दो राय ऐसे आदमियों के दरमियान लड़ती हों जो बराबर स्टेटस के हों, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कौन सी बात मानें, कौन सी बात न मानें। लिहाजा हम तो समझते हैं कि गरीबों को जमीन देने में, उनको सुविधा उपलब्ध करने में खेती कराने के, हमारे प्रयास में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन इस विधेयक को पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८५,
विपक्ष में—६।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६०*

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६०, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्रीमान् जी, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायत राज अधिनियम, १९४७ सन् १९५४ में पूर्णतया संशोधित किया गया था और उसके बाद सन् १९५५ और १९५७ में भी इसमें संशोधन हुये, लेकिन पिछले चुनाव से आज तक ५ वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह आवश्यक हो गया है कि आगामी पंचायतों के सामान्य

*९ अगस्त, १९६० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जयराम वर्मा]

चुनाव के पहले उसमें कुछ संशोधन किये जायं। इसी दृष्टि से यह संशोधन विधेयक लाया गया है। यह एक बहुत छोटा-सा संशोधन विधेयक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं रखी गई है जो विवादग्रस्त हो और इस वास्ते भी छोटे रूप में इसको लाया गया है कि इसके पास होने में देर न हो जिससे हम पंचायतों के चुनाव समय पर करा सकें और जिलों में जो क्षेत्र समितियां और जिला परिषद् स्थापित होनी हैं वह समय पर स्थापित हो जायं, उनकी स्थापना में देर न हो सके।

इस संशोधन विधेयक में जो संशोधन रखे गये हैं उनका अधिकतर सम्बन्ध ग्राम पंचायतों के संगठन और न्याय पंचायतों के पंचों के चुनाव की प्रक्रिया से है। कुछ इसमें आनुषंगिक और प्रासंगिक संशोधन भी किये गये हैं। इसमें एक संशोधन यह भी किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिये जो आगे के लिये संरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुसार हुई है उसी के अनुसार इस विधेयक के द्वारा भी इस अधिनियम में संशोधन कर दिया जाय। जो खास खास संशोधन इसके द्वारा करने की कोशिश की गई है उसकी तरफ मैं थोड़ा इशारा करना चाहूंगा।

अभी तक हमारी पंचायतों का चुनाव निर्वाचन निदेशक या संचालक की देखरेख और नियंत्रण में हुआ करता था और उसके लिये प्राविधान नियमों में था। लेकिन हमारा मूल अधिनियम इस बारे में साइलेंट था। कभी-कभी उस निर्वाचन निदेशक के क्षेत्राधिकार के बारे में शक की गुंजायश होती थी, इसलिये उस शक को दूर करने के लिये इस विधेयक द्वारा एक संशोधन किया जा रहा है। तो निर्वाचन निदेशक की परिभाषा इसमें जोड़ दी गयी है धारा २ में, और एक नई धारा १२ बी बी, जोड़ कर यह व्यवस्था कर दी गयी है कि निर्वाचन निदेशक की देखरेख में और उसके नियंत्रण में चुनाव होंगे। चुनाव में कभी-कभी ऐसी बात हो जाया करती है कि हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी चुनाव के लिये जाते हैं उनसे कभी-कभी नियमों का उल्लंघन हो जाया करता है या कभी-कभी वह अपने क्षेत्राधिकार के बाहर की बात कर दिया करते हैं, तो उन भूलों का सुधार जल्दी हो जाय इसलिये निर्वाचन निदेशक को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसी भूलों का सुधार वह कर सकेगा। निर्वाचन निदेशक की व्यवस्था नियमों में थी, और इसको अब हम अधिनियम में ला रहे हैं ताकि उसमें शक की कोई बात न रह जाय।

जहां तक गांव पंचायतों के प्रधान के चुनाव की बात है, वह हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उसका चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा और उसकी व्यवस्था नियमों द्वारा की जायगी। अधिनियम में उसकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर प्रधान के चुनाव की व्यवस्था इस अधिनियम में की जाय तो जितने भी चुनाव होने हैं सब की व्यवस्था इसमें करनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि हम सब की व्यवस्था नियमों द्वारा कर चुके हैं और करेंगे, इसकी घोषणा भी कर चुके हैं इसलिये अधिनियम में लाने की इसकी जरूरत नहीं है। नियमों द्वारा इसकी व्यवस्था की जायगी। और इस बात को मान कर ही जो अगले चुनाव होने वाले हैं उनके लिये पिछले चुनाव के मुकाबले में गुप्त मतदान प्रणाली के शुरू करने की वजह से ही ४८ लाख रुपया ज्यादा चुनाव के खर्च में रखा गया है।

एक हमारे मूल अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि अगर किसी गांव पंचायत में पंचों का चुनाव न हो सके और गांव सभायें चुनाव करने में असफल रहें तो उनको एक बार फिर आहूत किया जायगा कि वे शेष मेम्बरों का चुनाव कर दें, लेकिन अगर गांव सभायें फिर असफल रहती हैं तो सरकार को या नियत अधिकारी को अधिकार होगा कि जो जगहें खाली रह जायं उनको वह नामजदगी के द्वारा भर दे, लेकिन प्रधान के बारे में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब इस संशोधन विधेयक के द्वारा प्रधान के बारे में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। अगर गांव सभायें प्रधान का चुनाव करने में असमर्थ रहती हैं तो उनको एक बार फिर आहूत किया जायगा कि वह अपने प्रधान का चुनाव कर दें। किन्तु यदि वे फिर भी असफल रहती हैं तो सरकार के लिये या नियत अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि

वह गांव सभा के सदस्यों में से ऐसे व्यक्ति को जो प्रधान होने की योग्यता रखता हो, प्रधान की हैसियत से नामजद कर दे और इस तरह से नामजद किया हुआ व्यक्ति विधिवत् चुना हुआ प्रधान माना जायगा। यह व्यवस्था इसमें की गयी है और प्रधान के कार्यकाल के बारे में कि वह कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, थोड़ा सा संशोधन इसमें आया है। उसका कार्यकाल शुरू होगा गांव पंचायत के संगठन के दिनांक से या उसके निर्वाचन के दिनांक से या उसकी नामजदगी के दिनांक से, जो भी इसमें बाद का हो।

एक और व्यवस्था इसके द्वारा यह की जा रही है कि हमारी गांव पंचायतों का जब संगठन होगा तो उनके संगठन का नोटिफिकेशन किया जायगा। और नोटिफिकेशन तभी किया जा सकेगा जब गांव सभा के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का और प्रधान का चुनाव हो जायगा और जब नोटिफिकेशन होगा तभी गांव पंचायतें विधिवत् संगठित मानी जायंगी।

एक बात पुराने अधिनियम में और थी और वह यह कि कोई भी व्यक्ति दो पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। किन्तु उसमें कुछ ऐसी बातें छूट गयी थीं जिनके कारण वह कुछ दो पद साथ-साथ ग्रहण कर सकता था। उसमें सिर्फ इतनी ही व्यवस्था थी कि साथ-साथ कोई आदमी न्याय पंचायत और गांव पंचायत का या कई गांव सभाओं का कोई पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके साथ-साथ और बहुत-सी बातें, जिनको इसके लिये उसमें होना जरूरी था, नहीं थीं, अब उसके लिये ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि जो लैकुना था वह दूर हो जावे।

एक बात की और व्यवस्था की गयी है और वह है चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में। आपको खयाल होगा कि हमारे मूल अधिनियम में ऐसी व्यवस्था थी कि गांव पंचायत में उतने सदस्य चुने जाते थे जितने सदस्य उस गांव पंचायत में होने थे और उस गांव पंचायत में जितने व्यक्ति न्याय पंचायत में जाने को होते थे उन दोनों की संख्या को जोड़ कर चुनाव होता था। अब यह व्यवस्था की गयी है कि जिस धारा में इसका जिक्र था उसको हटाया जा रहा है। अब गांव पंचायत में केवल उतने ही सदस्य चुने जायंगे जितने गांव पंचायत के सदस्य होंगे और फिर उन गांव पंचायत के सदस्यों में से न्याय पंचायत के पंचों को नामजद किया जायेगा। इस तरह से जो जगहें खाली हो जायेंगी, उनकी पूर्ति फिर से चुनाव करा कर कर दी जायेगी। इसके अलावा न्याय पंचायतों में यह व्यवस्था की गयी है कि उसमें कम से कम १० पंच हों और अधिक से अधिक २५ पंच हों और वे उनमें कोई जगह खाली होने पर भी काम कर सकेंगे लेकिन शर्त यह है कि उसमें कम से कम दो-तिहाई पंच मौजूद हों।

इस तरह से जैसे पहले नियत अधिकारी द्वारा ही ग्राम पंचायतों के सदस्यों में से न्याय पंचायत के पंचों की नामजदगी होती थी उसी तरह आगे भी होगी, लेकिन एक बात उसमें और की जा रही है इस सम्बन्ध में कि जो प्रक्रिया बरती जाये वह नियमानुसार हो। इसलिये उसका भी प्राविजन इसमें कर दिया गया है जिससे कि उसमें कोई दिक्कत पैदा न हो और वह प्रक्रिया पहले से ही निश्चित कर दी जावेगी ताकि इसी के अनुसार नामजदगी हो सके।

एक सुधार इसमें और किया गया है। अब तक जो हमारी गांव सभा का रजिस्टर होता था उसमें गांव के सभी निवासी लिखे जाते थे और उसमें गांव सभा के सभी सदस्यों का उल्लेख होता था। लेकिन उसमें यह कोई व्यवस्था नहीं थी कि जब गांव पंचायतों का या और कोई चुनाव होगा तो जो रजिस्टर में गांव सभा के सदस्य दर्ज हैं वही वोट दे सकेंगे या चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण झगड़ा पैदा हुआ और अदालतों में तथा हाई कोर्ट में विभिन्न राय कायम हुई। इसलिये इसमें भी थोड़ा सा डिफेक्ट रह गया था उसको दूर कर दिया गया है और अब यह कर दिया गया है कि रजिस्टर में जिन लोगों के नाम दर्ज होंगे वे ही चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे और वोट दे सकेंगे और जिनका

[श्री जयराम वर्मा]

नाम दर्ज नहीं होगा वे हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यह बात एक तरह से छूट गयी थी। यह निश्चित हुआ कि उस रजिस्टर के बाहर का कोई आदमी वोट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको पूरा किया गया है। वह ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो इसके बारे में कभी झगड़ा पैदा हो सकता है।

तो इसमें जानबूझकर ऐसे ही संशोधन लाये गये हैं जो बहुत जरूरी हों और ऐसों को छोड़ दिया गया जो विवाद-ग्रस्त हों और जिनके लिये समय की जरूरत हो। अदालती सरपंच के बारे में पहले जैसी व्यवस्था है। एलेक्शन पेटीशन के बारे में यह है कि सरपंच, उप सरपंच, उप प्रधान के लिये भी एलेक्शन पेटीशन में वही नियम रहेंगे जो प्रधान या गांव पंचायतों के सदस्यों के बारे में है जो कि १२-सी में हैं। ये संशोधन ऐसे नहीं हैं जिनके बारे में कोई झगड़ा हो। यह कमियों को दूर करने के बारे में लाये गये हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि विचार के लिए इन पर विशेष समय लिया जाय या प्रवर समिति में भेजा जाय। इस विधेयक में देर करने का एक दूसरा परिणाम यह हो सकता है कि हम पंचायतों के चुनावों को समय पर न करा सकें और क्षेत्रीय समितियां और जिला परिषदों को जो हम स्थापना करना चाहते हैं उसमें भी बहुत देर हो।

इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन इस पर विचार करेगा और अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। यह संशोधन विधेयक पढ़कर यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि पहले न्याय पंचायत के सदस्य जो चुने जाते थे वह गांव पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से ही चुने जाते थे, मगर इस संशोधन से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे न्याय पंचायत के सदस्य गांव सभा के सदस्यों में से भी चुने जा सकते हैं, उनके लिये भी कोई शर्त नहीं है कि वह गांव पंचायत के सदस्य हों। जरा इसको स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--मेरा खयाल है कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि पहले अगर वह २ न्याय पंचायतों के सदस्य चुनते थे और १५ गांव पंचायत में हों तो १७ चुन लिये जाते थे। अब १५ चुने जायंगे और दो न्याय पंचायतों में चले जायंगे, १३ रह जायंगे और दो की जगह बाद में चुनाव से भर ली जायगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--उनका मकसद दूसरा था। उसी लिस्ट में से डिप्टी कमिश्नर जो थे और जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी, उसके प्रोसेस के बारे में···

श्री उपाध्यक्ष--वह प्रोसेस तो अपनी जगह पर होगा ही। यह तो चुनाव के संबंध में उन्होंने बताया।

***श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--मैं आपकी आज्ञा से, प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६० को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करें तथा जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

मान्यवर, जिस समय माननीय मंत्री बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इस संशोधन विधेयक में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर वाद विवाद हो सकता है। और ऐसी मासूम भाषा में बोल रहे थे कि समझा जा रहा था कि इसका विरोध किया ही नहीं जा सकता। मैं आपके जरिये उनको बताना चाहता हूं कि उद्देश्य और कारणों में उन्होंने लिखा है कि यह बिल पंचायत राज अमेंडमेन्ट ऐक्ट में कमेटी की सिफारिशों के अनुसार हमने संशोधन करने प्रारम्भ किये। मैं अपने भाषण के दौरान में बताऊंगा कि कहां तक उसकी सिफारिशें मानी गईं। आज इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन विधेयक के लाने के बाद और मंत्री जी की घोषणा के बाद भी मैं पूछना चाहता हूं कि इस माननीय सदन में जो घोषणा हो चुकी है कि हाथ उठवाकर चुनाव नहीं होगा बल्कि सीक्रेट बैलेट से चुनाव होगा, उसको इस बिल में क्यों नहीं रखा गया ? एक दफा तो यह कहा गया कि कुछ चीजों को ऐक्ट में नहीं बल्कि रूल्स में लाया जाता है लिहाजा यह संशोधन लाया जा रहा है। मेरी यह वैधानिक आपत्ति है कि जब तक किसी धारा में रूल्स बनाने की पावर नहीं होगी तब तक आप रूल्स कैसे बना सकते हैं ? नियम तो यह है कि जिस धारा में लिखा उसी में रूल्स बनाये जा सकते हैं। अभी कहा गया कि गुप्त मतदान के लिये रुपया भी रखा गया है, लेकिन उसका कोई प्राविजन नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार यह जानती है कि गुप्त मतदान में उसके उम्मीदवार नहीं जीत सकते। हमारे मंत्री महोदय गांधीवादी हैं इसलिये जब उनके विभाग की ओर से ऐसा विधेयक आता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जिस प्रकार से हमारे मंत्री महोदय साफ हैं उसी प्रकार से यह बिल भी साफ होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि हमारे ग्राम सभापति और अदालती सरपंच अंग्रेजी तो दूर रही, हिन्दी तक नहीं जानते। यह जो विधेयक पेश किया गया है यह ऊपर से तो हिन्दी में लेकिन अन्दर सारा ऐक्ट अंग्रेजी में है। इस प्रकार से माननीय सदस्यों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि जो ओरीजिनल ऐक्ट है उसको आज तक हिन्दी क्यों नहीं की गई ? सभापति तथा अदालती सरपंचों से तो यह आशा की जाती है कि वह सारे पंचायत राज ऐक्ट और रूल्स को पढ़े और समझें इसलिये मेरा सरकार पर यह चार्ज है कि आज तक उसका हिन्दी अनुवाद क्यों नहीं किया गया ? इसलिये नहीं कि उस अनुवाद की हम सदस्यों को आवश्यकता है, बल्कि इसलिये कि ग्राम सभापति और सरपंच उनको समझ सकें। आज ही प्रश्नों में बताया गया कि अगर मैजिस्ट्रेट अंग्रेजी में फैसला दे तो एतराज किया जाता है, लेकिन अगर इस ऐक्ट की प्रतियां अंग्रेजी में सरपंचों के पास भेजी जायं तो कोई एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात की सफाई दें।

श्रीमन्, १९२० में गांव पंचायत ऐक्ट बना और १९४७ में पंचायत राज ऐक्ट द्वारा उसमें संशोधन लाये गये। उन संशोधनों की क्या मंशा थी वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं :

> "The Bill seeks to establish panchayats in all villages on wider popular basis. It gives power to them to levy taxes, manage their funds, make bye-laws, prepare their budgets and maintain and establish schools and dispensaries.It also contemplates the organization of a village volunteer corps for watch and ward and the creation of Adalati Panchayats distinct from village panchayats with more substantial powers in relating to the administration of civil and criminal justice than are conferred at present."

सन् १९४७ में यह संशोधन विधेयक इसलिये लाया गया कि इस प्रदेश के रहने वाले अपने हाथ में राज्य लें और जनता बिना सरकार पर मुनहसिर रहे हुए खुद अपना कार्य चलाये, स्कूल और डिस्पेन्सरीज खोले और जितनी भी चीजें गांव के स्तर की हैं उनको मैनेज करे। लेकिन मैं पूछना चहता हूं कि क्या मंत्री जी आज भी उस स्थिति को पहुंच सके हैं ? आखिर इसके लिये कौन कसूरवार है ? मैं कहूंगा कि कसूरवार उनका विभाग है और उनके अधिकारी हैं। आज फिर इस संशोधन विधेयक को लाते हुए कहा जाता है कि पुराने तजुर्बे के आधार पर इन संशोधनों को लाने की परम आवश्यकता है। लेकिन मैं अभी बताऊंगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। मान्यवर, सन् ४७ का जो ऐक्ट है वहां पर उसमें और इस विधेयक में क्या अन्तर है ? केवल शब्दों का हेरफेर है। मंशा सरकार की वही है जो पहले थी। मेरी समझ में नहीं आया कि प्रवर समिति को भेजने में कैसे देर होगी। बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे स्वशासन मंत्री महोदय ने दूसरी स्टेट्स के, केन्द्रीय सरकार के और विरोधी दलों के जजबात को ध्यान में रखकर पुराने जिला परिषद् बिल को वापिस लिया है और नया ऐक्ट लाने जा रहे हैं। उससे मालूम होगा कि हमारी ग्राम पंचायतों को कितना अधिकार होगा। इसलिये पहले जिला परिषद् ऐक्ट हमारे सामने आना चाहिये था। उससे हमें

[श्री प्रतापसिंह]

मालूम होता कि जिला स्तर पर जो समिति होगी उसके क्या अधिकार होंगे, ब्लाक लेविल पर जो बाडी होगी उसके क्या अधिकार होंगे और ग्राम सभा के क्या अधिकार होंगे ? यह पहले मालूम हो जाना चाहिये था ।

श्रीमन्, तीन चीजें हमारे ग्रामों के विकास के लिये बहुत जरूरी हैं, स्कूल, सहकारिता समिति और ग्राम पंचायत । माननीय मंत्री जी के हम आभारी हैं कि वह जिला परिषद् बिल यहां जल्दी ला रहे हैं । तो फिर क्या जरूरत है कि यह संशोधन विधेयक अभी लाया जाय ? कौन-सा आसमान टूटा पड़ रहा था ? कौन-सी तारीख निकली जा रही थी ? अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनवरी तक इसकी मियाद है, तो फिर क्या जल्दी है ? केवल यही है कि बहुत से काम करने हैं तो इसको भी ले आइये सन् १९४७ के ऐक्ट में और इसमें क्या फर्क है ? क्या सन् १९४७ में नामजद करने का अधिकार डी० एम० को नहीं था ? आज भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी लिखा है । प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कौन होगा ? इसमें लिखा है कि वह अथारिटी चुनाव करेगी जो न्याय पंचायतों के सदस्य होंगे । पहले जिस सदस्य को नहीं चुना जाता था सरकार उसे नामजद करती थी, लेकिन अब सभापति के लिये भी कर दिया है । इसकी जिम्मेदार यह सरकार ही है कि आज हमारे ग्रामों के रहने वाले इतना भी नहीं जान पाये कि वे ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव ३०, ४० आदमी बैठकर कर सकें ।

सभापति और सरपंचों को कितने के टिकट लेने होंगे ? पिछले इलेक्शन में १२ और ६ रुपये के टिकट लेने पड़े थे । क्या मैं माननीय गांधी वादी मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि एक गरीब आदमी गांव का रहनेवाला इतना रुपया आसानी से दे सकता है? क्या सभी आदमी जो इलेक्शन में आकर चुना जाना चाहते हैं वे इतना रुपया दे सकते हैं ? आगे वही आवेगा जो मंत्री जी तक या एम० एल० ए० तक पहुंच सकता है, इतना चुस्त व चालाक है, लेकिन वह गरीब आदमी जिसके लिये पंचायत राज और नियोजन विभाग है वे कभी भी गांव की पंचायत के सदस्य नहीं हो सकेंगे । मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी मेरी बातों का जवाब देने का कष्ट करेंगे ।

इसकी धारा १२ में लिखा है कि जब सरकार चाहे ग्राम पंचायत की टर्म को बढ़ा सकती है । यह भी लिखा है कि समय पूरा न हो तो भी चुनाव पहले करा सकती है। यह इसलिये रखा गया है कि जब आप देखें कि हमारी नैया डांवाडोल हो रही है, मंझधार में है, तो आप फौरन चुनाव का हुक्म कर देंगे । इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी सफाई देने की कृपा करें ताकि लोगों का भ्रम दूर हो सके । अगर वह सचमुच भ्रम है तो ।

अभी सरकार ने कहा कि उसने यू० पी० पंचायत राज कमेटी की रिपोर्ट को माना । लेकिन मैं कहता हूं कि उनके सुझाव को सरकार ने नहीं माना है । न्याय पंचायत के लिये, जिसके बारे में वह चुप हैं, सरपंच का कैसे चुनाव होगा ? इस में है कि मनोनीत होंगे । इसके पेज ५६ पर है कि—

"The Committee unanimously recommended that the system of Gaon Sabha electing members of the Nyaya Panchayats was the best possible choice and all other alternatives were fraught with graver dangers."

लेकिन इसमें रखा है कि सी० ऐम्स चुनेंगे और एकाध एम० एल० ए० भी होंगे । विरोधी दलों के एम० एल० ए० तो गिने चुने १४४ हैं, बाकी सरकार के ही हैं । तो वह अपनी फौज को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आगे आने वाले चुनावों में उनका हाथ मजबूत हो । अगर वास्तव में ग्राम के लोगों को, गरीब जनता को, आप लीडरशिप में लाना चाहते हैं तो जरा परमात्मा के लिये इंसाफ कीजिये । इस बिल का मकसद केवल यही रखा गया है कि सरकार कमेटी के आधार पर इसे लायी है । ऐसा हमें अभी मंत्री जी ने बताया । मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातों पर गौर करें और अपने जवाब में उनको साफ करें ।

एक बात यह है कि लैन्ड मैनेजमेन्ट के रोज झगड़े आते हैं । इसी कमेटी ने लैन्ड मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा है । लेकिन आपके संशोधन में कुछ नहीं है । कमेटी ने साफ कहा है कि लैन्ड मैनेजमेन्ट कमेटियां गांव सभा की सब कमेटियों की तरह से काम करें । इसके लिये विधेयक में कुछ भी नहीं किया गया है । तो जिस कमेटी की दुहाई पर यह संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं तो कहूंगा कि सदन का समय बरबाद ही किया गया है । मंत्री जी बतलावें कि कमेटी के कौन से सुझाव उन्होंने माने हैं ? वह कहते हैं कि डाइरेक्ट इलेक्शन के बारे में रूल्स में आवेगा । यह कहकर, मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार हमारी आंखों में क्यों धूल झोंकना चाहती है ?

एक बात और है कि ५०० रुपये के मुकदमे मुंसिफ से लेकर न्याय पंचायत के सरपंचों को दे दिये गये हैं । मैं तो चाहता हूं कि आप मुंसिफ की कोर्ट खत्म करके सरपंच के घर पर ही कोर्ट लगावें । लेकिन जब आपका ऐक्ट ही अंग्रेजी में है तो वह बेचारा आई० पी० सी०, क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड और सिविल प्रोसीज्योर कोड क्या समझेगा ? इस प्रकार आज जनतन्त्र को सरकार पंचायत राज विभाग द्वारा कमजोर करना चाहती है । यह आपका क्या तरीका है, मेरी समझ में नहीं आता । इससे जनता आपके प्रति क्या सोचेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—"आप" शब्द का प्रयोग आप, बार-बार कर रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह—माफ कीजियेगा, मेरा मतलब सरकार से है । ५०० रुपये के मामले सरकार ने मुंसिफ से लेकर सरपंच को दे दिये । तो उस सरपंच के ज्ञान और अनुभव को बढ़ाने के लिये सरकार ने कौन-सा उपाय किया है कि उनको कुछ अध्ययन कराया जाय ? इसलिये सरकार को चाहिये कि इन लोगों के लिये कुछ ट्रेनिंग का प्रबन्ध करे, हमारी ग्रामीण जनता के लिये सामाजिक और आर्थिक विकास के केंद्र होने चाहिये । अभी हमारे ग्राम स्तर पर इतनी काबिलियत नहीं आयी है कि वह न्याय स्तर को ऊंचा उठा सके । जिला मजिस्ट्रेट तो दूर रहते हैं इसलिये उन पर लोगों का असर नहीं पड़ता है, लेकिन न्याय पंच तथा सरपंच लोग तो वहीं रहते हैं उन पर असर पड़ सकता है । इसलिये उनको आपने जो ५०० रुपया तक के अधिकार दे रखे हैं, वे उचित नहीं है । इससे तो पहले ही अधिकार ठीक थे जिनमें ५० रुपया तक के अधिकार दिये गये थे ।

श्रीमन्, एक चीज मेरी समझ में नहीं आयी । सरकार ने कई कमेटीज बिठाईं । गोविन्द सहाय कमेटी सरकार स्वयं बिठाई और बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट उसके सामने है । लेकिन सरकार ने इन कमेटियों की परवाह नहीं की । पिछली बार कहा गया था कि सिंचाई विभाग के पावर्स ग्राम सभाओं को देने जा रहे हैं । लेकिन ग्राम सभाओं के पास कोई फंड्स नहीं हैं । हम चिल्लाते हैं, गोविन्द सहाय कमेटी और बलवन्तराय मेहता कमेटी चिल्लाती है कि ग्राम सभाओं को अधिकार दिये जायं, लेकिन ऐसी भी बहुत सी ग्राम सभायें हैं जिनके पास ५० से ५१ रुपया भी नहीं है । एक तरफ आप कहते हैं कि ग्राम सभायें स्कूल खोलें, डिस्पेंसरी खोलें, लेकिन उसके लिये उनके पास रुपया कहां से आयेगा ? बलवन्तराय मेहता कमेटी ने यह कहा था—

"The following sources of income be assigned to the Panchayat Samiti :

(i) Percentage of land revenue collected within the block.
(ii) Cess on land revenue, etc.
(iii) Tax on professions, etc.
(iv) Surcharge of duty on transfer of immovable property.
(v) Rent and profit accruing from property.
(vi) Net proceeds of tolls and leases.

[श्री प्रतापसिंह]

(vii) Pilgrim tax, tax on entertainment, primary education cess, proceeds from fairs and markets.

(viii) Share of motor vehicle tax.

(ix) Voluntary public contributions.

(x) Grants made by the Government."

इसमें आगे लिखा है---

"the State Government should give to these samitis adequate grants-in-aid conditionally or unconditionally or on a matching basis, with due regard to economically backward areas."

मैं आपके जरिये जानना चाहूंगा कि बहुत सी ग्राम सभायें जब सरकार से मांग करती हैं कि हमें रुपया दिया जाय हमारे पास रुपया नहीं है तो फिर सरकार उनकी मदद क्यों नहीं करती और खास तौर से बैकवर्ड एरियाज के लिये । बैकवर्ड एरियाज में मैं हिल्स को और पूर्वी जिलों दोनों को गिनता हूं।

दूसरी तरफ उस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि किस तरह से पंचायतें होनी चाहिये। उसको भी मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं :--

"the constitution of the panchayat should be purely on an elective basis with the provision for the co-option of two women members and one member each from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. No other special groups need be given special representation."

इसमें यह लिखा हुआ है कि पंचायतों का जो विधान हो या जो पंचायतें बनायी जायं वे प्रत्यक्ष चुनाव के अनुसार बनायी जायं। उसमें महिलायें हों और पिछड़ी जाति के लोग भी हों। मुझे बड़ी खुशी है कि मंत्री जी ने शिड्यूल्ड कास्ट का एक आदमी ले लिया है, लेकिन महिलायें और बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों का पंचायतों में ठीक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन हो तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स और महिलाओं का भी उसमें रिप्रजेंटेशन होना चाहिये।

अन्त में मैं केवल यह कह देना चहता हूं कि अभी इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जिला परिषद् विधेयक पहले हमारे सामने आये। उसके प्रारूप के अनुसार ग्राम समितियों की और ग्राम पंचायतों की क्या स्थिति है, पहले हम उसको देखें।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसमें जो नामजदगी का प्रश्न है, जो एप्वाइन्टमेंट का प्रश्न है, वे सारी चीजें खत्म होनी चाहिये। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि महिलाओं और पिछड़ी हुई जातियों का रिप्रेजेन्टेशन हो और प्रत्यक्ष चुनाव हों तथा हाथ उठा कर न हों। और जो पंचों की नामजदगी की बात है उसको खत्म करें, जो ५०० रुपये तक के अधिकार न्याय पंचायतों को दिये हैं वह विषय भी विचारणीय है और इस बात को ध्यान में रखना है कि आज हमारे गांव में एक कम्युनिटी लाइफ डेवलप हो। इस प्रकार की भावना से हम इन पंचायतों का निर्माण करें।

तीसरी बात यह है कि वहां के जो यह ३ अधिकारी हैं, एक तो ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सेक्रेटरी और लेखपाल, इनमें से किस को अपना सही आदमी कोई समझे। हमारा सुझाव है कि वहां इन तीन आदमियों की जरूरत नहीं है ज्यादा से ज्यादा दो आदमी ही रहें। कई बार माननीय मन्त्री जी ने पंचायत राज सेक्रेटरी के पद को ग्राम सेवक के पद में मिलाने की बात कही और विचार व्यक्त किया। इस समय, यही मौका है, वह अपनी पालिसी को साफ करें और इन दोनों पदों को मिलाने की कृपा करें। इसके अलावा पंचायत राज सेक्रेटरी की सिक्योरिटी आफ सर्विस नहीं है। गोविन्दसहाय कमेटी की सिफारिश के अनुसार और अपने वचन के अनुसार वह इन पदों को मिलाने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि यही पंचायत राज कानून है कि जिस के द्वारा सही तरीके से आप गांव के लोगों में कम्युनिटी लाइफ डेवलप कर सकते हैं, न्याय पंचायतों का क्या विधान हो, उनके क्या अधिकार हों इन सब चीजों पर गम्भीरता के साथ विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मैंने इसमें अवधि एक मास की रखी है। अगर वह कहेंगे तो मैं १५ दिन या १ सप्ताह भी मान सकता हूं। इसके अलावा इसका प्रभाव जिला परिषदों पर भी पड़ेगा। अच्छा होता कि पिछले जिला परिषदों वाला विधेयक आता और उसके बाद यह पंचायत राज्य संशोधन विधेयक आता, उससे बहुत आसानी हो सकती थी। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि ग्राम पंचायतों के भविष्य को देखते हुये इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उन से...

श्री उपाध्यक्ष—वह बगल में बैठे हैं, बाद में आप उनसे पूछ लें, यह प्रथा ठीक नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—(जिला बुलन्दशहर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६० को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो दो सप्ताह भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा जिसे अपनी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।"

मान्यवर, आज हम पंचायतों को और गांव सभाओं को यदि देखें तो हमें पता चलेगा कि वहां जो व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। क्या हम इस विधेयक के द्वारा वहां की व्यवस्था को सुधार सकते हैं यह प्रश्न है? आज जो वहां पर लैन्ड मैनेजमेन्ट कमेटी है वह गांव समाज की सम्पत्ति की ठीक तरह से देख रेख नहीं कर सकती। जिन भूतपूर्व जमीन्दारों ने जमीनें ले रखी थीं उनपर गांव समाज ने बेदखलियां भी दीं, लेकिन केवल कोर्ट फीस की कमी की वजह से मुकदमे खारिज हुये क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिये वह उन को नहीं बचा सके। इसलिये हमको देखना होगा कि उनकी सम्पत्ति को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है।

आज न्याय पंचायतों को ५०० रुपये तक के माल के मुकदमे करने के अधिकार दिये गये हैं जो कि हर मुन्सिफ को खफीफा में सुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो न्याय पंचायतों के रिवीजन में जायंगे उनको सुनने का अधिकार दिया गया है। हमें सोचना होगा कि जब मुन्सिफ को खफीफा में सुनने का अधिकार नहीं और रिवीजन सुनने का अधिकार है तो हम यह ५०० का अधिकार उनको दें या न दें, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो हैमलेट्स थे। पुरवे थे, मजरे थे, उनकी आबादी कई गुना बढ़ गई है। उन छोटे-छोटे गांवों को भी जिनकी आबादी मुख्य गांवों से भी अधिक हो गई है, अलग गांव सभा बनाने का अधिकार दिया जाय। आज मुख्य गांव में ही सारा रुपया खर्च होता है और जो पुरवे, मजरे और हैमलेट्स हैं वह नेग-लैक्ट हो जाते हैं। उनकी भी गांव सभा होनी चाहिये।

प्रधान के चुनाव की बात लीजिये। हम एक प्रिंसिपल मान चुके हैं, नोटीफाइड एरिया वगैरह के जो चेयरमैन होते हैं वह उनके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गांव पंचायत में जो सदस्य चुनकर आयें वह गांव के प्रधान को चुनें। हमने देखा कि बहुमत प्रधान का हो गया, लेकिन उसके साथ उसकी टीम नहीं आई। काम नहीं हो पाता है, सारी कार्यवाही फर्जी होता है। ऐसी अवस्था में प्रधान का चुनाव गांव पंचायत में चुने हुये सदस्यों के द्वारा कराया जाय। जो प्रिन्सपल नोटीफाइड एरिया, म्यूनिसिपैलिटीज में हम मान चुके हैं चेयरमैन के चुनाव के लिये, उसी प्रकार गांव का प्रधान चुना जाय। जो मेम्बर गांव सभा चुने उनको भी बाई बैलेट चुना जाय जिससे कि गड़बड़ियां न हों। पिछली मर्तबा सारे गांव के आदमियों को इकट्ठा करके और एक साथ वोट लेकर चुनाव हुये थे। आज हमारे सामने छोटी-छोटी कांस्टी-

[श्री हिम्मतसिंह]

टुएंसीज की बात आती है। मैं इस ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब पंचायत के चुनाव हुये थे तो वह अगल-अगल नहीं हुये थे ज्वाइंट इलैक्टोरेट द्वारा हाथ उठाकर हुये थे। जब कांस्टीटुएंसीज बनाई गई तो उसी कांस्टीटुएंसी को अधिकार दिया जाय कि अपने आदमियों को चुने। पुरवे और मजरे के लोग आ सकेंगे तो वह अपने बारे में विचार कर सकेंगे। छोटी-छोटी कांस्टीटुएसीज के हिसाब से जो हाथ उठाकर चुनाव कराना चाहते हैं, तो पहले छोटी-छोटी कांस्टीटुएंसीज का जो चुनाव नहीं हो पाता है उसे कराने की व्यवस्था करें।

न्याय पंचायत के लोग न्याय करते हैं, लेकिन वह समझते नहीं हैं कि कानून का मंशा क्या है। न्याय पंचायत में ऐसे आदमी होने चाहिये जो कानून को पढ़ लें और समझ लें और ठीक व्यवस्था दे सकें। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर कितने ही अदालती पंच ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते, मुश्किल से दस्तखत कर पायेंगे। उन अदालती पंचों के लिये कुछ न कुछ शिक्षा की कैद रख दें जिससे वह कानून को समझें और उसके अनुसार कार्य करें।

आज हम न्याय पंचायतों का क्या रूप देखते हैं वहां रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई है। कोई भी मुकदमा ऐसा नहीं जहां पंच कुछ लेकर न तय करता हो। जिनकी ख्याति हो कि ईमानदार आदमी हैं उनका ही चुनाव हो। ऐसा न हो कि क्षेत्रीय एम० एल० ए० के इशारे पर चुना जाय। वहां की जनता को भी अपना मत व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करें। पिछले चुनाव में जो चुनाव अधिकारी भेजे गये थे उन्होंने हाथ उठाने वालों के जो वोट लिखे थे उन को गुप्त रखा और किन्हीं लोगों ने अपने घर पर आकर लिखे। जितने वोटर थे उससे कहीं ज्यादा संख्या वोटों की बढ़ा दी गई। अब चुनाव में जो वोट लिखें उनके लिये ऐसा होना चाहिये कि खुद कैंडीडेट से लिखवा लिया जाय कि उसको इतने वोट मिले और जो लोग न लिखें तो उनका चुनाव अवैध तक घोषित करने की व्यवस्था की जाय। इस प्रकार पिछले चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ था वह नहीं हो पायेगा।

जो निदेशक निश्चित किये जा रहे हैं, जो चुनाव संचालक अधिकारी होंगे उनको पेटीशन सुनने का भी अधिकार दिया जा रहा है। मेरी राय मे यह अधिकार निर्वाचन संचालक को नहीं मिलना चाहिये बल्कि अदालत को ही रहना चाहिये।

पिछले चुनाव में लोगों के नाम तक रजिस्टर से गायब करा दिये गये, गांव वालों को सूचना भी नहीं हुई जिससे वह अपना नाम लिखवा लेते। अतः इस समय ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि चुनाव के १ महीने पहले प्रत्येक व्यक्ति को छूट हो कि जिसका नाम रजिस्टर में नहीं है वह बढ़वा ले। मंत्री जी ने कह तो दिया कि यह छोटा सा संशोधन विधेयक है, लेकिन जो संशोधन इसमें हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जब गांव समाजों को आप अधिकार दिये जा रहे हैं अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिये, तो आवश्यक हो जाता है कि उनकी चुनाव पद्धति ठीक होनी चाहिये। मेरे विचार में चुनाव की गुप्त प्रणाली होनी चाहिये चाहे जितना खर्च भी क्यों न हो। इन सब बातों पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये इस बिल का संयुक्त प्रवर समिति में जाना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—आचार्य दीपंकर जी का जो संशोधन है उसका समावेश हिम्मत सिंह जी के संशोधन में हो जाता है। इसलिये आपको बोलने का समय बाद को मिलेगा। संशोधन पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत विधेयक में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं।

"उपरोक्त विधेयक को जनमत जानने के लिये एक माह तक घुमाया जाय।"

इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब हमारे निर्दोष मंत्री जी के जरिये नियंत्रित डेमोक्रेसी की तरफ जो कदम बढ़ रहा है, तब मुझे दुख होता है। हमारे मंत्री महोदय गांधी जी के अनुयायी हैं, बिलकुल सादा जीवन व्यतीत करते हैं और जो जनतंत्रात्मक प्रणाली के

अनुयायी हैं जब उनके जरिये से डेमोक्रेसी का हनन होने लगता है तब मुझे दुख होता है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उन्होंने किस की राय से यह संशोधन पेश किया। गांव सभाओं के सभापतियों से पूछा होता, कोई नोटिस बांटी होती या कुछ अधिकार प्रदान करने के लिये संशोधन लाया गया होता तब तो मैं इसका स्वागत करता, लेकिन अधिकार छीनने का यह विधेयक लाया जा रहा है। उसमें जहां कहीं "इलेक्टेड" लिखा हुआ है उसकी जगह मंत्री जी "नामिनेटेड" करना चाहते हैं। प्रस्तुत विधेयक के खंड ८ को मैं पढ़ना चाहता हूं :

"मूल अधिनियम की धारा १२–बी के पश्चात् नई धारा १२–बी बी के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय" :–

"12-BB. All elections (including bye-elections and nominations) of members of Gaon Panchayats, of persons to be appointed as Panches of Nyaya Panchayats and of Pradhans of Gaon Sabhas...."

बड़ा दुख होता है। मैं गांव का रहने वाला हूं। मुझे भी कुछ दिन सभापति रहने का अवसर मिला है। मैं जानता हूं कि अब धीरे-धीरे रुचि इस गांव सभा की ओर से हट रही है। नियम के अनुसार असेम्बली का मेम्बर चुना जाता है तो जो जमानत दाखिल होती है कुछ अंश तक वोट मिलने पर जमानत वापस कर दी जाती है, लेकिन गांव सभा की जमानत के लिये ४ रुपये की फीस बढ़ा कर ६ रुपये कर दी है और प्रधान के लिये १० रुपये से बढ़ाकर १२ रुपये कर दी है और चुनाव के बाद उसके वापस मिलने का प्राविजन नहीं है।

लोग तो यहां तक सोचने लगे हैं कि गांव पंचायत फिजूल चीज है और उनकी रुचि हट रही है। इसलिये नामिनेशन की व्यवस्था कर दी। डेमोक्रेसी के नाम पर कहते यह हैं कि हम डेमोक्रेटिक अधिकार लोगों को दे रहे हैं और इसीलिये गांव सभाओं की स्थापना रखना चाहते हैं। लेकिन जिस गांव सभा का चुनाव समयके भीतर न हो सके उसके सदस्यों तथा सभापति को नामिनेट कर दिया जायगा, न्याय पंचायतों के पंचों का भी चुनाव के स्थान पर नामिनेशन होने लगा। मंत्री जी इस संशोधन विधेयक को इसलिये लाये हैं कि कांग्रेस समर्थक जो लोग चुनाव में छूट जांय वे लोग नामिनेशन के जरिये आ जांय और सरकार का विरोध न हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि सरकार गांव पंचायतों पर टैक्स लगाने की व्यवस्था कर रही है। गांव वालों ने टैक्स लगाया। किसी गांव में टैक्स लगा और किसी गांव में सेक्रेटरियों ने पंचों से हस्ताक्षर करा लिये, लेकिन दो तीन साल हो गये वह टैक्स वसूल नहीं हुआ।

इस संशोधन विधेयक के जरिये से यह साबित किया जा रहा है वह काम करने लायक नहीं है। जो बुनियादी हक या जनतांत्रिक अधिकार मिले हुये हैं उनको नहीं छीनना चाहिये। और इस ऐक्ट के जरिये निर्वाचन अधिकारी या इस प्रकार का कोई अधिकारी होगा जो उसको सुपरसीड करेगा, उसको अयोग्य घोषित करेगा और फिर उसको हटायेगा और किसी को नामिनेट करेगा। सब से बड़ी आपत्ति तो मुझे यह है कि यह तो संविधान द्वारा निश्चित हो ही चुका है कि कौन आदमी योग्य है और कौन अयोग्य है और उसके लिये चुनाव होता है चाहे वह असेम्बली हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो चाहे कोई और संस्था हो। अब किस प्रकार से आप नये अधिकारी को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह योग्यता निर्धारित करेगा कि कौन न्याय पंचायत का मेम्बर या गांव सभा का प्रधान हो सकता है।

आज १०-१२ वर्षों से गांव सभायें चल रही हैं, लेकिन किसी गांव में कोई सड़क नहीं बनी। अगर आप यह अधिकार देते कि गांव पंचायत जिधर से चाहेंगी मार्ग निर्दिष्ट कर लेगी तो मैं समझता कि यह प्रगति का काम है। लेकिन ऐसे संशोधन के जरिये जहां आप थे वहां से भी पीछे जा रहे हैं। शासन चलाने की दृष्टि से भले ही आप इसे अच्छा कहें, लेकिन डेमोक्रेसी के उसूल से इसे मैं अच्छा नही समझता हूं। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि आप इसको जनमत के लिये घुमायें और फिर सदन के सामने पेश करें।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये और उधर से जो उसको संशोधित करने के लिये प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खासकर उस अवस्था में जबकि हमारे विरोधी भाई यह आवाज उठाया करते थे कि जिला परिषदों के चुनाव जल्दी हों और ग्राम सभाओं का चुनाव समय पर कराया जाय। ऐसी दशा में इसको एक महीने तक जनमत के लिये घुमाने से वे चुनाव को बहुत पीछे ले जायेंगे।

मंत्री जी ने हरिजनों का संरक्षण बढ़ाने की इसमें व्यवस्था की है और पार्लियामेंट में भी हरिजनों के संरक्षण की अवधि बढ़ा दी गयी है। ऐसी दशा में यह एक बहुत ही उदार और उचित प्रयास है और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री माताप्रसाद—मान्यवर, आपके द्वारा मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि लोक सभा, विधान सभा और जिला परिषदों में जनरल सीट से खड़े होने के लिये जो जमानत जमा करनी पड़ती है उसकी आधी रिजर्व्ड सीट से खड़े होने वालों को जमा करनी पड़ती है, लेकिन हमारी ग्राम सभाओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से बहुत से गरीब लोग उम्मीदवार नहीं हो पाते हैं।

दूसरे कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो हरिजन सीटें ग्राम सभाओं में होती हैं उन पर जो लोग पैसे वाले हैं वे ऐसे हरिजनों को खड़ा कर देते हैं जो उनके दबाव में रहते हैं या उनके हलवाहे वगैरह होते हैं। इसलिये बहुत से गरीब लोग गांवों में सेवा कर सकते हैं वह गांव सभाओं में नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इधर ध्यान दें और जैसी व्यवस्था लोक सभा के मेम्बरों की है वैसी ही व्यवस्था इनके लिये भी की जाय।

तीसरी बात यह है कि न्याय पंचायतों में बहुत कम हरिजन मेम्बर पहुंच पाते हैं। इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिसे हरिजन न्याय पंचायतों में पहुंच सकें। यद्यपि इस समय कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम हरिजन पहुंच पाते हैं।

एक चीज मैं और इस संबंध में कहना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे गांवों में जहां गांव पंचायतें होती हैं और जब से इनका काम शुरू हुआ है, बहुत जोरों से हर गांव में कम से कम दो पार्टियां बन गई हैं। इसका मूल कारण है हाथ उठाकर चुनाव का होना है। उसके कारण ही वहां का वातावरण विषाक्त हो गया है। माननीय मंत्री जी ने जो प्रधानों के लिये गुप्त मतदान प्रणाली चालू की है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदस्यों का चुनाव भी गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होना चाहिये। भले ही जहां १५ सदस्य हों वहां आप ५ सदस्य कर दें लेकिन चुनाव इसी तरह से होना चाहिये। इससे गांवों में जो दलबंदी और विषाक्त वातावरण है उसके दूर होने में बड़ी सहायता मिलेगी।

एक चीज श्रीमन्, यह है कि गांवों में गांव पंचायतों के अलावा ग्राम समाज भी अलग से हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे यह दोनों एक ही संस्था के मातहत हो जायं। कभी-कभी ऐसा होता है कि गांव पंचायत अगर किसी काम को करती हैं तो गांव समाज उसके विरुद्ध काम करते हैं और गांव पंचायतें जो जनता द्वारा चुनी हुई होती हैं कुछ नहीं कर पाती हैं। इसलिये इन दोनों को एक ही संस्था के अधीन कर दिया जाय।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि प्रांत से जिलों में कुछ ऐसे आदेश गये हैं जिससे सेक्रेटरियों का ट्रांसफर २५ मील दूर कर सकते हैं। खास कर के हमारे जिले में १६७ मंत्रियों के ट्रांसफर हुये हैं जिससे तहलका मचा हुआ है। यद्यपि ऐसी व्यवस्था है कि जिनका काम अच्छा है उनको दूर न भेजा जाय। लेकिन इसका खयाल नहीं किया गया और इंस्पेक्टर की बिना राय के ट्रांसफर कर दिये हैं। इधर मंत्री जी ध्यान दें। मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं।

आचार्य दीपंकर—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि उन्होंने यह बात कही कि गांव पंचायतों के प्रधानों का चुनाव वह गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा करायेंगे । इस विधेयक के पढ़ते समय यह बात मालूम नहीं थी कि वह इसे नियमों में लाना चाहते हैं । मैंने समझाया कि वह शायद भूल गये हैं और इस मर्तबा यह चीज व्यवहार में नहीं आयेगी । लेकिन उन्होंने इस बात को याद रखा और नियमों द्वारा वह इसको सम्पादित करना चाहते हैं । इस बात को देखते हुये मुझे अपने संशोधन पर ज्यादा बल नहीं देना है और मैं उनकी घोषणा का समर्थन करता हूं ।

इसके अलावा कुछ चीजें जिनके बारे में मैं कहना चाहता हूं वह यह हैं कि जहां तक न्याय पंचायत के सदस्यों का सवाल है मेरा यह निश्चित मत है कि जिस प्रकार गांव सभा से गांव पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन होता है उसी प्रकार न्याय पंचायत के निर्वाचन भी गांव सभा के सदस्यों में से प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिये ।

दूसरे मेरा मत यह है कि न्याय पंचायतों के सदस्यों के नामजद करने की जो प्रणाली है यह पहले भी एक प्रकार से थी और अब भी रखी गई है । मैं समझता हूं कि यह अनुचित है कि सभी न्याय अदालतें हैं, वह नामजद ही होती हैं, यानी उनका सेलेक्शन किया जाता है । नीचे के लेविल पर जनता में रहने वाले लोगों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह उनके विवादों का निपटारा करें तो उन सदस्यों को या तो किसी योग्यता के आधार पर सेलेक्शन किया जाना चाहिये, जैसा कि ऊपर की अदालतों में सदस्य रखे जाते हैं । उससे यह संतोष हो सकता है कि एक निर्धारित योग्यता के आधार पर सेलेक्शन किया गया है । जब यह उस प्रकार का सेलेक्शन किया जाता है, बल्कि यह नामजदगी भी एक प्रकार का निर्वाचन है । ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा गारंटी इस बात की की जानी चाहिये कि उन व्यक्तियों की नैतिकता, आचरण सदाशयता के ऊपर लोगों को ज्यादा से ज्यादा विश्वास हो । यह बात तभी हो सकती है यदि, जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करे । इसलिये न्याय पंचायतों के सदस्यों का नामजदगी का जो नियम रखा गया है वह नहीं होना चाहिये ।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जन संख्या के आधार पर ही गांव पंचायतों के सदस्यों की संख्या निर्धारित होनी चाहिये । आम तौर पर ऐसा होता है कि यदि एक हजार की आबादी का कोई गांव है तो उसके ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या आमतौर पर १५ होती है । ऐसे भी गांव हैं जिन की जन संख्या ५, ६ या ८ हजार है, कम से कम पश्चिमी जिलों में ऐसे गांव बहुत बड़ी तादाद में हैं, वे न तो टाउन एरिया हैं, न नोटीफाइड एरिया, आज भी गांव पंचायतें वहां काम करती हैं, और निकट भविष्य में भी इसी प्रकार काम करती रहेंगी, ऐसा विश्वास है । पुराने नियमों के अनुसार गांव पंचायत के सदस्यों की संख्या ४५ से ज्यादा नहीं हो सकती । यदि एक हजार की जनसंख्या पर १५ सदस्य निर्वाचित हों तो उसी औसत से प्रत्येक एक हजार पर १५ व्यक्ति निर्वाचित हों, इसमें अनवस्था पैदा हो सकती है । उसमें किसी किसी गांव के पंचायत की संख्या ८०—९० पहुंच सकती है । मेरा कहना यह है कि प्रत्येक हजार पर जन संख्या तय कर दी जाय । तो भी मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ न कुछ औसत जरूर निर्धारित कर देना चाहिये कि जन संख्या का अनुपात भी ले लिया जाय । उसी के अनुपात से गांव पंचायतों के सदस्यों की संख्या निर्धारित हो ।

चौथी बात यह कहनी है कि जहां तक सरपंच और प्रधान का सम्बन्ध है अगर उनका होल टाइम काम नहीं होता तो कम से कम ऐसा जरूर है कि सरपंच को गांव पंचायत के प्रधान को अपने समय का कम से कम आधा भाग, अगर वह ईमानदारी के साथ काम करना चाहे और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहें तो और नहीं तो उससे कुछ कम सही, इतना समय देना पड़ता है । नतीजा यह होता है कि यह सरपंच और प्रधान अपने घर का काम जब नहीं कर पाते अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुये तो अपने खर्च को चलाने के लिये आम तौर पर गलत तरीके अख्तियार करते हैं और वह तरीके ऐसे हैं कि जो बहुत नीचे के लेविल तक भी भ्रष्टाचार को ले जाते

[आचार्य दीपंकर]

हैं। मैं नहीं समझता कि यह मांग कितनी व्यावहारिक होगी, परन्तु उपयोगी और आवश्यक जरूर है कि सरपंच और प्रधान के लिये इस विधेयक में कुछ न कुछ भत्ता या एलाउन्स निर्धारित किया जाना चाहिये। प्रधान और सरपंच को कुछ न कुछ इस रूप में दिया जाना चाहिये। तनख्वाह का सुझाव मेरा नहीं है, इसलिये कि वह मुमकिन नहीं किसी प्रकार से, लेकिन किसी न किसी प्रकार से एलाउन्स की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। (व्यवधान) पैसा कहां से आयेगा, इसका जवाब मंत्री जी दे देंगे।

एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि शहरों में आम तौर पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष कर नहीं है जो सरकार को मिलता हो म्युनिसिपलटियों के जरिये और दूसरे जो टैक्स इकट्ठा होते हैं वह तो गांव सभा और गांव पंचायत भी करती है। मैं समझता हूं कि यदि गांव पंचायतों को अधिकार देने के पीछे कोई ठोस तथ्य आधारित हो और सरकार यह घोषणा बहुत संकल्प के साथ करती है तो यह निश्चित बात है कि ग्राम पंचायतों की आमदनी बढ़ाने के स्रोत भी कुछ न कुछ उद्घाटित करने होंगे। मेरा यह निश्चित मत है और आम तौर पर इस सदन में पहले से आवाज उठती रही है कि लगान का एक निश्चित भाग गांव पंचायतों को मिलना चाहिये। यह एक आश्चर्य की बात है कि जब नम्बरदार लगान वसूल करते थे तो उनको उस लगान का एक निम्नतम भाग मिल जाया करता था उनके अपने खर्चे के नाम पर, तो वही काम एक गांव पंचायत का प्रधान या गांव पंचायत के सदस्य न कर सकें, यह बात कुछ समझ में आने वाली नहीं है। गांव पंचायतें निश्चित रूप से इस लगान को वसूल कर सकती हैं और जो सरकार का लाखों करोड़ों रुपया उस पर व्यय होता है उससे भी सरकार को मुक्ति मिल सकती है। यह पंचायतें अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा आसानी से निभा सकती हैं और इनको लगान का एक निश्चित भाग निश्चित रूप से दिया जाना चाहिये, ऐसा मेरा मत है।

इसके अलावा मैं इन बातों को आपके द्वारा सरकार तक पहुंचा देना जरूरी समझता हूं कि इन पंचायतों को आहिस्ता-आहिस्ता अगर हम छोटी छोटी रिपब्लिक्स का रूप नहीं देंगे, उनके ऊपर विश्वास करके उनको ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात नहीं सौंपेंगे तो यह निश्चित बात है कि डेमोक्रेसी और जनतंत्र जिसके विकास की गारन्टी हमारा भारतीय संविधान करता है और जिसके विकास के लिये विधान सभायें और लोक-सभा कार्य करती है यदि वह जनतंत्र नीचे गांव सभाओं तक और गांव पंचायतों तक न पहुंचकर के केवल नौकरशाही का एक इंस्ट्रूमेंट बनकर रह जाता है, जैसी कि मेरी निश्चित धारणा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने भी यह बात उठायी है कि गांव पंचायतें सरकारी नौकरों के हाथ में इतनी पूरी तरह से जकड़ गई हैं कि उनका इनीशियेटिव ही आम तौर पर कुंठित हो जाता है अगर समाप्त नहीं होता है, तो जनतंत्र विकसित नहीं हो सकता। इसलिये उनको ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिये, अपने क्षेत्र में उनको ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात दिये जाने चाहिये और अपने गांव के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में जो भी कुछ वह निर्णय करें वह निर्णय अन्तिम होना चाहिये। इस प्रकार उनके अख्तियारात बढ़ाकर के हम भारतीय जनतंत्र के विकास को बहुत निचली सतह तक ले जा सकते हैं और उसको ज्यादा मजबूत दीवार पर खड़ा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ इस विधेयक पर अपने विचार रखता हुआ मैं सरकार से आशा करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो भी कम से कम व्यावहारिक बातें नजर आती हों, वह स्वीकार की जानी चाहिये और जो बातें अभी तत्काल व्यावहारिक नजर नहीं आतीं उनके ऊपर विचार किया जाना चाहिये।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने स्वशासन मंत्री जी को इस विधेयक में संशोधन के लिये हार्दिक बधाई देता हूं। वह इस पंचायतराज विधेयक में इस संशोधन के लिये बधाई के पात्र हैं जिसके लिये हमारी बहुत दिन से मांग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की और समय समय पर हमने निवेदन भी किया था कि इस विधेयक में यह कमी है और यह दूर होनी चाहिये। यह हमारा दुर्भाग्य था कि इस ५ वर्ष के संघर्षकाल में वह संशोधन नहीं हो सका। आज एक यह समय आया कि उन गरीब लोगों के लिये अधिकार दें जो गांवों में शासक लोगों के द्वारा परेशान रहते हैं और दुखित हैं। इससे शायद उन लोगों को बचाया जा सकता है जो कि हम उन लोगों को यह गोपनीय मत का अधिकार देने जा रहे हैं।

जहां तक विरोधीदल में समाजवादी लोग, सोशलिस्ट लोग, स्वतन्त्र दल के लोग और न जाने किस किस नाम से पुकारे जाने वाले विरोधी लोगों में माननीय सदस्य हैं वे आतंकवादी हैं और गरीब जनता को सताने वाले हैं। जब गरीब लोग अपना वोट डालते हैं तो उनके वोट डालने की वजह से उनके ऊपर केस चलाये जाते हैं। केस चलाना ही नहीं बल्कि उनको तब तक बख्शते नहीं हैं जब तक उनको जेल न भेज दिया जाय और बरबाद न कर दिया जाय। जब यह प्रश्न आता है कि गरीब लोगों को भूमि दी जाय तब लेक्चर झाड़ने लगते हैं और अपने पास २ हजार और ४ हजार भूमि रखते हैं। उनका यह मनशा ही नहीं है कि गरीब लोगों को जमीन दी जाय।

इस बिल के अन्दर जो यह मताधिकार का प्रश्न है जिस समय यह विधेयक पहले आया था उस वक्त ही हमने सेलेक्ट कमेटी के बनते समय इस पर एतराज किया था कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं या जो गांव के रहने वाले हैं उनके लिये गोपनीय मताधिकार होना चाहिये...

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य अधिकतम जोत सीमा पर अब बोल रहे हैं। जब वह १० दिन तक यहां पर चला तो माननीय सदस्य कहां सोये हुये थे ?

श्री उपाध्यक्ष—उसका तो वह हवाला दे रहे हैं।

श्री हरीसिंह—मैं क्या करूं जब एक माननीय सदस्य वकील होते हुये भी मेरी बात को न समझें ? मैं इसी पंचायतराज बिल पर बोल रहा था मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

इसमें सब से मुख्य बात यह है कि इसके अन्दर गोपनीय मत का अधिकार दिया गया है। यह एक विशेष चीज है। और इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि इस देश में जो पिछड़ा वर्ग है, जो हरिजन वर्ग है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है और जिसके बल पर यह देश समृद्धिशाली बना हुआ है और जिनका चन्द आदमी शोषण कर रहे हैं उनको आदरणीय मंत्री जी ने सुरक्षित स्थान प्रदान किया है।

एक चीज फिर भी और रह जाती है। उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि क्या ही अच्छा होता अगर हरिजनों के लिये न्याय पंचायतों के अन्दर भी सुरक्षित स्थान कर दिया जाता। यह मेरा सुझाव है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देने की कृपा करेंगे। मैं जानता हूं कि वे गरीबों के सच्चे हमदर्द हैं। यदि इतना और कर दें तो इससे लगभग डेढ़ करोड़ गरीब लोगों का हित होगा जो इस चीज को बराबर चाहते हैं.....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह आर्डर सदस्यों के लिये ही है और मिनिस्टरों के लिये नहीं है कि वह इधर से उधर या उधर से इधर होकर न आवें ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी को इस तरह से फ्लोर क्रास नहीं करना चाहिये।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मैं इसके लिये क्षमा मांगता हूं।

श्री हरीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गांव समाज, भूमि प्रबन्धक समिति आदि का सम्बन्ध है, उसकी उपसमितियां यह सब हो जायंगी, क्योंकि इसमें हमारी सरकार ने निश्चय किया है कि जो यह जिला परिषद् का विधेयक आ रहा है, उसमें यह रखा जाय और यह मांग हमारी पहले से थी। इस के लिये वह बधाई के पात्र हैं।

परन्तु जहां तक पंचायतों का सवाल है, यह हमारा दुर्भाग्य है कि पंचायतों में सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाला कभी चुन कर प्रधान या किसी अच्छी जगह पर पहुंच नहीं सकता। वह किसी भी पार्टी का क्यों न हो, मैं पार्टी की बात नहीं करता। लेकिन गांवों में चुनाव में वही आ सकता है कि जिस के पास लट्ठ का जोर हो। गरीब और ईमानदार आदमी भले ही कितनी सच्चाई से वह काम करना चाहे, भले ही वह जनता की कितनी ही भलाई करना चाहता हो, चुन कर नहीं आ सकता। हमारा कहना यह था कि जिन गांवों में प्रधान सर्व-सम्मति से चुना जाय, केवल उन्हीं गांवों में पंचायतें बनायी जायं और सरकार केवल उन्हीं गांवों को अपनी मदद दे जहां किसी प्रकार का झगड़ा या संघर्ष न हो। परन्तु सरकार ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। अभी भी गांवों में जमींदार, साहूकार और राजे-महाराजे हैं और वे लोग अपना प्रभुत्व वहां से अभी हटाना नहीं चाहते। और पंचायत राज अधि-नियम में ऐसे तरीके हैं कि जिनके अंदर रह कर भी वे उन गरीबों को प्रलोभन में फांस लेते हैं और वे बेचारे लोभ में आकर उनको सहयोग देते हैं। गांव में जो गरीब किसी पार्टी को नहीं जानते थे, जो अनपढ़ और गरीब थे, वह भी आज राजनीति और पार्टी की बातें करते हैं और भाई-भाई के बीच पार्टी बन रही है और यह भावना इस प्रदेश और देश के लिये घातक है।

इसलिये मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पंचायतों का सवाल है उसके सरपंच ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिये कि जो सारी पार्टीबाजी के ऊपर हों और केवल गांव की उन्नति की बात सोचें, गांव को समृद्धिशाली बनाने की बात सोचें और गांव के निवासियों को भी अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त हो सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं। श्रीमन्, मैं मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर ध्यान दें और विरोधी दल के माननीय सदस्य और अन्य नेता भी ध्यान दें। दुर्भाग्य यह है कि उन में आपस में ही चलती रहती है, अभी देखा गया कि कोई चाहता है कि जमीन जोत की कम रहे, कोई चाहता है कि ज्यादा रहे, हम खामोश हैं, देख रहे हैं कि यह सब क्या हो रहा है। तो यह राजे-महाराजे गांवों की पंचायतों को सही तरीके से नहीं चलने देंगे। मेरी राय यह है कि अगर गांव पंचायत को आप चाहते हैं तो जहां सर्वसम्मति से सरपंच का चुनाव हो जाय वहां आप पंचायत की स्थापना करें और जो भी सरकार सहायता देना चाहती है उस गांव को दे और उसको उन्नति-शील बनावे ताकि दूसरों के लिये वे गांव एक उदाहरण रूप में पेश किये जा सकें और दूसरे गांवों में भी उसी तरह का काम हो सके। यदि श्रीमन्, ऐसा न किया गया तो आप इसमें लाख संशोधन करें, आप गांव की उन्नति नहीं कर सकते। वहां पर पार्टी बाजी बढ़ती जायेगी। आज हम देखते हैं कि जगह-जगह किसान मजदूर पार्टी पैदा होती जा रही है। पहले हमने कभी इस पार्टी का नाम तक न सुना था। यह लोग गांव में आपसी झगड़ा पैदा कराते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, पार्टीबाजी पैदा करते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। लाभ तभी होगा जब हम सब मिल कर अच्छे पंचों को चुनें और जो प्रधान चुना जाय उसको सरकार सहायता दे ताकि गांव की उन्नति हो सके।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट के नाम है और जिसे माननीय हिम्मत-सिंह जी ने प्रस्तुत किया है। मैं सरकार से यह चाहता हूं कि वह बताये, हमें आजादी सन् १९४७ में मिली और १९४७ में ही सरकार ने पंचायत राज ऐक्ट बनाया और आज १९६० चल रहा है, क्या इन १३ वर्षों में हम देहातों में वास्तविक पंचायत राज की स्थापना कर पाये हैं? क्या हम उस आजादी की भावना को जिसे हम कहते हैं कि हमने सन् १९४७ में प्राप्त

किया उसको ग्रामीणों में पैदा कर पाये हैं। आजादी मिली होगी भले ही शहर में रहने वाले लोगों को, आजादी मिली होगी भले ही पूंजीपति लोगों को, आजादी मिली होगी बड़े बड़े धनी-मानी लोगों को, लेकिन मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के गांवों में बसने वाली उस ८० प्रतिशत जनता को आजादी नहीं मिली। उन्हें आज भी वे सभी यातनायें भोगनी पड़ रही हैं जो कि उनको आजादी से पूर्व गुलामी काल में भोगनी पड़ती थीं। वे आज भी, १३ वर्ष बाद भी, उसी हालत में हैं। उनकी स्थिति सुधारने में वह पंचायत राज ऐक्ट जो सन् १९४७ में बना था किंचितमात्र भी सफल नहीं हो सका है। आज हम उसमें संशोधन करने के लिये इस विधेयक को लाये हैं।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा जिन सुधारों का इसमें समावेश किया गया है उनसे भी आज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे कि इसमें आवश्यक संशोधन हो सकें। मैं नहीं चाहता हूं कि विधेयक के पास होने में जरा भी देर लगे। मैं चाहता हूं यह विधेयक जल्दी से जल्दी अधिनियम बन जाय, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय और उसमें सुधार करने के लिये १५ दिन का समय दिया जाय। क्या आज जो हमारा मूल अधिनियम है या यह विधेयक है उसके द्वारा एक ग्राम जनतान्त्रिक संगठन के आधार पर एक एकाई बन रहा है या आज तक बन सका है? मैं चाहता हूं कि यह विधेयक ऐसा बन जाय कि जिससे हमारा प्रत्येक ग्राम जनतान्त्रिक तरीके से एक इकाई बन सके। आज इस ओर यह विधेयक हमको नहीं ले जा रहा है।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव के रूप में माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। सदस्यों की सूची के बारे में मेरा यह सुझाव है कि चुनाव होने के पहले चुनाव होने के समय तक यदि कोई व्यक्ति आकर के चुनाव अधिकारी के सामने यह बात पेश करे कि मैं इस गांव का निवासी हूं और मेरा नाम सदस्यों की सूची में नहीं है तो उसी समय ग्राम के लेखपाल से, ग्राम के पंचायत मंत्री से पूछ करके चुनाव अधिकारी उसका नाम सदस्यों की सूची में शामिल कर ले जिसका नाम सदस्यों की सूची में किसी पक्षपात या भूल के कारण समाविष्ट नहीं हो सका है।

मेरा यह भी सुझाव है कि सदस्यों का चुनाव जैसा कि इस विधेयक के द्वारा बतलाया जा रहा है, वैसा न हो करके गुप्त मत-गणना के द्वारा हो और अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा सदस्य चुने जायं। बैलट के द्वारा चुनाव कराया जाय जिससे सदस्यों का चुनाव ईमानदारी के साथ हो सके। जो अब तक व्यवस्था है और जिसका समर्थन यह विधेयक कर रहा है कि हाथ उठाकर सदस्यों का चुनाव कराया जाय, मैं उसका विरोध करता हूं और मेरा अपना विश्वास है कि ऐसा करने से सही चुनाव देहातों में नहीं हो पाता। जो लोग डंडेबाज हैं, जो लोग पैसे के मालिक हैं, जिनके हाथ में सत्ता रही है, वह एक न एक आधार को लेकर अपना चुनाव कराने में समर्थ होते हैं और जो सही व्यक्ति हैं उनका चुनाव नहीं हो पाता।

मैं ग्राम सभा के चुनाव के संबंध में अपना यह सुझाव भी देना चाहता हूं। मुझे यह सौभाग्य रहा है कि १९२२ से अब तक मैं बराबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य रहा हूं। १९२१ के जिला बोर्ड के अनुसार सदस्य ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सभापति का चुनाव किया करते थे, बाद को सरकार ने संशोधन किया कि उसका चुनाव साधारण जनता करे, लेकिन वह सुधार सरकार को वापस करना पड़ा और अन्त में यह निश्चय रहा कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के या परिषद् के सदस्य हैं वे ही अपने बहुमत से अपने सभापति का निर्वाचन करें। मैं समझता हूं कि जब तक ऐसा नहीं होगा और बहुमत सभापति के समर्थन में बराबर नहीं रहेगा तब तक चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, ग्राम पंचायत हो या टाउन एरिया हो उसका कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता। इसलिए मैं माननीय हिम्मतसिंह जी के उस सुझाव का समर्थन करता हूं कि सभापति का चुनाव जो ग्राम सभा के सदस्य हों वे अपने बहुमत से करें ताकि वह बहुमत आगे भी उसका सदैव समर्थन करता रहे और उस ग्राम सभा का कार्य सुचारुरूप से संचालित हो सके।

[श्री देवनारायण भारतीय]

जहां तक कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के चुनाव का प्रश्न है, पिछली बार भी वह चुनाव नामिनेशन द्वारा हुआ था । स्थानीय एम० एल० ए० के परामर्श से वह चुनाव किया गया था और अब भी वह चुनाव उसी प्रकार से नामजदगी के द्वारा इस विधेयक के द्वारा बतलाया जाता है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा हो और जो ग्राम सभा के सदस्य चुन लिये जावें वह अपने में से उन सदस्यों को नामजद करें और उनके लिए मतदान करें गुप्त रीति से कि जो शिक्षित हों । शिक्षा की योग्यता निश्चित कर दी जाय जो कम से कम दर्जा ४ पास हों वे ही ग्राम की न्याय पंचायत के सदस्य हो सकें ।

जहां तक कि न्याय पंचायत के सरपंच का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय पंचायत के सरपंच उसी सिद्धान्त पर चुने जांय जिस सिद्धान्त पर कि ग्राम सभाओं के सदस्य अपने सभापति को चुनें । उसी प्रकार न्याय पंचायत के सब निर्वाचित सदस्य अपने में से जिसको वह सबसे योग्य समझें, जिसकी ईमानदारी पर किसी प्रकार का सन्देह न किया जा सकता हो, उसको न्याय पंचायत का सरपंच चुनें ।

इस विधेयक के द्वारा न्याय पंचायतों को जो ५०० रुपये तक के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया जा रहा है मैं उसका विरोध नहीं करता लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि न्याय पंचायतों को इतना बड़ा अधिकार देने पर यह प्रतिबन्ध जरूर लगाया जाय कि जिस न्याय पंचायत के २५ फीसदी मुकदमों के फैसले पर खफीफा या जजी या किसी भी अदालत में अपील होगी उस न्याय पंचायत को भंग कर दिया जायगा । इसी प्रकार यह भी प्रतिबन्ध लगाया जाय कि यदि अपील के न्यायालय से १२ प्रतिशत फैसले उलट दिये जायंगे तो न्याय पंचायत कार्य करने के काबिल नहीं समझी जायगी । यदि आप ऐसे प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तो मेरा विश्वास है कि इन न्याय पंचायतों में आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह और ज्यादा बढ़ जायगा और उसको रोकने के बजाय हम उसको और बढ़ाने के जिम्मेदार होंगे ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहकर अपना कथन समाप्त करूंगा । हमारे ग्रामों में इस समय तीन अधिकारी कार्य कर रहे हैं । एक तो लेखपाल है, एक पंचायत मंत्री है और एक ग्राम सेवक है । इन तीनों अधिकारियों के स्थान पर यदि केवल ग्राम सेवक रखा जाय, लेखपाल और पंचायत मंत्री हटा दिये जायं और उसका क्षेत्र कुछ सीमित और संकुचित कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि आज लेखपाल, पंचायत मंत्री और ग्राम सेवकों की कुल जितनी संख्या है उसकी आधी संख्या ही पर्याप्त होगी जिसके द्वारा ग्रामों का ठीक संचालन हो सकेगा । मैं समझता हूं कि इन तीन-तीन व्यक्तियों को रखना और उनका प्रायः मिलता जुलता एक सा ही काम होना, यह जनता के धन का अपव्यय है ।

मैं इस सुझाव का भी समर्थन करता हूं कि ग्राम सभाओं का अलहदा कोष हो, अलहदा अधिकार हों । मालगुजारी का एक निश्चित भाग ग्राम सभाओं को दिया जाय ताकि वे आपकी और जिला परिषद् की दया पर निर्भर न रह कर अपने यहां जो सुधार के कार्य करना चाहें उनको कर सकें । इसी प्रकार मैं यह भी चाहता हूं कि प्रत्येक ग्राम सभा को, जहां तक कि ग्राम की सुरक्षा का प्रश्न है, शिक्षा का प्रश्न है, सफाई का प्रबन्ध है, इलाज का प्रबन्ध है इत्यादि, इनके सम्बन्ध में थोड़े-थोड़े अधिकार दिये जायं जिससे वह जनतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक अंग बन सकें । मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हमारी ग्राम सभायें हमारी जनतांत्रिक इकाई बन सकें और समाजवाद को आगे बढ़ाने में हमें सहायक हो सकें और आज जो हमारे सिर पर कलंक लगा हुआ है कि १३ वर्षों में पंचायत राज ऐक्ट द्वारा हमारी ग्राम सभायें उन्नति नहीं कर पाई हैं वह कलंक दूर हो, यही मेरी कामना है । अतः मैं चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास सुधार की आशा पर भेजना सदन स्वीकार करे ।

श्री ऊदल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पहले सेशन में जो घोषणा की थी कि हम सभापतियों का चुनाव सीक्रेट बैलेट से करा रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि अभी दीपंकर जी ने कहा कि गांव सभाओं की हालत बहुत खराब है। हम सभी लोग चाहते हैं कि गांव सभाएं उन्नति करें और उनका विकास हो। वे सफाई की व्यवस्था रखें, स्कूल चलायें, अस्पताल खोलें, ये सब चीजें हों, ऐसा माननीय मंत्री जी भी चाहते हैं। लेकिन उनकी आर्थिक हालत पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बार-बार माननीय सदन में इस सवाल को उठाया गया और सरकार से मांग की गयी कि वह मालगुजारी में से उनको हिस्सा दे, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी माल मंत्री जी पर जोर डालें कि वे १०-१५ प्रतिशत गांव सभाओं को दें। मैं समझता हूं इससे अवश्य ही गांव सभाओं का कुछ विकास हो सकता है।

एक बात और माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, वह यह कि पहले जो नामीनेशन पेपर की कीमत थी वह ४ रुपया पंचों के लिये, ५ रुपया उप-सभापति के लिये और १० रुपया सभापति के लिये थी। वह अब बढ़ा दी गयी है। इस बात को सभी मानते हैं कि गांवों में ज्यादातर लोग गरीब रहते हैं। उसमें बहुत से ऐसे हरिजन भी हैं जो उसको खरीद नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ठंडे दिल से सोचा जाय और जो पुरानी कीमत थी उसको ही लागू किया जाय। जिस प्रकार से लोक सभा के लिये, म्युनिसिपैलिटी के लिये और विधान सभा के लिये हरिजनों को आधी फीस देनी होती है, उसी प्रकार से इस जगह भी रखा जाय तो ठीक होगा। क्योंकि हमारे संविधान में भी उनको कुछ सुविधायें देने की बात है।

एक बात मैं प्रतापसिंह जी से पूछना चाहता था। उन्होंने कहा कि पहले मंत्री जी को जिला परिषद् विधेयक लाना चाहिये था। आज १३ वर्षों से जिला बोर्डों के चुनाव नहीं हुए। एक बार जिला परिषद् विधेयक आया भी, लेकिन वापस हो गया। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि उसको दो चार दिनों में लाने वाले हैं। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर जिला परिषद् विधेयक नहीं आया तो क्या पंचायत राज बिल में जरूरी संशोधन न किये जायं? मैं समझता हूं कि यह संशोधन विधेयक बहुत जरूरी है और इसको जल्दी से पास होना चाहिये। मैं आशा करता हूं मंत्री जी मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों का ध्यान माननीय अध्यक्ष के उस कथन की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने ९ तारीख को कहा था। उन्होंने कहा था कि ११ तारीख को सीमा विधेयक पूरा हो जायगा और उसी रोज पंचायतराज का छोटा सा विधेयक आयेगा, जिसकी सूचना मैंने दे दी है, वह लिया जायगा और उसी रोज उसको पारित करना है।

अब साढ़े तीन बजे से इस पर विचार हो रहा है। अब एक घंटा समय और रह गया है। मैं समझता हूं कि विरोधीदल के सभी लोगों को मौका मिल चुका है। अगर माननीय सदस्य संयम करें तो यह ५ बजे तक पारित हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, खंडों पर विवाद मेरे विचार से नहीं होगा, इसलिये इस समय थोड़ा सा समय और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि खंडों पर जोर नहीं दिया जायगा। इसलिये दो एक स्पीच और हो जाय। यह तय हो गया कि ५ बजे तक यह पूरा हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, क्योंकि समय कम है इसलिये मैं केवल दो चार बातें ही निवेदन करूंगा। यह पंचायत राज कानून इसलिये बनाया कि हमारी जो पंचायतों की पुरानी परिपाटी थी वह आ जाय और हम पंचपरमेश्वर की शिक्षा जो देते रहे थे वही चीज फिर आ जाय। एक तो ग्राम सभायें बनाई गईं ताकि शिक्षा आदि के द्वारा गांवों का विकास हो सके और दूसरी चीज न्याय पंचायतें बनाई गईं, लेकिन समय का फेर कहिये या कुछ भी कहिये। हमारी यह नीति

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

दूरदर्शी नहीं रही। अक्सर देखा जाता है कि आदमी ग्लेमर के पीछे जाता है। इस सरकार के अफसर या मंत्रिमंडल के आज तक कोई सदस्य जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनके साथ चपरासी झब्बेवाला साथ में चले, तो चपरासी से जरा ग्लेमर आ जाता है। वह लोग कोशिश करते हैं कि चाहे घर का आदमी मोटर में साथ न चले लेकिन साथ में झब्बे वाला चपरासी जरूर रहे ताकि जरा ग्लेमर बढ़ जाय। वही ग्लेमर की भावना आज पंचायतों में भी दिखाई देती है। उनके द्वारा देहात की जनता को नेचुरल जस्टिस नहीं मिलता। आज हमारी जो ग्राम सभायें हैं, वही सारा विकास का कार्य करती हैं लेकिन वहां आज सबसे अधिक नेगलेक्टेड हो गई हैं, इसलिये यह जो प्रवर समिति में इसे भेजने का प्रस्ताव आया है और जो परिधि बढ़ाने का प्रस्ताव आया है उसको मानकर इस दृष्टि से उस पर विचार करने का अवसर दिया जाय। चुनाव तो होंगे ही, चाहे वे एक तरीके से हों या किसी दूसरे तरीके से हों, वह तो होने ही हैं, लेकिन आवश्यकता है मनोभावना जागृत होने की, एक इन्ट्रिंसिक वेल्यू आगे आने की।

दूसरी बात यह है कि गोविन्द सहाय कमेटी ने स्वीकार किया है कि वहां यह डुपलिसिटी है क्योंकि जो इन्सपिरेशन है वह तो पंचायत राज सेक्रेटरी ही है, उस की लेकिन बड़ी बुरी दशा है। केवल नियुक्ति उसकी सरकार करती है लेकिन वह उसके वेतन की जिम्मेदारी नहीं लेती हालांकि वह सहायता देती रहती है। उसका काम भी वही है कि जो बी० एल० डब्लू० का है। पता नहीं कि आप का जो बड़ा बिल आ रहा है उस में क्या व्यवस्था है अगर उसमें बी० एल० डब्लू० और पंचायतराज सेक्रेटरी को एक कर दिया गया है। अगर वहां हुआ है तो इसमें भी फिर आवश्यक संशोधन लाने होंगे। अगर दोनों कानून साथ ही पेश होते तो दोनों में संशोधन साथ ही ले आते वर्ना इस छोटे से बिल को अभी लाने की जरूरत नहीं थी।

मैं निवेदन करूंगा कि आज पंचायतों में बहुत गुटबाजी और राजनीति की बातें पहुंच गई हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ प्राविधान ऐसा किया जाय और इस तरह का बार लगाया जाय कि वहां के लोग राजनीतिक पार्टियों में भाग न ले सकें और कम से कम न्याय पंचायतों के लिये तो इस चीज की बहुत आवश्यकता है। यह चीज रूस के लिये भले ही अच्छी हो लेकिन हमारे देश में यह चीज उचित न होगी कि राजनीतिक गुटबन्दी में पंचों को फंसाया जाय। एक तरफ तो हम उन से आशा करते हैं कि वे मजबूती से काम करें और अच्छे फैसलें दें। हर पंचायत को ५०० रुपये के अधिकार दिये गये हैं। कहा गया कि वह अधिकार जो मुन्सिफ को भी नहीं हैं वह दिये गये हैं और मुन्सिफ को रिवीजन सुनने का अधिकार दिया गया है। आज ऊपर वालों को ताकत नहीं है लेकिन नीचे वालों को है। इस प्रकार के द्वैतवाद को दूर करना आवश्यक है। ऐसे ही मौके पर हम इन बातों की तरफ सदन का ध्यान दिला सकते हैं। एक बात है श्रीमन्, इसमें जरा हमको दिक्कत हो रही है। खंड १२ जो है वह इस प्रकार है :—

"Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may—

(1) at any time order reconstitution of Gaon Panchayats in the whole State or in any specified area there of and thereupon the term of such Gaon Panchayats shall be deemed to have expired and fresh elections, nominations and appointments may take place accordingly...."

यह बहुत ज्यादा ताक़त सरकार अपने हाथ में ले रही है। सरकार को यह चाहिए कि उनको भी कुछ मौक़ा दे...

श्री टीकाराम पुजारी—व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, अंग्रेजी में भाषण नहीं होना चाहिए, यह तो गांव पंचायत का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है। उसका अर्थ बतला दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मैं अर्ज कर दूं कि यहां पर इसका अर्थ करना जरूरी नहीं होगा। यह कानून अंग्रेजी में है . . . .

श्री टीकाराम पुजारी--यह गांव की चीज को अंग्रेजी में क्यों रखा गया है, हिन्दी में होता तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष--वह अर्थ कर देंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--किसी भी गांव पंचायत का टर्म खत्म होने से पहले भी नई गांव पंचायत स्थापित कर सकते हैं, यह इसका मतलब है।

या तो सरकार बिलकुल बैन कर दे कि कोई भी आदमी जो पालिटिक्स में भाग ले वह गांव पंचायत का या न्याय पंचायत का सदस्य न हो, तब तो जरूर इस धारा को रखें मंत्री जी, वर्ना मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

आज कांग्रेस पार्टी हमारे बड़े भाई के रूप में है, कल शायद हम लोग वहां आ जायं। तो बड़ों से छोटे लोग भी ग़लत बात सीख लिया करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिसका कि इतना बड़ा बहुमत है शायद फिर किसी पार्टी का इतना बड़ा बहुमत न हो। वह अगर देश के भले के लिये एक अच्छी परिपाटी कायम करे तो वह आयंदा के लिये गाइडेंस होगी। बिना उनसे कोई जवाब तलब किये हुए, यह पावर लेना ठीक नहीं है।

इसी तरह से एक दूसरी धारा है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ़ इलेक्शन किसी के नामांकन आदि को खारिज कर सकते हैं। किसी आदमी की बात सुने बिना आप यह कर दें तो वह ठीक नहीं है। इतनी लाइटली सेट एसाइड करने की निरंकुश पावर लेना ठीक नहीं है। यह प्राविजन हो कि अपनी बात कहने का मौक़ा दिया जाय। यह नहीं कि रूल्स में स्पष्ट कर देंगे। श्रीमन्, इसके पृष्ठ ९ पर स्पष्टीकरण है। उससे मालूम होता है कि धारा ४, ५, ६, ७, ८, १३--क़रीब-क़रीब जितनी हैं उनमें हर एक में यह है कि नियम बनाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने इसे पेश करते हुए कहा कि स्पष्ट नहीं था नियमों में इसलिये ऐक्ट में ले आये। माननीय मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे, मैं कहना नहीं चाहता था, यहां पर बात कुछ और आती है। जो लेजिस्लेशन पावर है. . .

श्री उपाध्यक्ष--समय का ध्यान रखिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--आप की आज्ञा शिरोधार्य। लेकिन यह ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको किसी ने टच नहीं किया। मैं कानूनी आस्पेक्ट को टच कर रहा हूं। रूल बनाने की जो ताकत है यह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के मुताबिक होती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समिति के सभापति ने अपने प्रतिवेदन में शिकायत की है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में अतिक्रमण किया गया है, अधिक ताक़त ली गई है। तो आज एग्ज़ीक्यूटिव इसको कानूनी जामा पहनाने के लिये सारी ताक़त अपने हाथ में रखना चाहती है, लेजिस्लेशन का एक स्वांग है।

माननीय माताप्रसाद जी ने कहा कि पंचायत मंत्रियों के लिये जो २५ मील का क़ायदा रखा गया है यह ग़लत है, जब कि मैं समझता हूं यह बहुत जरूरी है अन्यथा पंचायत मंत्री अपने घर का ही काम करते हैं और पंचायत का काम तो बरायेनाम करते हैं। तो इस नियम का अक्षरशः पालन होना चाहिये।

न्याय पंचायत के पंच समझते हैं कि उनसे बेगार ली जा रही है और वह काम ठीक नहीं करते हैं। अगर जुर्माने की रक़म में से उनको कुछ रेम्यूनरेशन मिल जाय तो उनको भी कुछ सहायता होगी और काम भी तबियत से करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय रामशरण यादव जी आपके काफ़ी संशोधन हैं, इसलिये आप को मौक़ा दे रहा हूं।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का प्रस्ताव इस प्रकार है "उपर्युक्त विधेयक को जनमत जानने के लिये १ माह तक घुमाया जाय।"

मान्यवर, यह संशोधन पेश करते हुये मैं माननीय प्रतापसिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और इस रूप में करता हूं कि जनमत जानने के बाद प्रवर समिति का प्रस्ताव आये। क्योंकि जो प्राविधान किया गया है वह जनमत के खिलाफ़ मालूम पड़ता है। हम सब देहाती क्षेत्रों के सदस्य जानते हैं कि यह आम शिकायत है, मांग है कि पंचायतों की वजह से काफ़ी पार्टी-बाजी और गुटबन्दी जनता में शुरू हुई जिससे काफ़ी जरायम बढ़े। इसका एक ही उपाय गुप्त मतदान है। इस विधेयक में कहीं नहीं आया है कि यह चुनाव गुप्त प्रणाली से होगा और जो गांव सभा के सदस्य होंगे, जो न्याय पंचों या एग्जिक्यूटिव को चुनेंगे उनका चुनाव जनता द्वारा सीधा होगा या नहीं। इन दो, तीन बातों की कमी के कारण यह शंका पैदा होती है कि जो विधेयक है वह जनता के जनमत के खिलाफ़ है। और जनता के इस जनमत को जानने के लिये केवल प्रवर समिति में भेजने से हम जनता का मत नहीं जान सकते यह देहाती जनता से वास्ता रखता है इसलिये बिना जनमत जाने हुए प्रवर समिति किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। इसलिये जानबूझ कर मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जनमत का जानना बहुत जरूरी है। इसलिये इसमें एलेक्शन की प्रणाली का खास तौर से जिक्र किया है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि जब जिला परिषद् विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस समय कई बार घोषणा की गयी कि गुप्त प्रणाली के द्वारा सीधा जनता से चुनाव कराया जायगा लेकिन उसका उल्लंघन किया गया और माननीय मंत्री जी आश्वासन से अलग हट गये और उसे पूरा नहीं कर पाये। जिला परिषद् बिल भी वापस लिया गया। पंचायतों के चुनाव के बारे में भी यही राय रही है कि जनता से सीधा चुनाव होना चाहिये। मैं इस राय का हूं कि गांव सभाओं द्वारा जो चुनाव हों न्याय पंचायतों का या एक्जिक्यूटिव का तो वह अप्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं, लेकिन गांव सभाओं का चुनाव गुप्त प्रणाली द्वारा सीधे जनता से होना चाहिये। इसीलिये जनमत का जानना जरूरी है।

पंचायतों के जरिये जो कार्य कराया जाता है उसकी जिम्मेदारी उन पर डाली गयी है। उस के लिये फंड की जरूरत होती है और उसके पाने के लिये जो प्रोसीजर है उसमें बड़ी देर होती है। उनके जुर्माने की वसूली के सम्बन्ध में और किस हेड में उनको डाला जाय इसकी शिकायत आई है। इसलिये जब यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो जो मुख्य-मुख्य शिकायतें हैं उनका निराकरण हो जाना चाहिये ताकि आगे उनके कार्य में कोई कमी न होने पाये।

देहात की सियासत गन्दी हो चुकी है जिसके छींटें हम पर पड़े हैं। जिन कारणों से गुटबन्दी होती है उसको खत्म किया जाय और इसके लिये सीधे चुनाव की प्रणाली की जाय और इसके लिये अगर कोई शंका माननीय मंत्री जी को है तो वे इसे जनमत के लिये देहात में घुमा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(इस समय ४ बज कर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री प्रतापसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय वक्ताओं का आभारी हूं जिन्होंने इस संशोधन विधेयक पर मेरे संशोधन का समर्थन करते हुये अपने अमूल्य सुझावों को पेश किया है। मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि जो सिद्धान्त इस संशोधन विधेयक के जरिये मनोनीत करने को लाया गया है उसे समाप्त किया जाय और ग्राम पंचायतों के पास जो फंड की कमी है जिससे विकास कार्य नहीं हो सकता उसके लिये रेवेन्यू से कुछ पंचायत को दिया जाय। दूसरे, माननीय मंत्री जी ने यह तो ज़रूर कहा कि हम गुप्त चुनाव कराना चाहते हैं, जिसका स्वागत हम करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि इस विधेयक में उस गुप्त चुनाव का कहीं जिक्र नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सी चीजें जो रूल्स में थीं उनको हम इस विधेयक में ला रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख चीज है उसका विधेयक में कहीं जिक्र नहीं है। यह बात समझ में नहीं आयी।

तीसरी चीज मंत्री जी ने कही कि पंचायत राज अमेंडमेंट कमेटी की सिफारिश के मुताबिक़ हम यह संशोधन ला रहे हैं, तो जब उस कमेटी ने न्याय पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही तो मंत्री जी ने संशोधन लाते समय उसका ख्याल क्यों नहीं किया ?

आखिरी बात यह मेरी समझ में नहीं आयी कि बलवन्तराय मेहता कमेटी और गोविन्द सहाय कमेटी, दोनों ने यह सिफारिश की कि ग्राम स्तर पर तीन प्रमुख अधिकारी हैं, पटवारी, ग्रामसेवक और पंचायत राज के सेक्रेटरी। गांव के आदमी नहीं समझते कि किसकी बात को मानें। कोई कहता है कि पंचायत राज अफसर आ रहे हैं उसमें चलो, कोई कहता है कि कलेक्टर साहब का दौरा हो रहा है उसमें आना चाहिए। तो जनता आज कन्फ्यूज्ड है कि किस की बात माने। सेन्टर की जो बलवन्तराय मेहता कमेटी बनी थी उसने भी कहा था कि यह कमी है और गोविन्द सहाय कमेटी ने भी कहा कि ग्राम समाजों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र शक्ति दी जानी चाहिये। न्याय पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं, मेरा सरकार के ऊपर यह चार्ज है कि उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है।

इसके अलावा हमारा ओरिजिनल ऐक्ट अंग्रेजी में है। वही आज ग्राम सभाओं तक जाता है। ओरिजिनल ऐक्ट की आड़ ले कर दो विधेयक हमारे सामने रखे गये हैं जिनमें से एक तो अंग्रेजी में है और दूसरे में एक पंक्ति हिन्दी में है तो दस पंक्तियां अंग्रेजी में हैं और जब ये ऐक्ट बनेंगे तो इसी रूप में ग्राम पंचायत के सरपंच वगैरह के पास जायंगे जिनको कोई समझ नहीं पायेगा। इसके लिये वहां के परसनेल को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वह दी जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त जब हम ग्राम की तीन इकाइयां करने जा रहे हैं, शिक्षा, सहकारिता और ग्राम पंचायत तो मेरा यह सुझाव था कि जिला परिषद् विधेयक तो जल्दी ही आने वाला है अगर उसी समय इसको भी लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता और हम सब चीजों को देख सकते। हमसे यह कहा जाता है कि अगर इसको प्रवर समिति में भेज दिया गया तो चुनाव बड़ी देर में होंगे। मैंने एक महीने के लिये प्रवर समिति में भेजने के लिये कहा है। मैं कहता हूं कि ७ दिन के लिये भेज दीजिये ताकि हम वहां तमाम चीजों पर अच्छी तरह से विचार कर सकें कि ग्राम पंचायतों का आर्थिक और सामाजिक विकास किस प्रकार हो सकता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में हम अधिक से अधिक अधिकार उनको कैसे दे सकते हैं। इन सब बातों पर ग़ौर करना तभी सम्भव हो सकता है जब गम्भीरता से हम उस पर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी न्याय की दृष्टि से और इस दृष्टि से भी कि हमारे जनतंत्र की जड़ें अधिक मजबूत हो सकें, मेरे इस प्रस्तावों को स्वीकार कर लेंगे।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी आपत्ति प्रतापसिंह जी की तरफ़ से यह हुई है कि यह संशोधन विधेयक अंग्रेजी में क्यों लाया गया। वे खुद समझते हैं कि चूंकि मूल अधिनियम अंग्रेजी में है इसलिये उसका संशोधन अंग्रेजी में ही हो सकता था।

श्री प्रतापसिंह—मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि दोनों को लाने की क्या जरूरत थी, जब अंग्रेजी में था तो उसी में रखते।

श्री जयराम वर्मा—भाषा सब हिन्दी में रखी जाती है, लेकिन संशोधन का हिस्सा अंग्रेजी में रखना जरूरी है। नहीं तो शब्द उसके साथ फिट इन कैसे करेंगे ? इसलिये जरूरी था कि अंग्रेजी में लाया जाय। उनका ख्याल है कि हिन्दी की प्रतियां नहीं हैं। हिन्दी में प्रतियां हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी में मूल ऐक्ट है इसलिये हिन्दी में संशोधन नहीं ला सकते। लेकिन प्रयोग के लिए उसकी प्रतियां हिन्दी में मौजूद हैं।

एक बहुत बड़ा एतराज किया गया कि प्रधान के चुनाव की व्यवस्था गुप्त मतदान से नियमों द्वारा क्यों की जा रही है ? हमने बताया था कि प्रधान के अवाला गांव पंचायत के सदस्यों, न्याय पंचायत के पंचों आदि के चुनाव की व्यवस्था नियमों द्वारा की गयी है। अगर प्रधान के

[श्री जयराम वर्मा]

चुनाव की व्यवस्था यहां पर कर दी जाय तो फिर सब के चुनाव की व्यवस्था यहीं पर होनी चाहिये। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है जब इस तरह की घोषणा हो चुकी है और उसके लिये बजट में व्यवस्था भी कर दी गयी है कि प्रधान का गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। इसके लिये लगभग ४८ लाख रुपया पहले की अपेक्षा अधिक रखा गया है।

श्री रामशरण यादव—गांव सभा के बारे में क्या है ?

श्री जयराम वर्मा—प्रधान के अलावा और चुनाव गुप्त मतदान द्वारा हो, इस सम्बन्ध में कई बार यहां पर चर्चा हो चुकी है। उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। एक सब से बड़ी कठिनाई यह है कि केवल प्रधान के चुनाव के लिये जो गुप्त मतदान द्वारा होगा ४८ लाख रुपये फाजिल की जरूरत है। अगर सब का चुनाव गुप्त द्वारा कराया जाय तो कितना पैसा लगेगा और पैसे का भार किस पर पड़ेगा ? जितना पैसा लगेगा उससे उतना लाभ होने वाला नहीं है, उसमें कठिनाइयां बहुत हैं। एक कठिनाई यह है कि छोटे-छोटे गांवों में अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं हो सकते हैं। बड़े-बड़े गांव ऐसे हैं जहां पर अलग अलग मजरे हैं वहां पर संख्या का बटवारा हो सकता है। लेकिन वहां पर भी अगर संख्या का बटवारा हो तो एक आध मजरा ऐसा बड़ा हो सकता है जहां पर गांव के पंचायत के सदस्यों की संख्या मान लीजिये दस हो। अगर उस में दो पार्टियां भी हों तो २० उम्मीदवार हो जायंगे। बीस उम्मीदवार का चुनाव एक बैलट पेपर द्वारा करवाने का ऐसे लोगों से जो पढ़ नहीं सकते हैं, बीस सिम्बल याद नहीं रख सकते हैं, क्या परिणाम होगा ? परिणाम यह होगा कि जहां पर हाथ उठा कर, समझ बूझ कर वोट दे सकते हैं वहां चांस की वोटिंग हो जायगी। जिसको चुनाव में कोई चांस न हो वह भी सोच सकत है कि उस को वोट मिल सकते हैं। इस तरह से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप यह कहें कि इतने निर्वाचन क्षेत्र बना दिये जायं कि दो आदमी एक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जायं तो जब कम से कम १५ सदस्यों की गांव सभा होती है उसमें आठ निर्वाचन क्षेत्र हुए। एक गांव को आठ हिस्सों में बांट देंगे। परिणाम यह होगा कि एक एलेक्शन बिरादरी और झगड़ों के ऊपर होगा। मतदान सिद्धांत पर नहीं होगा। मतदान सिद्धांत पर वहीं होता है जहां पर निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। छोटे निर्वाचन क्षेत्र में यह सिद्धांत समाप्त हो जायगा। इसलिए इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों की यह राय है कि यह अच्छी चीज है अगर चुनाव डाइरेक्ट हुआ करें, लेकिन यहां पर कई माननीय सदस्यों ने . . . .

श्री प्रतापसिंह—डाइरेक्ट का मतलब केवल हाथ उठा कर करने से ही नहीं होता।

श्री जयराम वर्मा—अगर आप नहीं समझते हैं तो दूसरी बात है। अच्छा है कि जहां तक संभव हो चुनाव डाइरेक्ट हो लेकिन कहीं कहीं पर उन के रास्ते में दिक्कतें आ जाती हैं और वहां मजबूरी में डाइरेक्ट चुनाव के बजाय इंडाइरेक्ट चुनाव की व्यवस्था की जाती है। गांव सभाओं में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि प्रधान का चुनाव डाइरेक्ट न हो सके, लेकिन हमारे कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि प्रधान का चुनाव भी डाइरेक्ट न कराया जाय। वह समझते हैं कि शायद इंडाइरेक्ट चुनाव कर के ही प्रजातंत्र को चलाया जा सकता है लेकिन प्रधान का चुनाव इंडाइरेक्ट हो यह हमको मंजूर नहीं है। टाउन एरियाज में प्रेसीडेंट का चुनाव डाइरेक्ट होता है तो गांव सभा में हम इंडाइरेक्ट करायें, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

एक बहुत बड़ा एतराज किया गया धारा १२ जी के बारे में। मुझे दुख है कि जिन माननीय सदस्यों ने एतराज किया उन्होंने शायद उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की। वह कोई नया अधिकार नहीं है। मूल अधिनियम में वे अधिकार थे और वही लिख दिये गये हैं। यह आप कह सकते हैं कि उसकी जरूरत क्या थी। जरूरत उनकी इस तरह से हो सकती है कि

कहीं पर कोई परिस्थिति ऐसी पैदा हो सकती है कि जहां पर यह आवश्यकता हो जाय कि उन पंचायतों का समय समाप्त होने के पहले ही चुनाव कराया जाय। जैसे रुद्रपुर के इलाके को ही देखा जाय। वहां क्या हालत है? जहां छोटे-छोटे गांव थे वहां आज बड़े-बड़े गांव हो गये हैं, जहां कोई गांव ही नहीं थे वहां काफी बड़े गांव बन गये हैं, जिला गांव के गांव हो गये हैं, तो नतीजा यह है कि वहां की एक बहुत बड़ी आबादी को पंचायतों में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। ऐसी हालत में हम अगर उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो इस अधिकार से दे सकते हैं। अगर यह महसूस किया जाय कि चुनाव में देर है और उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो सरकार को अधिकार है कि उस क्षेत्र में फिर से चुनाव कराये जाने की घोषणा करे और चुनाव करा दे। यह भी हो सकता है कि पंचायतों का चुनाव अलग-अलग समयों पर अलग अलग इलाकों में होता है, पहाड़ों में और मिर्जापुर में दूसरे दूसरे समयों पर चुनाव होता है, अगर हम चाहें कि सब जगहों पर एक साथ चुनाव कराये जायं तो वह इसी अधिकार द्वारा हो सकता है। कभी-कभी यह भी जरूरत पड़ सकती है कि माननीय सदस्य इस बात को महसूस करते हों कि पंचायतों का चुनाव समय पर हो, लेकिन उनके चुनावों का संघर्ष किसी दूसरे चुनाव से पड़ रहा है, दूसरा कोई चुनाव भी उसी समय हो रहा है, असेम्बली के दिन आ गये अथवा और कोई चुनाव पड़ गया और माननीय सदन की राय है कि वह चुनाव भी हों और पंचायतों का चुनाव भी होना चाहिये। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को अधिकार है कि वह समय के खत्म होने के पहले ही पंचायतों के साधारण चुनाव की घोषणा कर सकती है और उसे करा सकती है। इसलिये यह अधिकार लिया गया है, किसी का अधिकार छीनने के लिये ऐसा नहीं किया गया। जो अधिकार इस में रखे गये हैं उनका आज तक गलत उपयोग नहीं किया गया।

अब यहां निर्वाचन निर्देशक के बारे में, उसके अधिकार के बारे में भी बड़ी आपत्ति की गयी। मेरे खयाल से शायद उस पर अच्छी तरह से गौर नहीं किया गया। वह अधिकार सिर्फ इसलिये दिये गये हैं कि चुनाव के संबंध में जो अधिकारी या कर्मचारी चुनाव कराने जायंगे उनकी ओर से कभी कोई ऐसा आदेश या घोषणा हो सकती है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो। अथवा नियमों के खिलाफ हो, और अगर उस के लिये यह देखा जाय कि एलेक्शन पिटीशन होगी और काफी देर के बाद उसमें सुधार हो सकेगा और उसमें देर लग सकती है तो ऐसी गलतियां इस अधिकार से निर्वाचन निदेशक के द्वारा ठीक हो सकती है और इसी बात के लिये यह व्यवस्था की गयी है। मिसाल के तौर पर कहीं पर, किसी गांव सभा में अनुसूचित जाति के लिये ५ जगहें निश्चित हैं और जनरल सीटें १० हैं। ऐसा हो गया कि वहां पर अनुसूचित जाति के चार उम्मीदवार आये और जनरल सीट की तरफ से बहुत से उम्मीदवार हो गये। तो गलती से ऐसा हो सकता है कि हमारे किसी अधिकारी ने चार अनुसूचित जाति के लोगों को डिक्लेयर कर दिया और बजाय १० के जनरल सीट से ११ लोगों को डिक्लेयर कर दिया। तो क्या होगा? अब अगर कहा जाय कि इसके लिये एलेक्शन पिटीशन हो और फिर यह गलती ठीक हो, तो यह भी एक तरीका है, लेकिन ऐसी गलतियों को निर्वाचन निदेशक ही ठीक कर सकता है और उसमें देर करने की जरूरत नहीं है। तो उन गलतियों को ठीक करने के लिये हमने निर्वाचन निदेशक अधिकारी (पंचायत) को यह अधिकार दिये हैं। जहां तक इलेक्शन पिटीशन का संबंध है, वह तो होंगे। जब इलेक्शन पिटीशन होगा तो उस मामले में वह अपना हस्तक्षेप नहीं करेगा।

अब न्याय पंचायतों के संगठन के बारे में भी एतराज किया गया। कुछ लोगों ने यह राय दी कि न्याय पंचायतें इलेक्टेड होनी चाहिये, कुछ की यह राय है कि नामजद होनी चाहिये, किन्तु हमारी जो व्यवस्था है वह दोनों को मिला कर है।

श्री अध्यक्ष—आप समय का भी ध्यान रखें, इस समय खंडों पर विचार नहीं हो रहा है।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, एतराज किया गया था, इसलिये मैंने जवाब दे दिया तो इस सिलसिले में केवल इतना कहना चाहता हूं कि गांव पंचायतों के लिये जो सदस्य होंगे उन्हीं में से न्याय पंचायतों के लिये नामजद किया जायेगा। इसी सिलसिले में अभी एक ला मिनिस्टर्स कांफ्रेंस हुई थी, उसमें भी यह राय कायम की गयी थी कि इस संबंध में हमारे यहां का जो तरीका है वह सबसे अच्छा है। इसलिये हमने वही तरीका रखा है।

अब एतराज तो बहुत से हैं, समय कम है इसलिये मैं उन सब का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा. . . .

श्री प्रतापसिंह—लैंड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में क्या कहना है ?

श्री जयराम वर्मा—मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस समय हम जो संशोधन लाये हैं वह छोटे-छोटे संशोधन हैं जिनमें कि अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। जो संशोधन बहुत जरूरी थे उन्हीं को हम इस समय लाये हैं। कुछ और भी संशोधन हैं उनको हम बाद में लायेंगे। अगर उन सब को भी अभी लाते तो चुनाव में देर हो जाती। इसलिये बाकी संशोधनों को हमने अभी छोड़ दिया है। इसलिये इस समय हम वही संशोधन लाये हैं जो जरूरी थे और जिन पर विवाद की भी आवश्यकता नहीं थी। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वह इस पर विचार करें। इसको कहीं प्रवर समिति वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री भजनलाल—मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि वे इन पंचायतों के चुनाव क्या २१ दिसम्बर, १९६० तक करा लेंगे या सन् १९६२ के बाद करायेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—मान्यवर, यह प्रश्न कल भी आया था। कल यह बात साफ तौर से ही कही गयी थी कि हम समय पर इन चुनाव को कराने की कोशिश करेंगे और अगर कोई अड़चन पड़ती भी है तो हम यह आशा करते हैं कि यह मार्च, १९६१ तक जरूर हो जायेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—चूंकि माननीय मंत्री जी जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं इसलिये माननीय हिम्मत सिंह ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है मैं उसे वापस लेता हूं। उनकी स्वीकृति मुझे वापस लेने के लिये मिल गयी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करें तथा जिसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब यह जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह का है, क्या इसे आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—श्री ब्रजनारायण तिवारी। आप वापस लेंगे ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक १९६० जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—यू०पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा २ का संशोधन

(क) खंड (एच) में शब्द "established" के स्थान पर शब्द "constituted" रख दिया जाय, तथा

(ख) खंड (के) के पश्चात् नये खंड (के के) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(*kk*) 'Nirvachan' Nideshak (Panchayat)' means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *gazette* and any officer to whom the Nirvachan Nidheshak (Panchayat) delegates any of his powers and functions, shall be deemed to be Nirvachan Nideshak (Panchayat) for the purposes of the exercise or performance of such power or function."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९ की संख्या बदलकर उसे धारा ९ की उपधारा (१) कर दिया जाय और तत्पश्चात् उपधारा (२) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा ९ का संशोधन

"(2) Notwithstanding anything contained in this Act, no person who is not, and every person who is, for the time being, entered in the register, as member, shall be entitled to vote any at election or in any other proceeding under this Act or the rules framed thereunder, or to be elected, nominated or appointed to any office in the Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ११-बी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा ११-बी का प्रतिस्थापन

Election and term of Pradhan.

"11-B. (1) The Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst themselves in such manner as may be prescribed :

Provided that when a Gaon Sabha has failed to so elect, it shall be called upon to elect the Pradhan, but if it again fails, it shall be lawful for the State Government or the prescribed authority to nominate as Pradhan, a member of the Gaon Sabha qualified to be chosen as Pradhan and the person so nominated shall be deemed to have been duly elected.

(2) The term of a Pradhan shall commence from the date of the constitution of the Gaon Panchayat or from the date of his being

elected or nominated, whichever is later, and unless otherwise determined under the provisions of this Act, shall expire with the term of the Gaon Panchayat."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित "धारा ११-बी (१) का प्रतिबन्धात्मक खंड" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा (११-बी) (२) की पंक्ति ३ में शब्द "or nominated whichever is later" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

पी० ऐक्ट
ग २६,
४७ की
ा ११-
का
स्थापन

५--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ११-डी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"II-D. No person shall simultaneously—

Prohibition against holding certain offices simultaneously.

(*a*) be the Pradhan of a Gaon Sabha and a member (other than *ex officio*) of a Gaon Panchayat or a Panch of a Nyaya Pancyayat ; or

(*b*) be a member of a Gaon Panchayat and a Panch of a Nyaya Panchayat ; or

(*c*) be a member of a Gaon Panchayat from more than one constituency ;

(*d*) hold any office in more than one Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat

and the rules may provide for the vacation of all but one offices by any person chosen to fill offices which he cannot hold simultaneously."

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

पी० ऐक्ट
या २६,
९४७ की
रा १२ का
तिस्थापन

६--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"12. (1) As soon as may be, after the establishment of the Gaon Sabha there, shall be constituted an Executive Committee thereof called the Gaon Panchayat.

Constitution of Gaon Panchayat.

(2) Unless terminated earlier under section 12-G, the term of every Gaon Panchayat shall be five years or, if the State Government so declares by notification in the official *gazette*, such longer term, not exceeding six years, as it may fix .

(3) The declaration under sub-seetion (2) may be made before the expiry of the five years aforesaid or, when the term has been extended before the expiry of such extended term.

(4) There shall be a general election in the manner prescribed to constitute or reconstitute Gaon Panchayats.,

(5) The constitution of a Gaon Panchayat shall be notified in such manner as may be prescribed and thereupon the Gaon Panchayat shall be deemed to have been duly constituted, any vacancy therein notwithstanding :

Provided that the prescribed authority shall not so notify till at least two-thirds of the members of the Gaon Panchayat and the Pradhan have been elected or nominated.

(6) The area of a Gaon Sabha may be divided by the prescribed authority into such number of constituencies as may be convenient for the purpose of election."

(7) The memebres of a Gaon Panchayat shall be elected by the members of the Gaon Sabha from amongst themselves. Their number shall be such as may be prescribed and the Pradhan and Up-Pradhan shall *ex officio* be the Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Panchayat.

(8) The term of a member of Gaon Panchayat shall, unless otherwise determined under the provisions of this Act, expire with the term of the Gaon Panchayat.

(9) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes in the Gaon Panchayat and the numebr of seats so reserved shall bear a s nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the Gaon Panchayat as the population of the Scheduled Castes in the area of the Gaon Sabha bears to the total population of such area :

Provided that this provision shall have effect only up to the date up to which reservation for such castes exists under the Constitution of India ;

Provided further that nothing in the preceding proviso shall affect any representation in a Gaon Panchayat until a fresh election is held.

(10) Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (7), it shall be called upon to elect the remaining number, but if it again fails to elect the full number, it shall be lawful for the State Government or the prescribed authority to fill in any seat so remaining vacant, by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any person so nominated shall eb deemed to have been duly elected"

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १२ (१) की पंक्ति २ में शब्द "Constituted" के स्थान पर शब्द "Elected" रख दिये जायं

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा (१२) (४) की प्रथम पंक्ति में "election" व "in" के बीच शब्द "By secret ballot" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा (१२) (५) के बाद प्रतिबन्धात्मक खंड की दूसरी पंक्ति में शब्द "two third" निकाल दिये जायं और उनकी जगह शब्द "three fourth" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा १२ की उपधारा (७) की पंक्ति ३ में शब्द "Their number shall be" के बाद का वाक्य "such as may be prescribed" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "fixed according to the population" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १२ (७) की पंक्ति ३ के शब्द "prescribed" और "and" के बीच शब्द "Not exceeding fifteen in all" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

पी० ऐक्ट
या २६,
४७ की
रा १२-ए
निकाला
ना

७--मूल अधिनियम की धारा १२-ए निकाल दी जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

पी० एक्ट
या २६,
४७ में नई
रा १२-
बी का
या जाना

८--मूल अधिनियम की धारा १२-बी के पश्चात् नई धारा १२बी बी के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:--

Superintendence of elections.

"12-BB. All elections (including bye-elections and nominations) of members of Gaon Panchyats, of persons to be appointed as Panches of Nyaya Panchayats and of Pradhans of Gaon Sabhas shall be conducted under the supervision and control of the Nirvachan Nideshak (Panchayat), who may aslo set aside or modify any order or declaration relating to such election passed or made without jurisdiction or in violation of any provision of this Act or the rules made thereunder by any officer or official entrusted with duties relating to the conduct of such election."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा १२-बीबी की पंक्ति ४ व ५ में शब्द "shall be conducted" के उपरान्त शब्द "By secret ballot" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किय गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९—१२

९—मूल अधिनियम की धारा १२—सी-की उपधारा (१) में शब्द "a person who may be appointed" के स्थान पर शब्द "a person appointed" रख दिये जायं।

यू०पी० ऐ संख्या २ १९४७ धारा १२- का संशो

१०—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२-डी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू०पी० ऐ संख्या २ १९४७ धारा १२ का प्रतिस्था

"12-D. The provisions of section 12-C shall *mutatis mutandis* apply to the election of a person as Up-Pradhan of Gaon Sabha or as Sarpanch or Sahayak Sarpanch of Nyaya Panchayat".

Disputes pertaining to the election of Up-Pradhan, Sarpanch o Sahayak Sarpanch.

११—मूल अधिनियम की धारा १२-ई में अंक तथा अक्षर "11-B, 12-A," के स्थान पर अंक "12" रख दिया जाय।

यू०पी० ऐक संख्या २६ १९४७ क धारा १२- का संशोध

१२—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२-जी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू०पी० ऐक संख्या २६ १९४७ क धारा १२-ज का प्रतिस्था

"12-G. Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may—

Reconstitution of Gaon Panchayat, etc.

(1) at any time order reconstitution of Gaon Panchayats in the whole State or in any specified area thereof and thereupon the term of such Gaon Panchayats shall be deemed to have expired and fresh elections, nominations and appointments may take place accordingly; and

(2) Where there is any change in the jurisdiction of a Nyaya Panchayat, order such changes in the constitution of the Nyaya Panchayat as it considers necessary in view of the change in the jurisdiction."

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९, १०, ११ और १२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३--१६

०पी०ऐक्ट
ख्या २६,
९४७ की
ारा ४२
था ४३ का
तिस्थापन

१३--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४२ तथा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"42. (1) The State Government or the prescribed authority shall divide a district into circles, each circle comprising as many areas subject to the jurisdiction of the Gaon Sabhas as may be expedient, and establish a Nyaya Panchayat for each such circle :

Establishment of Nyaya Panchayat.

Provided that the areas of Gaon Sabhas within each circle shall, as far as possible, be contiguous.

(2) Subject to a minimum of ten and a maximum of twenty-five, every Nyaya Panchayat shall have such number of members as may be prescribed ; but it shall be lawful for a Nyaya Panchayat to function notwithstanding any vacancy therein ; provided the number of Panches therein is not less than two-thirds of the prescribed strength.

43. (1) There shall be appointed by the prescribed authority out of the members of a Gaon Panchayat such number of persons as may be prescribed to be Panches of Nyaya Panchayat and thereupon the persons so appointed shall cease to be members of the Gaon Panchayat and their seats in the Gaon Panchayat shall be filled, as far as may be, in the manner provided in section 12.

Appointment of Panches and their term.

(2) No person may be appointed as a Panch of the Nyaya Panchayat unless he has the qualifications that may be prescribed :

Provided that where suitable persons having the prescribed qualifications are not available for such appointment, any or all of such qualifications may, by an order in writing, be relaxed by the prescribed authority."

०पी० ऐक्ट
ख्या २६,
९४७ की
ारा ४५ का
तिस्थापन

१४--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"45. The term of every Panch of a Nyaya Panchayat shall commence on the date of his appointment as such and, unless, otherwise determined under the provisions of this Act, shall expire with the term of the Gaon Panchayat from which he was appointed :

Term of a Pauch

Provided that the Sarpanch and the Sahayak Sarpanch shall continue in office until their respective successors are elected or appointed."

०पी० ऐक्ट
ख्या २६,
९४७ की
रा ११०
संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा ११० की उपधारा (२) में--

(क) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(ii) the establishment of Gaon Sabha or Nyaya Panchayat or the constitution of Gaon Panchayat ;" तथा

(ख) खंड (२-जी) में शब्द "Panchayat" के पश्चात् तथा सेमीकोलन के पूर्व निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

'and Pradhans and the appointment of Panches of Nyaya Panchayat.'

१६—इस अधिनियम में दी हुई किसी बात का विद्यमान प्रधानों, गांव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा और वे इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रधानों के पुनः निर्वाचन या गांव पंचायतों या न्याय पंचायतों के पुनस्संघटन तक, जैसी भी दशा हो, मूल अधिनियम द्वारा इस प्रकार शासित होंगे मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो। अपवाद

श्री रामशरण यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन में शब्द "and" की जगह "of" होना चाहिये। यह गलत छप गया है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा ४३ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति ३ के शब्द "qualification" और "may" के बीच में शब्द "except that of immoral turpitude as defined under Indian Penal Code" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—२४,

विपक्ष में—११२।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३, १४, १५ और १६ इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६०

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रगट होने वाले प्रयोजनों के लिये यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में संशोधन किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६०, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तृतीय वाचन के इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ओर से बहुमूल्य संशोधन दिये गये, मसलन, गुप्त मतदान का। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि इससे बड़ी पार्टीबाजी हो जायगी। दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जहां पर बहुत से मसलों पर बालिग लोगों से राय ली गई है और तब राष्ट्र की सर्वोच्च समिति

[श्री उग्रसेन]

ने कोई निर्णय लिया है । अगर सच पूछा जाय तो गुप्त मतदान पंचायतों के चुनाव में न होने से ही वहां इतने झगड़े बढ़े हैं । पुलिस का भी यही कहना है कि जरायम ज्यादातर देहात में इसीलिये बढ़े हैं कि हाथ उठाकर यह जो वोट देने का तरीका रखा गया है । विधान सभा और पार्लियामेंट के चुनावों में तो ऐसे झगड़े नहीं होते हैं । जब तक गुप्त मतदान नहीं होगा, तब तक झगड़े बाजी बढ़ती ही जायगी । जिन माननीय सदस्यों ने इसमें संशोधन दिये थे और जल्दी जल्दी में इस विधेयक को पास होने दिया उनका यह भ्रम है कि जल्दी से चुनाव हो जायगा। मुझे तो पूरी पूरी आशंका है कि सन् ६२ तक यह सरकार चुनाव नहीं करावेगी, नहीं करावेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह ३१ दिसम्बर, १९६० तक चुनाव अवश्य कराने की कृपा करें ।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं शायद अपने को स्पष्ट न कर सका । मैंने पहले साफ साफ बताया था कि अगर गांव पंचायतों के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान से करायेंगे तो उसमें बहुत कठिनाइयां होंगी । एक तो चुनाव क्षेत्र अगर अलग न होंगे तो इतनी बड़ी संख्या हो जायगी कि समझ बूझ कर वोट देना कि कौन कैसा आदमी है, कठिन होगा, जो १८–२० सिम्बल को न समझ सके और पढ़ा लिखा न हो उसके लिये दिक्कत होगी और अगर बटवारा किया जाता है तो इतने छोटे छोटे क्षेत्र हो जायंगे कि वोटर सिद्धान्त पर न रह सकेंगे और तरह तरह के राजनीति के और दूसरी तरह के झगड़े खड़े हो जायंगे । इसी कारण से इस तरह की व्यवस्था की गई है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६० जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आजमगढ़ जिले में ग्राम उकरौली में सड़क में पड़ी भूमि की मालगुजारी की वसूली आदि से सम्बन्धित २८ जुलाई, १९६० के प्रश्न २–३ के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री अध्यक्ष—अब ग्राम उकरौली, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में सड़क में पड़ी भूमि की मालगुजारी की वसूली तथा कच्ची सड़क की भूमि न देने की शिकायत आदि से सम्बन्धित श्री रामसुन्दर पांडेय के २८ जुलाई, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २–३ पर माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद जारी होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कराने के लिये आप ने आज्ञा प्रदान की । यह प्रश्न जो उठाया गया है यह सन् ५१ का है और इस को ९ साल की अवधि बीत चुकी है । मैं समझता हूं कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये और व्यावहारिक रूप में लेनी चाहिये । जिस जमीन को सरकार अपने काम के लिये लेती है उसकी मालगुजारी बन्द कर के मुआवजे की रकम फौरन किसानों को मिलनी चाहिये । आप देखें कि सन् ५१ में समझौता हुआ । सन् ४२ में यहां अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में आन्दोलन हुआ, लेकिन वहां के किसानों ने ६ साल तक इस सड़क को नहीं बनने दिया था । वहां पर जिलाधीश ने बीच में पड़ कर समझौता कराया और उसका पालन सभी किसानों ने किया, लेकिन अफसोस है कि सरकार ने उसका पालन नहीं किया ।

श्रीमन्, आप देखें कि इस प्रश्न का जबाव दिया गया था कि कुछ आलेख न मिलने के कारण मुआवजे अभी नहीं दिये जा सके और मालगुजारी भी माफ नहीं की जा सकी है । मैं जानना चाहूंगा कि उनको कौन से कागज नहीं मिले, जबकि जो समझौता हुआ वह गजट में

प्रकाशित हो चुका और नोटिफिकेशन भी सन् ५१ की १४१ नम्बर की हो चुकी और सड़क को भी माल विभाग से पी० डब्लू० डी० के सुपुर्द कर दिया गया। तो जब सन् ५१ में कब्जा हो गया और कागजात से किसानों के नाम भी हट गये लेकिन फिर भी सन् ५१ से आज तक बहुत से किसानों को मालगुजारी देनी होती है। उत्तर में कहा गया था कि किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। इसी प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि कुछ किसानों को मुआवजा नहीं मिला और वहां के किसानों ने ५–५ और १०–१० बार दरख्वास्तें दी हैं या कितनी बार दी हैं यह कहना मुश्किल है लेकिन जिस प्रश्न पर विवाद हो रहा है वह ८–१०–५९ को दिया गया था। जिसको दिये हुए भी दस महीने बीत गये। शायद माननीय वर्तमान मंत्री जी इस बात को कहें कि वे तो इस विभाग में अभी आये हैं, लेकिन पहले दूसरे माल मंत्री भी वहां थे। यह एक स्पष्ट सवाल है कि जिस किसान पर सरकार का २ पैसा भी मालगुजारी का बकाया होता है उस किसान को सरकार जेलखाने भेजने में जरा भी संकोच नहीं करती है, लेकिन ऐसे ही किसानों से ९–९ साल की मालगुजारी वसूल कर ली गयी है जिन किसानों से उस जमीन का अब कोई संबंध नहीं है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास में वह जमीन है। उन लोगों को अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। एक ओर तो मालगुजारी की मांग और दूसरी ओर मुआवजा भी उनको दिया नहीं जाता है। कुछ किसानों ने जिनके खेत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क में नहीं पड़ते थे मुआवजा ले लिया है और कुछ ने जिनके खेत सड़क में हैं, उन लोगों में से कुछ ने मुआवजा नहीं लिया। ९ साल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन परती पड़ी रही और किसानों से मालगुजारी वसूल होती रही। इस प्रकार से जमीन भी पड़ी रही और किसान जो गल्ला पैदा कर पाते वह भी नहीं हुआ, उस गल्ले से जो देश को फायदा हुआ होता वह भी नहीं हुआ।

इसलिये निवेदन करूंगा कि माल मंत्री जी की तरफ से कोई ऐसा संगठन होना चाहिये जो इन चीजों को देखे। जब आप अपने काम के लिये कोई जमीन लेते हैं तो उनको समय पर आपको मुआवजा देना चाहिये और मालगुजारी की माफी करनी चाहिये। जब आपके किसी हुक्म की पाबन्दी नहीं होती तो जो जल्दी के तरीके आप उस हुक्म को लागू करने में अपनाते हैं उसी तरह इस तरफ भी ढीलढाल न बरतनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी और हाउस इस पर ध्यान दे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मसले के पीछे एक तवारीख है। १९४६ में यह कार्यवाही शुरू हुई कि घोसी और मधुबन के बीच एक सड़क बनायी जाय। जब पी० डब्लू डी० ने एलाइनमेंट किया तो लगभग ३६ काश्तकारों की जमीनें उसमें आयीं। १९४६ में फार्मल पजेशन हुआ, लेकिन इसके विरोध में काश्तकारों ने कब्जा नहीं छोड़ा। कागजात पर पी० डब्लू० डी० का कब्जा रहा और बाकई में किसानों का कब्जा ५१ तक रहा। उसके बाद जिस समझौते का हवाला हमारे मित्र ने दिया उसमें यह तय हुआ था कि बजाय १०० फीट चौड़ी सड़क के ६० फीट चौड़ी बनायी जाय और दोनों ओर २०-२० फीट छोड़ दी जाय। उस समझौते की एक शर्त पी० डब्लू० डी० की ओर से यह पूरी हुई कि उन्होंने ६० फीट सड़क रख कर २०–२० दोनों ओर छोड़ दी। दूसरी समझौते की शर्त यह थी कि सड़क के दोनों ओर पेड़ न लगाये जायं। यह भी तय कर दिया गया कि पेड़ न लगाये जायेंगे। तीसरी शर्त यह थी कि जो जमीन ली जायगी उसका कंपेन्सेशन दिया जायगा। दो शर्तें तो पूरी हो गयीं लेकिन तीसरी शर्त के अनुसार जब कंपेन्सेशन दिया गया तो कुछ लोग कंपेन्सेशन लेने के लिये नहीं आये हालांकि समझौता हो गया था लेकिन कुछ लोग समझौते पर कायम नहीं रहे। लिहाजा उस रुपये को खजाने में जमा कर दिया गया। अब जो कंपेन्सेशन का स्टेटमेंट बना उसकी एक कापी मय रसीदों के ए० जी० को भेजी गयी। ए० जी० ने उस स्टेटमेंट को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वाराणसी के पास भेज दिया। वे कागजात नहीं मिल रहे हैं।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

अब सवाल यह है कि मामला तो तब तय हो जब हमें कागजात मिल जायं और यह मालूम हो जाय कि किन लोगों ने कंपेन्सेशन ले लिया है और किन लोगों ने नहीं लिया है। जो दोनों ओर २० फीट जमीन छोड़ी गयी थी उस पर से किसानों को बेदखल नहीं किया गया, उन्हीं का कब्जा है। केवल ६० फुट पर सड़क बनी है। यह जरूर है कि कंपेन्सेशन सही वक्त पर नहीं मिल सका और मालगुजारी हम वसूल करते रहे। इसका मुझे खेद है। मुझे तस्लीम करने में जरा भी गुरेज नहीं है। अब यह हिदायत भी दे दी है कि आइंदा न वसूल किया जाय। जब तक मसले न तय हो जायं। इसके बाद कोई किस्सा बाकी नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि किसानों को अब कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारे मित्र को भी इससे इत्मीनान हो जाएगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---विभाग को कब पता चला कि वह लगान ज्यादा ले रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब दरख्वास्त गुजरी, सवालात हुए और यह नोटिस मिली तो इंक्वायरी के बाद पता चला।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जो लगान किसान से लिया गया है वह वापस किया जाएगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिन लोगों को २० फीट के मुताबिक कंपंशेशन मिलने का है, उसके हिसाब से जोड़ लेंगे और उनको रिफंड करना पड़ेगा। पहले १०० फीट का था। तो जिन लोगों ने ले लिया है उनको रिफंड करना पड़ेगा। और उस रकम में और हमने जो वसूल किया है, अगर फाजिल होगा तो हम देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जो मालगुजारी ६० फीट की किसानों से लेते रहे, और जो अब नहीं लेंगे, तो जो मई सन् ४६ में फारमल रजेशन हुआ है उसके और इसके बीच जो मालगुजारी लेते रहे हैं, उसे वापस कर देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका जबाव मैं दे चुका हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---इस बात को देखते हुए कि आर्डिनरी कोर्स में इतना विलम्ब होना ठीक नहीं है, क्या इस बात की जांच की जाएगी कि क्यों देरी हुई और जिन्होंने देरी की उनसे कुछ कहा-सुनी की जाएगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---देरी की वजह तो मैंने बता दी है। उसमें कोई जान-बूझ कर देर नहीं की गई। क्योंकि कागजात नहीं मिल सके इसलिये देर हुई।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)---इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कागजात नहीं मिल रहे हैं, इसको एक्सपेडाइट कराने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिले के अधिकारियों को मैंने आदेश दे दिये हैं कि जल्दी से जल्दी जो तरीका आसान से आसान निकल सके, उसको निकालें।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी के पास ऐसी भी कोई सूचना है कि इसमें कितने आदमी इनवाल्व हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने इसका जबाव दे दिया।

श्री उग्रसेन---जिनकी वजह से इतने महत्वपूर्ण कागजात रुके रहे हैं उनके विरुद्ध कोई जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम समझते हैं कि अगर यह जान-बूझकर किया गया होता तो कार्यवाही की जरूरत पड़ती, फिर भी देखेंगे कि अगर किसी की गलती है तो जरूर कुछ करेंगे।

श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—जब सन् ५१ में सुलहनामा हुआ और १०० के बजाय ६० फीट तय हुआ तो १०० फीट का मुआवजा कैसे दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुआवजा तो पहले ही दे दिया गया था ।

श्री सुरथबहादुर शाह—क्या मंत्री जी को यह सूचना है कि केवल आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि अन्य बहुत सी जगहों पर भी कंपंशेसन के बारे में इस तरह की मुसीबतें हो रही हैं और इससे यह मालूम पड़ता है कि यह इस मुहकमे की खसूसियत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे तो ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन—जब मई सन् ४६ में फारमल पजेशन हो गया सरकार का उस भूमि पर तो किसानों से लगान किस कानून से और कैसे लेते रहे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वाकई कब्जा किसानों ने जबरदस्ती कायम रखा था ।

श्री उग्रसेन—कागज पर किसका नाम था, किसानों का या सरकार का ?

श्री अध्यक्ष—उसका जबाव तो वह दे चुके ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। मंत्री जी ने कहा कि १९४६ में जमीन ली गई और १९५१ तक किसानों का कब्जा रहा, तो किसान उस समय की मालगुजारी के सम्बन्ध में स्वयं नहीं कह रहा है। वह तो १९५१ से बाद की मालगुजारी मांग रहा है कि नहीं वसूल होनी चाहिये थी और मुआवजा मिलना चाहिये।

जितनी जल्दी इनको मुआवजा मिल जाय और मालगुजारी से राहत मिल जाय उतना ही अच्छा है। साथ ही जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है और जिनको मालगुजारी और मुआवजे का डिफ़रेंस देने की बात मंत्री जी ने कही, अगर उनको कुछ सूद भी देते तो अच्छा होता।

दूसरी बात यह है कि इस तरह के आदेश सारे प्रदेश में जारी होने चाहिये ताकि सदन में जो आये दिन सवाल हुआ करते हैं उनसे समय भी बच जाय, साथ ही लोगों को परेशानी भी न हो। मैं आजमगढ़ की एक तालिका अध्यक्ष महोदय, आपको पेश कर सकता हूं कि कितने सालों से किसान खेत छोड़े हैं और वह खेत सरकार के कब्जे में हैं लेकिन किसान मालगुजारी अब भी दे रहा है, मुआवजा क़तई उस को नहीं मिला। माननीय मंत्री जी ने श्री सुरथबहादुर शाह के उत्तर में जो कहा वह बिलकुल गलत कहा. . . .।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा—उनके पास कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—४, ५ दिन पहले सूचना थी, फिर यह सूचना हुई। इस प्रकार की बहुत सी सूचनायें हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि सूचना पेश हो या न हो, सरकार को मजबूती के साथ आदेश देना चाहिये कि इस तरह की शिकायत की जांच पड़ताल कर के फौरन उनको हल करना चाहिए।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मालगुजारी का सम्बन्ध है, मैंने सहूलियत दे दी है कि वह रियेलाइज न हो जब तक मसला तय न हो जाय। जहां तक सूद का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता किसानों में कोई मुसलमान होगा, उनके यहां सूद लेना हराम है. . .

श्री रामसुन्दर पांडेय—कोई मुसलमान नहीं है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी मुझे इत्तला नहीं है। हमारे काश्तकार सूद खोर नहीं हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में भी सूद के लिये नहीं लिखा. . . . . ।

श्री अध्यक्ष—वह सूद देना जानते हैं, लेना नहीं।

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां। इस मसले में मैंने आदेश दे दिये हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको निपटाने की कोशिश करें और मुझे आशा है जरूर हो जायगा।

मेरे मित्र ने कहा कि मैंने कोई बात गलत कही। जो जिले से रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर मैं यहां कहता हूं।

पर्सनल नालेज मुझे नहीं हो सकती। इसमें कोई ग़लती है तो आप सवाल कर दें मैं उसे देखूंगा। अगर जवाब ग़लत होगा तो ठीक जवाब देने की कोशिश करूंगा। इतना ही मुझे कहना है।

एक सदस्य—एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष—अब कोई सवाल नहीं हो सकता।

(अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर १२ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
११ अगस्त, १९६०।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

शोधन वक्तव्य

५ मई, १९६० को श्री ताराचन्द माहेश्वरी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २५–२६ के जो उत्तर सदन में दिये गये थे, वे इस प्रकार हैं:—

प्रश्न	उत्तर
२५—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिवार नियोजन केन्द्रों में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क या सहायिक दरों पर यांत्रिक कन्ट्रासेप्टिव देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?	जी हां, यह योजना पिछले वित्तीय वर्ष से ही कार्यान्वित कर दी गई है।
२६—यदि हां, तो क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना की रूप रेखा क्या है और किस आधार पर ग्रामीण जनता उससे लाभ उठा सकेगी ?	गर्भ-निरोधक यन्त्र तथा दवाइयां (कन्ट्रासेप्टिव नगरीय तथा ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों द्वारा उनके क्षेत्रों में निम्नलिखित प्रकार से बांटी जाती है: (१) नगरीय क्षेत्र—१०० रु० मासिक से कम आय वाले व्यक्तियों को सब प्रकार के गर्भ-निरोधक बिना मूल्य, १०० रु० से २०० रु० तक वाले व्यक्तियों को आधे मूल्य पर और २०० रु० मासिक से अधिक आय वाले व्यक्तियों को क्रय मूल्य पर दिये जाते हैं। (२) ग्रामीण क्षेत्र—शीथ और फोम टेबलेट सभी को बिना मूल्य दिये जाते हैं। अन्य गर्भ-निरोधक १०० रु० से कम मासिक आय वालों को बिना मूल्य, १०० रु० से २०० रु० तक आय वाले व्यक्तियों को क्रय मूल्य पर दिये जाते हैं। इस प्रकार परिवार नियोजन की इच्छुक ग्रामीण जनता उक्त योजना से पूरा लाभ उठा सकती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३२७ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६०

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई०

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई०

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० के कतिपय उपबन्धों के प्रसार तथा प्रयोजन के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न हो गया है;

और इस संदेह के निवारणार्थ और आगे प्रकट होने वाले कतिपय अन्य प्रयोजनों के निमित्त उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) यह धारा और धारायें ३ तथा ४ तुरन्त प्रचलित होंगी और धारा २ के उपबन्ध ३० नवम्बर, १९५७ से प्रचलित हुये समझे जायेंगे :

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३२, १९५७

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम की धारा २ द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) में किये गये संशोधन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के लिये कर-निर्धारण के सम्बन्ध में भी प्रवृत्त होंगे, चाहे ऐसा कर-निर्धारण किसी स्तर पर पूरा किया जा चुका हो या नहीं; या पूरा किया जा चुका था या नहीं।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ३—ग का संशोधन।

२—मूल अधिनियम की धारा ३—ग की उपधारा (१) में :—

(१) शब्द "किसी कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में", तथा

(२) उसके खंड (क) में आये हुये शब्द "की अवधि के लिये" निकाल दिये जायं।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ ई० की धारा २४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) के खंड (च) के पश्चात् नये खंड (च च) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

"(चच) कर-निर्धारक अधिकारी या सहायक बिक्री-कर कमिश्नर अथवा बिक्री-कर कमिश्नर के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर और अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों के ज्ञापन-पत्रों तथा पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्रों पर या किन्हीं अन्य प्रार्थना-पत्रों पर फीस निर्धारित करना।"

४—मूल अधिनियम की धारा ३—ग में कोई बात होते हुये भी ,उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के पूर्व या पश्चात् मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य करते हुये भावित होने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किये गये कर-निर्धारण या दी गयी आज्ञायें, किये गये कार्य या की गई कार्यवाहियां, जारी किये गये निदेश या प्रयुक्त क्षेत्राधिकार, जो किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब द्वारा व्यापार बन्द किये जाने के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में हों, विधि की दृष्टि में उसी प्रकार ठीक तथा वैध समझे जायंगे मानो वे कर-निर्धारण, आज्ञायें, कार्य, कार्यवाहियां, निदेश और क्षेत्राधिकार इस अधिनियम द्वारा, यथा-संशोधित मूल अधिनियम की धारा ३—ग के उपबन्धों के अधीन या अनुसार, यथा-स्थिति, विधिवत् किये गये, दी गयी, की गयी, जारी किये गये या प्रयुक्त हुये हों और मानो इस प्रकार किया गया संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो।

कतिपय कार्य-वाहियों का वैधीकरण उ० प्र० अधिनियम संख्या ३२, १९५७

उद्देश्य तथा कारण

इस विषय में संदेह प्रकट किया गया है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३-ग का ठीक अभिप्राय क्या है। मतभेद इस बात पर है कि क्या धारा ३—ग के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह कर-निर्धारक अधिकारी को उन संस्थाओं पर, जिन्होंने कारोबार बंद कर दिया है, किसी भी अवधि के लिये कर निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार देती है, और क्या उक्त धारा के उपबन्ध कर-निर्धारण के पिछले मामलों पर भी प्रवृत्त किये जा सकते हैं। समस्त संदेह का निराकरण करने और स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करने के उद्देश्य से धारा ३—ग को विधेयक में बतायी गयी रीति से संशोधित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त संदेह को ध्यान में रखते हुये, विघटित या पुनर्गठित संस्थाओं पर कर-निर्धारण करने के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाहियों का वैधीकरण भी वांछनीय समझा गया है, चाहे ऐसी कार्यवाहियां उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३२, १९५७ के प्रारम्भ होने के पूर्व की गई हों या बाद में।

२—विधेयक में मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) में एक नया खंड (चच) बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। व्यापारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रार्थना-पत्र बिक्री-कर कमिश्नर तथा अन्य बिक्री-कर प्राधिकारियों के समक्ष,—जिनके अन्तर्गत जज (अपील) तथा जज (पुन-रीक्षण) भी हैं—प्रस्तुत किये जाते हैं, किन्तु ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अपीलों तथा पुनरीक्षण के लिये प्रार्थना-पत्रों की संख्या बराबर बढ़ रही है और यद्यपि सरकार ने जजों की संख्या काफ़ी बढ़ा दी है फिर भी उनके लिये यह सम्भव नहीं हो पा रहा है कि वे इन अपील आदि का शीघ्रतापूर्वक निर्णय कर सकें। कर चुकाने में विलम्ब करने के उद्देश्य से व्यापारी बहुधा निस्सार आधारों पर प्रार्थना-पत्र दे देते हैं। ऐसे प्रार्थना-पत्रों की संख्या अधिक होने का एक कारण यह भी है कि उनके स्वीकार किये जाने के पूर्व उन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

अतएव मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) के प्रस्तावित नये खंड (चच) के अधीन राज्य सरकार को अपील आदि के प्रार्थना-पत्रों पर शुल्क नियत करने का अधिकार देने का विचार है।

अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री।

प्रतिनिधानित विधायन का ज्ञापन-पत्र

विधेयक का खंड ३ राज्य सरकार को, मूल अधिनियम की धारा २४ के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट तथा तदन्तर निर्मित नियमों में निर्दिष्ट भिन्न-भिन्न अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न प्रार्थना-पत्रों पर फीस लगाने के लिये व्यवस्था करने हेतु अधिकार देता है। अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रार्थना-पत्रों के लिये फीस की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित करना आवश्यक होगा चूंकि दरों में अपेक्षानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिये ब्योरों को छोड़ देना उचित समझा गया है जो अधिनियम के अधीन निर्मित किये जाने वाले नियमों में निर्धारित किये जायेंगे।

२—नियम बनाने का अधिकार सामान्य प्रकार का है।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई०) की धारा ३—ग की उपधारा (१) तथा धारा २४ की उपधारा (१) और (२) के उद्धरण।

किसी विघटित फर्म इत्यादि पर कर का दायित्व

३—ग (१) यदि व्यापारी कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब हो तथा ऐसे फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब ने किसी कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में व्यापार बन्द कर दिया हो, तो—

(क) इस अधिनियम के अधीन उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा व्यापार के इस प्रकार बन्द किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिये देय, अर्थदंड सहित, यदि कोई हो, कर, इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जायगा मानो व्यापार इस प्रकार बन्द हुआ ही न हो; तथा

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के समय उक्त फर्म का हिस्सेदार, अथवा उक्त संघ अथवा कुटुम्ब का सदस्य रहा हो, व्यापार के इस प्रकार बन्द होने पर भी उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा देय निर्धारित कर तथा आरोपित अर्थ-दंड का पृथक्-पृथक् तथा संयुक्त रूप से देनदार होगा, चाहे ऐसा कर-निर्धारण या अर्थ-दंड का आरोपण व्यापार के इस प्रकार बन्द होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा हिस्सेदार स्वयं ही व्यापारी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा मालूम हो कि फर्म या संघ के संघटन में परिवर्तन हुआ है तो पुनः संघटित फर्म या संघ तथा पुनः संघटन के पूर्व यथा विद्यमान उस फर्म या संघ के हिस्सेदार या सदस्य संयुक्त रूप से तथा पृथक्-पृथक्, अर्थ दंड सहित, यदि कोई हो, ऐसे कर के देनदार होंगे जो पुनः संघटन के पहले की किसी अवधि के लिये उक्त फर्म या संघ द्वारा देय हो।

*　　*　　*

स्पष्टीकरण--किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनस्संघटन, अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन, इस धारा के अर्थ में व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायगा।

नियम बनाने का अधिकार

२४--(१) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस ऐक्ट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बनाये।

(२) ऐसे नियमों में विशेष रूप से और पूर्व वर्णित अधिकार की सामान्यता को बिना प्रभावित किये, निम्नांकित विषयों के सम्बन्ध में, आदेश हो सकते हैं :--

(क) सभी ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका इस ऐक्ट के अनुसार नियत करना आवश्यक अथवा नियम संगत हो,

(ख) माल बेचने के काम में लगे हुये व्यक्तियों को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में और इससे संबंधित ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने तथा लाइसेंस की फीस से संबंधित प्रतिबन्ध लगाने के लिये,

(ग) इस ऐक्ट के अनुसार कर आंकने के विषय में विक्रय-धन को निर्धारित करने की विधि के लिये,

(घ) तालिकाओं और कागज-पत्रों को प्रस्तुत कराने के लिये तथा व्यक्तियों के शपथपूर्ण वक्तव्य लेने के तथा उनकी उपस्थिति को बाध्य करने के विषय में,

(ङ) इस ऐक्ट के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिये नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति, कर्त्तव्यों तथा अधिकारों के विषय में,

(च) साधारणतया इस ऐक्ट के अन्तर्गत अनुकरणीय विधि को तथा कार्यवाही से संबंधित, प्रयोग में लाये जाने वाले फार्मों को नियमित करने के विषय में,

(छ) धारा ८--की उपधारा (४) के अधीन जमा की गयी धनराशियों की वापसी (refund), ऐसी वापसियों (refunds) के लिये प्रक्रिया तथा वह अवधि जिसके भीतर वे की जा सकती ह, और

(ज) ऐसे विषय जिनको निर्धारित करना है अथवा जिनको निर्धारित किया जा सकता है।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ११९ एल० ए०--१९६०--८४५।